खण्ड–507, अंक–07
बुधवार, 24 माघ, शक संवत् 1940
(13 फरवरी, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2019)

(खण्ड 507 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग	...	...	7-11
प्रश्नोत्तर	...	...	11-101
छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग (क्रमागत)	...	...	101-108
छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग (क्रमागत)	...	...	109-112
औचित्य के प्रश्न की सूचना	...	...	112
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	112-115
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में चोचकपुर मार्ग पर स्थित चहारन चट्टी से विश्रामपुर प्रा0 विद्यालय तक पिच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	115
जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	115
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज विकास खण्ड म्याऊं में कतिपय मार्गों में राम गंगा नदी पर ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	115-116
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद अन्तर्गत कतिपय गांव को थाना सिकन्द्राबाद में शामिल करने एवं प्रस्तावित थाना चोला को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	116
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत ग्राम कटरा तरौरा व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	116

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत गांवों में ओवरहेड टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत गन्ना मिलों द्वारा की जा रही घटतौली की जांच एवं कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
उत्तर प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118-119
जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां के ग्राम धनावा में संचालित खनन पट्टे में हुए घोटाले की जांच एस0आई0टी0/कैग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत रुदौली व नौगवांडीह लघुडाल नहर को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेम नगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव जलोखरी से जनपद बुलन्दशहर की सीमा की गांव हिरौली तक पक्का मार्ग एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम दतावली से गोकुलपुर सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद मथुरा के कतिपय विकास खण्डों में मा0 प्रधानमंत्री जी जलगांव योजना को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम सुनाई में डुगरा जोगी माइनर की पटरी को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बिचपड़ी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अन्तर्गत अगहट ढटिगरा मार्ग से पलरा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत तिलहर सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
श्री बृजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	124
श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	125
श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गयीं)	125
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	126-127
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	127
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित एक याचिका (व्यपगत)	127-128
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	128
वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर चर्चा... ...	128
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	128-130
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य	131-132
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम अवनपुर में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	132-134

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद रायबरेली के गुरूबक्सगंज थाने द्वारा किये गये कांजीहाउस के अनाधिकृत कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	134-136
जनपद हमीरपुर के तहसील मौदहा में निजी भूमि पर खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	136-137
जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में मुरारी नाले के पास दादू पोटली, मिलन मैरिज लॉन व थावड़ा इम्पोरियम के निकट अवैध भू-खण्ड व कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	137-139
जनपद पीलीभीत के ए0बी0आर0सी0 के कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	140
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत संचालित कतिपय माइनर नहरों को जनपद बाराबंकी के नियन्त्रण से हटा कर जनपद अयोध्या के नियन्त्रण में किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	141
जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य	142
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में विद्युत लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	142-143
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट में दयानन्द कालोनी में देवरी रोड से यादव सिंह के मकान तक नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जी0 एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	143-144
नत्थियां	145-154

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019 ई0

उपस्थित सदस्य-302

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
12. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
13. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
19. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
20. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
21. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
22. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
23. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
24. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
25. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
26. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
27. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
28. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29. असलम अली, श्री — हापुड़
30. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
31. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
32. आर0के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
35. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
36. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
37. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
38. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
39. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
40. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
41. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
42. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
43. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
44. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
45. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
46. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
47. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
48. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़

49. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
50. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
51. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
52. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
53. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
54. काली प्रसाद, श्री देवरिया
55. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
56. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
57. केसर सिंह, श्री बरेली
58. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
59. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
60. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
61. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
62. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
63. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
64. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
65. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
66. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
67. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
68. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
69. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
70. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
71. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
72. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
73. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
74. जयमंगल, श्री महाराजगंज
75. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
76. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
77. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
78. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
79. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
80. डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
81. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
82. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
83. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
84. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
85. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
86. दल बहादुर, श्री रायबरेली
87. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
88. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
89. दिग्जिवय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्त कबीर नगर
90. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
91. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
92. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
93. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
94. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
95. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
96. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
97. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
98. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
99. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
100. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
101. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
102. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
103. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
104. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
105. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
106. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
107. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
108. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
109. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
110. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
111. नाहिद हसन, श्री शामली

112. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
113. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
114. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
115. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
116. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
117. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
118. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
119. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
120. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
121. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
122. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
123. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
124. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
125. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
126. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
127. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
128. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
129. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
130. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
131. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
132. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
133. फागू चौहान, श्री मऊ
134. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
135. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
136. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
137. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
138. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
139. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
140. बावन सिंह, श्री गोण्डा
141. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
142. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
143. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
144. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
145. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
146. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
147. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
148. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
149. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
150. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
151. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
152. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
153. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
154. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
155. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
156. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
157. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
158. महबूब अली, श्री अमरोहा
159. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
160. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
161. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
162. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
163. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
164. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
165. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
166. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
167. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
168. मोहम्मद असलम ''राहनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
169. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
170. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
171. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
172. योगेश धामा, श्री बागपत
173. योगेश वर्मा, श्री खीरी
174. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
175. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
176. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर

177. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
178. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
179. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
180. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
181. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
182. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
183. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
184. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
185. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
186. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
187. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
188. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
189. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
190. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
191. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
192. राजबाला, श्रीमती रामपुर
193. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
194. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
195. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
196. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
197. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
198. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
199. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
200. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
201. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
202. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
203. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
204. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
205. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
206. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
207. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
208. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
209. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
210. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
211. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
212. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
213. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
214. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
215. लाखन सिंह, श्री औरैया
216. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
217. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
218. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
219. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
220. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
221. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
222. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
223. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
224. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
225. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
226. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
227. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
228. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
229. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
230. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
231. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
232. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
233. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
234. वीरेन्द्र, श्री एटा
235. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
236. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
237. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
238. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
239. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
240. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
241. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
242. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी

243. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
244. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
245. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
246. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
247. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
248. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
249. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
250. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
251. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
252. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
253. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
254. संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
255. संजय, श्री बुलन्दशहर
256. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
257. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
258. संजय यादव, श्री बलिया
259. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
260. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
261. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
262. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
263. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
264. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
265. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
266. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
267. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
268. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
269. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
270. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
271. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
272. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
273. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
274. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
275. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
276. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
277. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
278. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
279. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
280. सुरेश कुमार, श्री शामली
281. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
282. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
283. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
284. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
285. सुरेश राही, श्री सीतापुर
286. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
287. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
288. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
289. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
290. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
291. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
292. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
293. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
294. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
295. सौरभ सिंह, श्री खीरी
296. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
297. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
298. हरीराम, श्री सोनभद्र
299. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
300. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
301. हेमलता दिवाकर कुशवाहा,श्रीमती आगरा
302. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रद्यौगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी एक सूचना नियम-311 की है, हमारा अनुरोध है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके हमारी सूचना को पहले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद सबसे पहले आपको सुन लेंगे।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, हमारा बहुत जरूरी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का मैं आदर कर रहा हूं, प्रश्नकाल हो जाने दीजिए इसमें आप लोगों के ही प्रश्न हैं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, प्रश्नकाल बाद में, पहले हमारा नियम-311 ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हमारी संसदीय परिपाटी में प्रश्नों की सर्वोपरिता है और ज्यादातर मित्र जो बैठे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वह मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं अपने दल के। हमको, आपको, सभी को आदरणीय जनता ने बहुत प्रतिष्ठा के साथ यहां भेजा है। प्रश्नों की सर्वोपरिता पूरी संसदीय परिपाटी का हिस्सा है, 1 घण्टे 20 मिनट में हो क्या जायेगा। मैं आपको सुनूंगा, नियम-311 को मैं नियम-56 में परिवर्तित करा दूंगा, आप जितनी देर चाहेंगे, उतनी देर बोलेंगे, यह मुझे निवेदन करना है।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मान्यवर, नियम-311 नियमों का निलम्बन।

श्री अध्यक्ष-

वह तो हमको और आपको याद है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इकबाल महमूद-

अगर याद है तो उसका भी पालन कराइये।

श्री अध्यक्ष-

नियमों का निलम्बन मुझे याद है, नियमावली भी याद है, यह तो आप लोग मानते ही होंगे।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

मान्यवर, कल जो घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष-

उस घटना को सुनने को हम तैयार हैं।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

लखनऊ और इलाहाबाद में जो घटना हुई, जो सरकार द्वारा बर्बर लाठी चार्ज किया गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कुछ देर तो हम लोगों को भी अपना आर्गूमेंट कर लेने दीजिए, अब आप खड़े हो जाते हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। मान्यवर, निवेदन यह है कि आप नियम-311 देख लें, स्वयं आपको याद है।

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-311 आप किताब में देखेंगे, आप लम्बे समय तक संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। नियम-311 तो आपको याद है किताब क्यों लिये हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि नियम-311 का प्रोविजन इसीलिए किया गया क्योंकि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित होती हैं जिनके कारण सारे नियमों को निलम्बित करना आवश्यक हो जाता है तो मान्यवर, आज ऐसी परिस्थितियां घटी हैं पूरे प्रदेश में, लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमें कायम हुए हैं और हमारे एक सांसद का पूरा सिर फूट गया है तो मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हुई हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि पहले इसको सुन लें उसके बाद हम लोग आगे की कार्यवाही चलायेंगे, इसको एक बार सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम-311 पढ़ा है इसलिए मैं भी पढ़ देता हूं, किताब वही है। कोई सदस्य अध्यक्ष की सहमति से प्रस्ताव कर सकेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, आपकी सहमति तो हम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन हम उसे नियम-56 में परिवर्तित कर चुके हैं। नियम-56 में हम आपको सुनेंगे यदि आपको लगता है कि गम्भीर मसला है तो और देर तक बोल लीजियेगा। सभी दलों के मा0 सदस्य बोलें। इसमे लिखा हुआ है कि किसी नियम का सदन के समक्ष, किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाये। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये, तो वह नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जायेगा। क्या आपके पास इतने सदस्य हैं कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेगा ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम के अनुसार प्रश्न का अग्रता प्राप्त है। हमारा प्रस्ताव है कि पहले इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रस्ताव कर सकेंगे और प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेगा। आप कहिये तो हम हां या ना करा दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप प्रश्न प्रहर को खत्म करके इसको ले लें। आप अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसको प्राथमिकता दे दें। चूंकि ऐसी परिस्थिति विद्यमान हो गयी है कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काम हो रहा है, हिटलरशाही पूरी तरह से चल रही है। मान्यवर, इसलिए चाहूंगा कि इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि प्रश्नोत्तर काल हो जाने दें, तो उचित रहेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कल लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका गया।

श्री अध्यक्ष-

उस समय की जो भी बातें कहना है, वह आप लगभग कह चुके हैं। इसी बात को आप इस समय थोड़ा जोर से बोलेंगे। मोटे तौर पर आपने लोकतंत्र की हत्या, मा0 श्री अखिलेश यादव जी का मामला, यह सब कह दिया है, मा0 वर्मा जी ने भी कह दिया है। अब आप सवाल हो जाने दीजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, उनका पहले से प्रयागराज जाने का प्रोग्राम तय था।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि हम उसको सुनेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, छात्रसंघ के कार्यक्रम में भाग लेने के अलावा अखाड़ा परिषद् के महन्त गिरि जी के यहां भी उनका कार्यक्रम था।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रकरण गम्भीर है, तात्कालिक है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसकी तात्कालिकता व गम्भीरता को देखते हुए इसको पहले सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसके बाद आपको सुनूंगा। मैं नियम-311 को अस्वीकृत करता हूं। मैं आपके नोटिस को 12:20 पर सुनूंगा, इसके पहले मैं नहीं सुनूंगा।

(इसी मध्य सर्वश्री/श्री मनोज कुमार पाण्डेय, राकेश प्रताप सिंह, नफीस अहमद, प्रभु नारायण यादव, अमिताभ बाजपेई सहित समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आकर ''यह सरकार निकम्मी है''।

''पुलिस के बल पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी''

[xxx xxx xxx]

***संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, इनके पास न तो कोई मुद्दा है और न ही प्रदेश की जनता का कोई हित इसमें शामिल है। यह पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाना चाह रहे हैं। पूरे प्रदेश में यह संदेश है कि पिछले 10 साल के पश्चात् यह सरकार कल्याणकारी योजनाओं में, विकास कार्यों में सबसे ज्यादा रूचि लेकर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। कृषि में, सिंचाई में, रोजगार में और विकास में, हर दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इनके पास कोई एजेण्डा नहीं है। केवल पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इसमें कोई जनकल्याण नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब लोकतंत्र बच गया, अब आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइये।

नोट :-[xxx] मा0 अध्यक्ष जी के आदेश से यह अंश निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मा0 अध्यक्ष जी, जिन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, वह इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 08 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 38 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

*तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सरयू नहर परियोजना वर्ष 1977 की जांच कराने एवं विधायकों की टीम गठित करने विषयक

***1-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1977 से प्रारम्भ हुई सरयू नहर परियोजना अभी भी अधूरी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस परियोजना के माध्यम से वर्ष 2016 से वर्ष 2018 तक अरबों रुपये मिट्टी व वाइडनिंग के नाम पर निकाले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायकों की टीम बनाकर इस परियोजना की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी हां।

सरयू परियोजना में वित्तीय वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2017-2018 तक सरयू योजक नहर एवं सरयू मुख्य नहर पर क्षमता पुनर्स्थापना हेतु मिट्टी का कार्य सम्पादित कराया गया है। सरयू योजक नहर के कि0मी0 0.000 से 47.135 तक क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य पर रु0 41.02 करोड़ एवं सरयू मुख्य नहर के कि0मी0 0.000 से 63.150 तक क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य पर रु0 77.76 करोड़ का कुल व्यय किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

* उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

परियोजना के अन्तर्गत वाइडनिंग का कार्य नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स पीड़ित युवकों के रोकथाम के सम्बन्ध में

***2-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या मद्यनिषेद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते ड्रग्स पीड़ित युवकों के रोकथाम के लिए सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

जी हां।

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापित मद्य निषेध विभाग का कार्य विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों से सर्वसाधारण में मद्यपान के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को प्रचारित एवं प्रसारित कर राज्य में मद्य निषेद्य के लिए स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रचार-प्रसार करना है।

प्रदेश में मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति के रोकथाम हेतु मद्य निषेध विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों यथा :- शिक्षण संस्थाओं एवं ग्रामीण अंचलों में शिक्षात्मक, ज्ञानवर्द्धक व खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन, प्रदर्शन कक्षों, गोष्ठियों का आयोजन, चलचित्र प्रदर्शन, प्रभातफेरी/रैलियां, वालपेन्टिंग्स, होर्डिंग्स, ट्री गार्ड्स व बस पैनल्स पर सुवाक्यों के माध्यम से संदेश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रचार साहित्य का वितरण कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित नशा निर्व्यसन केन्द्र, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदानित हैं, मैं मद्य एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यसनियों को उपचार कराने के लिए भर्ती होने हेतु प्रेरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कांशीराम शहरी आवास योजना मे चल रहे निर्माण कार्यों के समय से पूर्ण कराने पर विभाग को हस्तानान्तरित करने के सम्बन्ध में

***3-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना में चल रहे निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में

कितनी जगहों, के कितने आवास पूर्ण कराकर उन्हें विभाग को हस्तानान्तरित (हैण्डओवर) कर दिया गया है तथा कितनी जगहों पर कितने आवास अभी अपूर्ण हैं, जिन्हें पूर्ण किया जाना है ? क्या सरकार अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराकर उसे जनता को सौंपेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत तीनों चरणों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 158212 आवासों का निर्माण पूर्ण करके विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।

योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में 04, एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत जनपद-जौनपुर में 20, देवरिया में 192, सिद्धार्थनगर में 72, प्रयागराज में 03, मेरठ में 232 एवं सहारनपुर में 368, कुल 891 आवास अपूर्ण हैं, जिन्हें पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के किनारे वृक्षारोपण कराने की मांग

***4-श्री संजय गर्ग-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के किनारे भूमि को हरित पट्टी घोषित कर वृक्षारोपण के लिए सरकार कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं उद्यान (श्री दारा सिंह चौहान)-

उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017 के प्रस्तर 2.10 में ''नदियों विशेषकर गंगा नदी, झीलों, जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने एवं अविरल प्रवाह बनाये रखने हेतु तटों के साथ-साथ जलागम क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, भूमि एवं जल संरक्षण कार्य के द्वारा भूमि कटाव, बाढ़ एवं सूखे के प्रकोप तथा जलाशयों में सिल्ट भराव पर नियंत्रण किए जाने हेतु वृक्षारोपण किए जाने'' के प्राविधान के अन्तर्गत वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया पूर्व से ही विद्यमान है।

अतः अलग से हरित पट्टी घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार, वन विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में नदी के किनारे 5.2 लाख पौधे लगाए गए।

प्रदेश में गन्ना किसानों को खुले बाजार में गन्ना बेचने की अनुमति दिये जाने की मांग

***5-श्री मो0 फईम इरफान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसान को खुले बाजार में कहीं भी गन्ना बेचने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उनकी अकस्मात जरूरत पर खुले बाजार में गन्ना उपज का विक्रय किये जाने की नीति निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-

किसी कृषक के पास यदि उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो वह उसे खाण्डसारी इकाइयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने अथवा अन्य कार्यों में उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने की आपूर्ति उ0प्र0 (गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से सम्बन्धित चीनी मिलों को करायी जाती है। उ0प्र0 (गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-16(2 ख) में यह व्यवस्था वर्णित है कि चीनी मिलों द्वारा अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र से गन्ना उत्पादकों का गन्ना सहकारी गन्ना समिति के माध्यम के अतिरिक्त क्रय नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 की उपबन्ध-5(6) में भी यह व्यवस्था वर्णित है कि गन्ना उत्पादक अथवा सहकारी गन्ना समिति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति चीनी मिल अध्यासी को गन्ना नहीं बेचेगा।

खुले बाजार में गन्ना उपज का विक्रय किये जाने की कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जिला योजनान्तर्गत सड़कों के नव निर्माण हेतु जनपदों को आवंटित धनराशि की जानकारी विषयक

***6-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनान्तर्गत सड़कों के नवनिर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 में किस-किस जनपद को कितना-कितना धन अवमुक्त/आवंटित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना से जनपद अम्बेडकर नगर भी आच्छादित है ? यदि हां, तो उक्त जनपद में किन-किन मार्गों को नव निर्माण हेतु चयनित किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु0 3096.03 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 3179.28 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। जनपदवार आवंटन की सूची संलग्न है†।

जी हां।

जनपद अम्बेडकर नगर में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत चयनित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

(रु0 लाख में)

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लो0नि0वि0 का अंश	आवंटन 2016-17	आवंटन 2017-18	आवंटन 2018-19
1	2	3	4	5	6
1	पर्वतपुर महुलिया ब्रम्ह स्थान (नहर की पटरी) का अवशेष भाग का निर्माण कार्य	37.07	16.70	4.00	----
2	रसूलपुर से दोहरीपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	36.89	16.62	12.00	8.27
3	डडवा मुस्लिम बस्ती असरखपुर से चियूटीपारा पिच मार्ग का निर्माण कार्य	20.12	9.07	6.00	5.05
4	रामनगर करी तिराहा से धर्मपुर गांव तक मार्ग का निर्माण कार्य	20.24	9.12	6.00	5.12

† (देखिये नत्थी 'क' के आगे पृष्ठ संख्या 145-147 पर)

1	2	3	4	5	6
5	नोनारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	34.37	15.48	11.00	7.89
6	जहांगीरगंज मुख्य बाजार से किताबू की दुकान से होते हुए नईमी साहब के स्कूल के आगे तक (घोसियाना) पिच रोड का निर्माण कार्य	37.78	17.01	4.00	----

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत बी0पी0एल0 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को समुचित आवास उपलब्ध कराने विषयक

***7-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसके अत्तर्गत वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में कुल कितने लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा कुल कितने पात्र व्यक्तियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी हां। प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजना संचालित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (बी0एल0सी0) के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 10262 आवास, 2017-18 में 3,22,112 आवास तथा वर्ष 2018-19 में अद्यतन 468656 आवास अर्थात् कुल 801030 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में शून्य आवास एवं वर्ष 2017-18 में 26,474 आवास तथा वर्ष 2018-19 में 106187 आवास अर्थात् कुल 132661 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (बी0एल0सी0) घटक एवं भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत कुल 933691 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (बी0एल0सी0) घटक में अब तक 207276 लाभार्थियों को प्रथम किश्त तथा 131870 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश एवं जनपद महाराजगंज में स्थापित सिंचाई योजना एंव रोहिणी नहर प्रणाली से सिंचित एवं डांडा नहर प्रणाली में सिंचाई क्षमता की जानकारी विषयक

***8-श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी स्थापित सिंचाई योजना से कितनी भूमि की सिंचाई हो रही है कितनी भूमि असिंचित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद महाराजगंज की रोहिणी नहर प्रणाली तथा डांडा नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता क्या है तथा वर्तमान वर्ष में उक्त से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई ? क्या सरकार सिंचाई न होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रदेश में कुल भूमि 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। प्रदेश में कुल 33,077 नलकूपों तथा 72 स्थापित सिंचाई योजनाओं से 66.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई विभाग द्वारा हो रही है। 122.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा असिंचित है।

रोहिन नहर प्रणाली की सी0सी0ए0 8811 हेक्टेयर है। खरीफ का पी0पी0ए0 1500 हेक्टेयर एवं रबी का पी0पी0ए0 1584 हेक्टेयर है। वर्तमान रबी फसल में रोहिन प्रणाली द्वारा अभी तक कुल 495 हेक्टेयर सिंचाई हुई है। डांडा नहर प्रणाली का सी0सी0ए0 3747 हेक्टेयर है। खरीफ का पी0पी0ए0 711 हेक्टेयर एवं रबी का पी0पी0ए0 636 हेक्टेयर है। डांडा प्रणाली द्वारा खरीफ 1426 में 1676 हेक्टेयर एवं वर्तमान रबी 1426 में अभी तक 710 हेक्टेयर सिंचाई हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की जानकारी की मांग

***9-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रचलित राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उक्त जनपद के समस्त मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

यातायात घनत्व के आधार पर आवश्यकतानुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सांपों को पालने एवं उनके जहर का व्यवसायिक इस्तेमाल करने हेतु कार्य योजना विषयक

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सांपों के संरक्षण सुरक्षा हेतु सांपों को पालने के लिए उनके फार्म हाउस बनाकर उनके जहर का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी की प्रदेश में कितने लाइसेन्स सांपों के फार्म हाउस के हैं एवं उनके द्वारा उत्पादित सांपों के जहर को विक्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक स्तर पर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को दूर करने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सांपों के संरक्षण आदि के लिये नियामक व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण अलग से किसी कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है।

एक लाइसेन्स है।

जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अतएव कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यह व्यवस्था है कि अनुज्ञाधारी द्वारा पंजीकृत संस्थाओं, शोध संस्थाओं/मेडिकल कालेजों को ही विष विक्रय किया जायेगा।

प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से खतरनाक स्तर पर बढ़ने एवं उसके रोकथाम की मांग

***11-श्री धीरेन्द्र सिंह-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से खतरनाक स्तर तक बढ़ रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

प्रदेश के प्रमुख नगरों यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, इलाहाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर एवं बागपत में परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष-2017 की तुलना में वर्ष-2018 में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं मथुरा नगरों के वार्षिक औसत वायुगुणता सूचकांक में कमी एवं आगरा, सोनभद्र, गजरौला, हापुड़, फिरोजाबाद, खुर्जा, इलाहाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर एवं उन्नाव नगरों के वायुगुणता सूचकांक में आंशिक वृद्धि पायी गयी है।

वर्ष-2017 एवं 2018 में अधिकांश नगरों का वार्षिक औसत वायुगुणता सूचकांक मध्यम श्रेणी का पाया गया है। वर्ष-2018 में झांसी नगर का वार्षिक औसत वायुगुणता सूचकांक संतोषजनक पाया गया है। वर्ष-2017 में गाजियाबाद, हापुड़ एवं वाराणसी तथा वर्ष-2018 में मात्र हापुड़ शहर का वार्षिक औसत वायुगुणता सूचकांक खराब श्रेणी में पाया गया है।

पर्यावरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औद्योगिक नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत एवं मुजफ्फरनगर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कॉम्प्रीहेन्सिव एक्शन प्लान फॉर रेड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इन एन0सी0आर0 (यू0पी0) लागू किया गया है। इसी भांति कानपुर, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद एवं वाराणसी नगर हेतु भी वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है। उक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन/अनुश्रवण का कार्य संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य स्तर पर उक्त कार्य योजना के अनुपालन का अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्लान में कुल 17 विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं हेतु वायु प्रदूषण के स्तरों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्यवाही के 34 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। कार्य योजना के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया है। संबंधित विभागों से जिला स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही कराये जाने एवं उसको पोर्टल पर अपलोड किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी को दिया गया है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 28.10.2015 को वायु अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट के जलाने को प्रतिबन्धित किया गया है। प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करायी गयी है। ऐसी औद्योगिक इकाइयां जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित एवं संचालित नहीं पाया जाता है, के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। वाहनों में उपलब्धता के आधार पर (सी0एन0जी0) का प्रयोग प्रोत्साहित किया गया है तथा 10/15 साल

से अधिक आयु सीमा के डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को एन0सी0आर0 क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने हेतु कम्बाइन्ड हार्वेस्टिंग मशीन, स्ट्रा रिपर विद बाइन्डर अथवा स्ट्रा रिपर का उपयोग अनिवार्य किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10.02.2017 जारी किया गया है। कृषि अपशिष्ट से तैयार बायो ब्रिकेट के प्रयोग को ईंधन के रूप में बढ़ावा देने हेतु उद्योगों/भट्ठों के संचालन हेतु निर्गत की जाने वाली सहमति में कम से कम 20 प्रतिशत बायो ब्रिकेट का प्रयोग किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।

सरकार द्वारा सी0एन0जी0 तथा बैटरी चालित वाहनों एवं सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वर्तमान में बी0एस0-4 मानक प्राप्त करने वालो वाहनों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण विभाग द्वारा बड़ी परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करते समय सौर ऊर्जा के प्रयोग किये जाने की विशेष शर्त अधिरोपित की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा पराली को जलाये जाने से रोकने हेतु कृषकों को यंत्र वितरण हेतु भारत सरकार से योजना स्वीकृत करायी गयी है तथा इस हेतु आवश्यक विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

***12-श्री अजय कुमार लल्लू-**

[05 गुरुवार के तारां प्र0सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नहर, नालों, रजवाहों की सफाई निकासी की सिल्ट को अन्यत्र डाले जाने की मांग

***13-श्री दलवीर सिंह-**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहर, नालों, रजवाहों की सफाई निकासी की सिल्ट को पटरियों पर डालने से आवागमन अवरुद्ध होता है तथा पुनः वह सिल्ट नहर, नाले व राजवाह में जाती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिल्ट को पटरी से अन्यत्र डाले जाने की नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं। सिल्ट सफाई से निकली सिल्ट को आउटर बैंकों पर डालने का प्राविधान होता है। निकाली गयी सिल्ट से क्षतिग्रस्त डौले एवं नहरों पर हुई कमजोर पटरियों की मरम्मत भी करा दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों को समय से पर्ची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***14-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 के पेराई सत्र के प्रारम्भ से 31 जनवरी, 2018 तक एवं वर्ष 2018-19 के पेराई सत्र के प्रारम्भ से 28 जनवरी, 2019 तक चीनी मिलों द्वारा कितना कुन्टल गन्ना खरीदा गया है ? क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उसी अवधि में चीनी मिलों द्वारा कम गन्ना खरीदा गया जिसका मुख्य कारण समय से पर्ची का न उपलब्ध होना है जिससे किसानों को सरकारी मूल्य से आधे मूल्य पर बिचौलियों एवं क्रेशर पर गन्ना बेचने को विवश होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों को गन्ना विक्रय हेतु समय से पर्ची उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

पेराई सत्र 2017-18 के प्रारम्भ से दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 5,322.72 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गई तथा पेराई सत्र 2018-19 में 28 जनवरी, 2019 तक कुल 4,627.21 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गई है।

पेराई सत्र 2017-18 की तुलना में वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 में दिनांक 28 जनवरी, 2019 तक 394.71 लाख कुन्टल कम गन्ना खरीदा गया है। सितम्बर माह में अधिक वर्षा तथा चक्रवाती हवाओं के कारण गन्ने की फसल की परिपक्वता में विलम्ब होने के फलस्वरूप चीनी मिलों का संचालन थोड़ा विलम्ब से हुआ है, जिसके कारण गन्ना पेराई कम हुई है।

राज्य सरकार गन्ना कृषकों की सुगमतापूर्वक एवं समय से गन्ना आपूर्ति कराने के लिए पर्ची व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा में ग्राम सोनकपुरा बरौठा इमलौटा, शहपुरा, गुढा एवं खड़ौरा, खेरी, जलालपुरा, मथनिया मारकुआं आदि ग्रामों में स्प्रिंकलर योजना के क्रियान्वयन की मांग

1-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में धसान नदी पर ग्राम सोनकपुरा बरौठा, इमलौटा, शहपुरा, गुढा एवं खड़ौरा, खेरी, जलालपुरा, मथनिया, मारकुआं आदि गांवों में स्प्रिंकलर योजना को सरकार क्रियान्वित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त कराने की योजना में जनपद महाराजगंज तहसील नौतनवां में गड्ढामुक्त हुई सड़कों की योजना की जानकारी विषयक

2-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने की योजना के अन्तर्गत जनपद-महाराजगंज, तहसील-नौतनवां में कितनी सड़कों को गड्ढामुक्त कराया गया कितनी सड़कें शेष हैं ? क्या सरकार शेष सड़कों को गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत तहसील की 35 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है तथा 45 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। गड्ढामुक्त का कार्य सतत् प्रक्रिया है, जो आवश्यकतानुसार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम मेथा खेड़ी में बाल्मीकी शमशान धाट मार्ग निर्माण विषयक

3-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुराकाजी के गांव मेथा खेड़ी में बाल्मीकी शमशान घाट मार्ग का निर्माण व पचेण्डा, मेथा खेड़ी से होते हुए दतियाना मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

गांव मेथा खेड़ी में बाल्मीकी शमशान घाट मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की 0.65 किमी0 लम्बाई सीसी स्तर की है, जिसकी दशा संतोषजनक है एवं अवशेष 1.350 किमी0 की विशेष मरम्मत हेतु आगणन लागत रु0 9.23 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पचेण्डा, मेथा खेड़ी से होते हुए दतियाना मार्ग की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के गणेश विहार कालोनी शंकर पुरवा प्रथम में अंग्रेज फार्म हाउस से चौरसिया जी के मकान तक कच्चे रोड को पक्का बनवाने विषयक

4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गणेश विहार कालोनी (कपरिया बाबा की मजार, जाहिरपुर) शंकर पुरवा प्रथम वार्ड नं0-85 कल्याणपुर में अंग्रेज फार्म हाउस की पुलिया से चौरसिया जी के मकान तक रोड कच्चा क्षतिग्रस्त एवं जल निकासी न होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का निर्माण कराकर उक्त सड़क को पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

गणेश विहार कालोनी प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसायटीज द्वारा अनियोजित ढंग से बसायी गयी कालोनी है जिसका कोई भी तलपट/भू-विन्यास मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। अनियोजित रूप से बसायी गयी कालोनी में किसी भी प्रकार का विकास कार्य कराये जाने का प्राथमिक दायित्व नगर निगम का नहीं है। प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम सीमा में है। अतः जनहित में समय-समय पर धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के बीच चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री चौ0 चरण सिंह की मूर्ति के नाम का शिलापट्ट लगवाने विषयक

5-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद बुलन्दशहर के भूड़ चौराहे पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौ0 चरण सिंह की मूर्ति के नाम का शिलापट्ट को शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिलापट्ट को पूर्व की भांति पुनः लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

स्थानीय लोगों से जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि मा0 पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण श्री राम प्रकाश गुप्ता तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था तथा उक्त प्रतिमा के नीचे शिलापट्ट भी लगाया गया था। शिलापट्ट को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। शिलापट्ट पर क्या लिखा था, इस

सम्बन्ध में बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर शिलापट्ट का लिखित विवरण प्राप्त कर प्राधिकरण द्वारा शिलापट्ट स्थापित कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में जिला मुख्यालय से नवोदय विद्यालय से कसया से पडरौना तक सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण विषयक

6-श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में जिला मुख्यालय में रविन्द्र नगर धूस से मिल्की नवोदय विद्यालय होते हुए कसया से गांगरानी तक पडरौना कुबेर स्थान सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का है, अतः चौड़ीकरण किये जाने हेतु विद्यमान नियमों से आच्छादित नहीं है।

पत्र संख्या ख-6 नं0-465469 दिनांक 20.11.2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

7-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0-465469 दिनांक 20.11.2018 जो कि ग्राम रजपुरा से निजामपुर होकर सिकन्द्रबाद ककोड़ मार्ग तक सम्पर्क मार्ग निर्माण विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उक्त पत्र में प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत मार्ग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 9.37 कि0मी0 एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.0 मी0 है। मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के प्रथम भाग अर्थात् लम्बाई 6.22 कि0मी0 में

आवागमन अत्यन्त कम होने, अन्य कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने तथा इस भाग में यातायात घनत्व सी0वी0पी0डी0 242 एवं पी0सी0यू0 1879 होने के कारण तकनीकी दृष्टि से चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं पायी गई है।

मार्ग का दूसरा भाग सिकन्द्राबाद-दनकौर मार्ग के कि0मी0 3 पर स्थित निजामपुर से मल्हपुर होते हुए सिकन्द्राबाद-ककोड़ मार्ग (राज्य मार्ग सं0-100) के कि0मी0 44 को जोड़ता है। मार्ग के इस भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि रु0 684.52 लाख आंकलित की गयी है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भूमि उपलब्ध कराने एवं पत्र संख्या ख-6 नम्बर-465466 दिनांक 20.11.2018 पर कार्यवाही की मांग

8-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0-465466 दिनांक 20.11.2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर के जी0टी0 रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या-43 पर सामुदायिक केन्द्र तथा ऑडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु उक्त भूखण्ड (नजूल भूमि) को नगर पालिका के पक्ष में फ्री-होल्ड कराने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के फलस्वरूप सामुदायिक केन्द्र/ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाना सम्भव न होने की स्थिति से मा0 सदस्य, विधान सभा (प्रश्नकर्ता) को शासन के अर्द्धशा0 पत्र संख्या-47 जन0/नौ-2-19-24 जन0सु0/17, दिनांक 18-1-2019 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरौरा से विक्रमपुर चकौरा तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग के डामरीकरण कराने की मांग

9-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरौरा से विक्रमपुर चकौरा तक का मार्ग कच्चा व क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम बरौरा तथा ग्राम विक्रमपुर चकौरा पूर्व से ही एकल लेपित मार्ग से जुड़े हैं, अतः इनको आपस में जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरौरा से चमरूआ तक पक्के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

10-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम बरौरा से चमरूआ तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की लेपित सतह संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम अजमाबाद की पुलिया से नहर पटरी पर ग्राम मोहनपुर परसेला तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग के डामरीकरण कराने की मांग

11-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम अजमाबाद की पुलिया से नहर पटरी पर ग्राम मोहनपुर परसेला तक क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम अजमाबाद व ग्राम मोहनपुर परसेला पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

प्रश्नगत ग्राम पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं, इनको आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम संतोषपुर प्राथमिक विद्यालय से ग्राम ईश्वरा तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग के डामरीकरण कराने सम्बन्धित मांग

12-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम संतोषपुर प्राथमिक विद्यालय से ग्राम ईश्वरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत ग्राम संतोषपुर एवं ग्राम ईश्वरा पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं, अतः इनको आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया से ग्राम बखित्यारपुर गौटिया तक कच्चे व ऊबड़-खाबड़ मार्ग के डामरीकरण कराने की विषयक

13-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम रामपुर नवदिया से ग्राम बखित्यारपुर गौटिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण न होने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम रामपुर नवदिया एवं ग्राम बखित्यारपुर गौटिया पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हैं, अतः इनको आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के कुआनो नदी पर बादूघाट वा कुआनो दी भालूकोनी घाट वा बिसुही नदी के हरैय्या घाट पर पुल निर्माण के विषयक

14-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के कुआनो नदी पर बादूघाट, भालूकोनी घाट एवं बिसुही नदी के हरैय्या घाट पर सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

1-कुआनो नदी पर बादूघाट पर लगभग 79.88 मी0 (3x25) लम्बाई के दीर्घ सेतु की आवश्यकता है। जिसकी पहुंच मार्ग सहित कुल अनुमानित लागत रु0 850.00 लाख आंकलित है।

2-कुआनो नदी के भालूकोनी घाट पर लगभग 90.23 मी0 (3x28.25 मी0) लम्बाई के दीर्घ सेतु की आवश्यकता है सेतु एवं पहुंच मार्ग सहित कुल अनुमानित लागत लगभग रु0 850.00 लाख आंकलित है।

3-बिसुही नदी के हरैय्या घाट पर 56.02 (3x18) लम्बाई के सेतु की आवश्यकता है। जिसकी पहुंच मार्ग सहित कुल अनुमानित लागत रु0 597.86 लाख आंकलित है।

उपर्युक्त सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के सरयूनगर परियोजना की लागत एवं अधूरे कामों को पूरा करने विषयक

15-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में सरयू नहर परियोजना की निर्धारित लागत क्या थी ? क्या सरकार उक्त परियोजना को निश्चित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सरयू नहर परियोजना का निर्माण जनपदवार न होकर बेसिनवार की गई है। सरयू नहर परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु0 9802.6749 करोड़ है।

जी हां।

सरयू नहर परियोजना का निश्चित समयावधि दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र के खोड़ारे बाजार में भूमि विकास बैंक की स्थापना कराने की मांग

16-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गोण्डा जनपद के गौरा विधान सभा के खोड़ारे बाजार में भूमि विकास बैंक की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खोड़ारे बाजार जनपद-गोण्डा, वर्तमान में बैंक की शाखा मनकापुर के कार्य क्षेत्र में आता है। मनकापुर शाखा वित्तीय दृष्टि से स्वाश्रयी न होने के कारण, उसे विभक्त कर नई शाखा खोला जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में कुल क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने विषयक जानकारी

17-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की घोषणा के अनुसार समस्त जनपदों की कुल कितनी क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों का गड्ढामुक्त कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

वर्ष 2017-18 में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 44844 सड़कों की 85160 किमी0 लम्बाई को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु चिन्हित किया गया था जिसके सापेक्ष मार्च, 2018 तक 44822 सड़कों की 85138 किमी0 लम्बाई में मार्गों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में 20828 सड़कों की कुल 44376 किमी0 लम्बाई गड्ढामुक्त हेतु चिन्हित है, जिसके सापेक्ष चिन्हित सभी सड़कों की शत-प्रतिशत लम्बाई को गड्ढामुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के शहर रोडवेज से होते हुए पं0 दीन दयाल चौराहे तक पानी निकासी के सम्बन्ध में

18-श्री नफीस अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के शहर रोडवेज से होते हुए पं0 दीन दयाल चौराहे तक पानी निकासी हेतु बड़े नाले का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद आजमगढ़ के शहर रोडवेज से होते हुए पं0 दीन दयाल चौराहे तक नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 9.26 लाख से मुहल्ला सिविल लाइन में आनन्द हार्ड वेयर से कृष्णा होटल तक नाली निर्माण का कार्य (लम्बाई 240 मी, गहराई 0.60 मी0 व बहाव 0.30 मी0) कराया गया है। जल निकासी की व्यवस्था सुचारु रूप से हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में स्वीकृत पुल, पुलिया, विभाग द्वारा 2016-17 के बीच एवं धनाभाव के सम्बन्ध में रुके कार्यों को पूर्ण कराने विषयक

19-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितनी सड़कें, पुल, पुलिया, विभाग वर्ष 2016-17 में कहां-कहां पर स्वीकृत हुई थीं, उन पर कितना कार्य हो चुका है व कितना कार्य धनाभाव के कारण रुका पड़ा है ? क्या सरकार रुके कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग, जनपद जौनपुर में 229 सड़कों एवं 6 पुलियों के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें से 199 सड़कों एवं 2 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 30 सड़कों एवं 4 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

अवशेष सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के कानपुर औद्योगिक नगर में उद्योगों से निकले प्रदूषित जल द्वारा गंगा जी के पानी को प्रदूषित करने पर रोकथाम की मांग

20-श्री पारसनाथ यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश का औद्योगिक नगर कानपुर में चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नाली के माध्यम से गंगा नदी में बहाये जाने के कारण गंगा नदी में पानी प्रदूषित हो रहा है ? उसके पीने या नहाने से जानलेवा बीमारी भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल की रोकथाम के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जाजमऊ स्थित चमड़ा इकाइयों से निस्तारित प्रदूषित जल को प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लाण्ट में शोधित कर कन्वेन्स चैनल के माध्यम से पम्पिंग स्टेशनों को सम्प्रेषित किया जाता है। पम्पिंग स्टेशनों द्वारा उत्प्रवाह को जाजमऊ, कानपुर स्थित संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में घरेलू उत्प्रवाह के साथ 1:3 में (09 एम0एल0डी0 टैनरी उत्प्रवाह व 27 एम0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह) मिक्स कर शोधित किया जाता है। शोधित उत्प्रवाह को जाजमऊ सी0ई0टी0पी0 परिसर में ही स्थापित एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह के साथ मिश्रित कर सिंचाई नाली द्वारा सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान में स्थापित पम्पिंग स्टेशन, कन्वेन्स चैनल तथा संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के रख-रखाव हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को अवमुक्त की गई रु0 17.88 करोड़ की धनराशि से गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कार्यवाही की गई है। एन0एम0सी0जी0 द्वारा जाजमऊ स्थित टैनरी उद्योगों से जनित उत्प्रवाह के संयुक्त रूप से शोधन हेतु नये 20 एम0एल0डी0 क्षमता के सी0ई0टी0पी0 के निर्माण हेतु रु0 554.00 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है तथा टेण्डरिंग प्रक्रिया प्रगति पर है। बोर्ड द्वारा स्थापित टैनरी इकाइयों का लगातार अनुश्रवण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान दोषी पाई गई टैनरी इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत बंदी की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में 317 इकाइयां उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में बंद करायी गयी है।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 07-02-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि औद्योगिक नगर, कानपुर नगर में गंगा जल के उपयोग से बीमारी के संबंध में जनपद कानपुर नगर में स्थित किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान से ऐसे किसी रोगी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लखनऊ में एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड में आवास सं0-ई 135 से ई 150 के सामने पार्क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर कार्यवाही हेतु

21-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर स्थित एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड योजना लखनऊ के आवास संख्या-ई 135 से ई 150 तक के सामने बने पार्क व पीछे की सड़क पर आवंटियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के आवास संख्या-ई-135 से ई-150 के निकट पार्क में किये गये निरीक्षण से सड़क एवं पार्क में आवंटियों द्वारा कोई अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है। आवंटियों के आवास के पीछे रेलवे विभाग की भूमि है, जिस पर समस्त कार्यवाही रेलवे विभाग, भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है कानपुर रोड के पाकेट-ई को नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर विकास खण्ड-करंज कला अन्तर्गत वैजारामपुर घाट पर पुल के निर्माण कार्य पूर्ण कराने विषयक

22-श्री पारसनाथ यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-करंज कला अन्तर्गत वैजारामपुर घाट पर पुल का निर्माण कार्य रुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

कार्य प्रगति में है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत इन्दिरा नगर कालोनी में मकान नं0-1381/19 के सामने सड़क की टी0ए0सी0 जांच कराने विषयक

23-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम स्थित, लखनऊ की इन्दिरा नगर आवासीय कालोनी मकान नं0-ए-1381/19 के सामने सड़क व नाली का निर्माण वर्ष 2018 में कराया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क को नया न बनाकर सड़क व नाली पर पुराने कार्य को रिपेयर कराकर कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त सड़क का सुधार कार्य मैनुअल पद्धति से एवं क्षतिग्रस्त नाली के सुधार/मरम्मत का कार्य संतोषजनक ढंग से कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज फूलपुर मुहम्मदपुर ठेकमा, निजामबाद में नालों के सफाई के सम्बन्ध में

24-श्री सुखदेव राजभर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, फूलपुर, मुहम्मदपुर, ठेकमा, निजामबाद में माइनरी की सफाई हेतु कुल कितनी धनराशि का धनावंटन हुआ है तथा उसके सापेक्ष कुल कितनी माइनरों की कितनी-कितनी किलोमीटर सफाई हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, फूलपुर, मुहम्मदपुर, ठेकमा एवं निजामबाद की माइनरों हेतु रु0 75.09 लाख का धनावंटन हुआ था, जिसके सापेक्ष कुल 51

नहरों, राजवाहा व माइनरों की कुल 221.45 कि0मी0 लम्बाई में सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के वनस्थली अपार्टमेन्ट, शिप्रा, सतलज, कल्पतरू, ग्रीनवुड, रोहणी, अलकनन्दा तथा बेतवा अपार्टमेन्टों से निकलने वाले सीवरेज को मुख्य सीवरेज प्लान्ट से जोड़ने के सम्बन्ध में

25-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वनस्थली, शिप्रा, सतलज, कल्पतरू, ग्रीनवुड, रोहणी, अलकनन्दा तथा बेतवा अपार्टमेन्टों से निकलने वाले सीवरेज को मुख्य सीवरेज प्लान्ट से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस वर्ष बरसात में कल्पतरू, वनस्थली आदि अपार्टमेन्टों के सीवरेज निकासी न होने से परिसरों में जलभराव व गन्दगी फैल गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निदान आगामी बरसात से पूर्व कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

गोमतीनगर विस्तार क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवेज पम्पिंग स्टेशन उ0प्र0 जल निगम द्वारा संचालित मुख्य पम्पिंग स्टेशन ग्वारी कलवर्ट से जुड़ा है एवं सीवेज को भरवारा स्थित 345 एम0एल0डी0 मल शोधन संयंत्र में शोधित किया जाता है।

वर्ष 2015 में।

सीवर के ओवर फ्लो की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली व सहारनपुर में दाह संस्कार स्थल व कब्रिस्तानों में अतिक्रमण एवं गंदगी की शिकायतों के निस्तारण विषयक

26-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 2018 से दिनांक 15-11-2018 तक कार्यालय एस0डी0एम0 कैराना, ऊन जनपद शामली एवं एस0डी0एम0

नकुड़, जनपद सहारनपुर को दाह संस्कार स्थल तथा कब्रिस्तान पर अवैध कब्जों व बाउंड्रीवाल तोड़कर अतिक्रमण व कूड़ा आदि डालने से सम्बन्धित कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा शिकायतों में कितने प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है व कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा लम्बित होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का एक ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनवरी, 2018 से दिनांक 15-11-2018 तक एस0डी0एम0, कैराना, जनपद शामली को दाह संस्कार तथा कब्रिस्तान पर अवैध कब्जों व बाउंड्रीवाल तोड़कर अतिक्रमण व कूड़ा आदि डालने से सम्बन्धित 26 शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 10 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है तथा शेष 16 प्रकरणों में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 यथा संशोधित 2016 की धारा-67(1) के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कर कार्यवाही न्यायालय, तहसीलदार कैराना में विचाराधीन होने के कारण लम्बित हैं। इसी प्रकार एस0डी0एम0 ऊन, जनपद शामली को उक्त विषयक का शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका निस्तारण करा दिया गया है।

उक्त अवधि में एस0डी0एम0 नकुड़, जनपद सहारनपुर को 18 शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं, जिसमें 15 प्रार्थना पत्रों को निस्तारित कर दिया गया है। लम्बित 03 प्रकरणों में 02 प्रकरण ग्राम बिसलहेडा के कब्रिस्तान की भूमि 1.107 हे0 से अवैध कब्जा हटवाये जाने से संबंधित हैं। इस भूमि में से 0.205 हे0 पर कब्जा है, शेष 0.902 हे0 पर 14 व्यक्तियों/परिवारों की पुरानी आबादी बनी हुई है। तीसरा प्रकरण ग्राम आलमपुर का ख0नं0 385.0205, शमशान से संबंधित है। इस पर श्री अकबर पुत्र श्री कमालू का कृषि द्वारा कब्जा है, जिसमें आयुक्त न्यायालय से स्थगन आदेश जारी हैं एक अन्य वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें प्रभावी पैरवी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन के लिफ्ट, पम्प चालक, हेल्पर आदि कर्मचारियों को 17वें वित्त में 18000 एवं 9300 रुपये वेतनमान करने विषयक

27-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अनु0 खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग में 30वां वृत्त के अधीन विधन भवन में आउट सोर्सिंग के कर्मचारी लिफ्ट चालक, पम्प चालक, हेल्पर आदि को 17वां वृत्त की भांति मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार विधान भवन में कार्यरत आउट सोर्सिंग कर्मचारियों को 17वां वृत्त की भांति मासिक पारिश्रमिक 18000 रुपये एवं 9300 रुपये देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत लिफ्ट आपरेटर, साउण्ड सिस्टम आपरेटर, फायर आपरेटर, हेल्पर आदि विद्युत अधिष्ठापनों के संचालन हेतु सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से आउट सोर्सिंग द्वारा ली जा रही हैं, जिनकी दरें निविदा/कोटेशन से प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के अनुरूप दी जा रही हैं एवं तद्नुसार ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र कटरा जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कस्बा से रमापुर उत्तरी मार्ग के जीर्णोद्धार नवीनीकरण हेतु वर्ष 2015-2016 में हुये ठेका में हुयी अनियमितता के सम्बन्ध में

28-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 131 कटरा जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत कस्बा कटरा से रमापुर उत्तरी मार्ग के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण हेतु वर्ष 2015-16 में ठेका हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण/जीर्णोद्धार किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग तक (लम्बाई 2.00 कि0मी0) के पुनः निर्माण हेतु एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत रु0 36.94 लाख की स्वीकृति दिनांक 19-03-2015 को प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु0 18.94 लाख की आवंटित धनराशि के सापेक्ष टॉपकोट स्तर का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र सीसामऊ के अन्तर्गत सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

29-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-11-2018 जो कि सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सी0सी0 रोड के निर्माण कार्य हेतु मुख्य मंत्री

जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

सीसामऊ विधान सभा हेतु 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय में लगे लिफ्ट चालकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में

30-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में दैनिक संविदा पर कार्यरत लिफ्ट चालकों का बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत मानदेय बढ़ाये जाने एवं नियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

विद्युत अनुरक्षण खण्ड नं0-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत संविदा पर किसी भी कर्मचारी को नहीं रखा गया है। खण्ड के अन्तर्गत लिफ्ट आपरेटर, साउण्ड सिस्टम आपरेटर, फायर आपरेटर, हेल्पर आदि विद्युत अधिष्ठापनों के संचालन हेतु सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से आउट सोर्सिंग द्वारा ली जा रही हैं, जिनकी दरें निविदा/कोटेशन से प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक दरों के अनुरूप दी जा रही है एवं तद्नुसार ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।

सरकार प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक, ब्लाक, जिला स्तर की समितियों के घाटे मुक्त करने विषयक

31-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक, बलॉक और जिला स्तर की घाटे में चल रही सहकारी समितियों को घाटे से मुक्त करने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी नहीं।

प्रो0 बैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुरूप प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंकों को घाटे से उबारने हेतु आर्थिक पैकेज प्रदान किया जा चुका है।

प्रदेश में कार्यरत सहकारी संघ, क्रय-विक्रय, जिला सहकारी विकास संघ तथा उपभोक्ता व्यवसाय करने वाली समितियां निगमित निकाय एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं ये अपने स्रोतों से व्यवसाय करती हैं।

32-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[03 बुधवार, के अता0 प्र0 सं0-124 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत जनपद मथुरा में रैनबसेरों के निर्माण की मांग

33-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक ''शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना'' के अन्तर्गत जनपद मथुरा में रैनबसेरों (शेल्टर होम) का निर्माण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। प्रदेश में संचालित दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक ''शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना'' के अन्तर्गत जनपद-मथुरा की नगर निगम, मथुरा में लक्ष्मी नगर में 100 व्यक्तियों के उपयोगार्थ निर्माण लागत रु0 208.20 लाख से रैन बसेरा (शेल्टर होम) निर्मित कराकर संचालित किया जा चुका है। जनपद-मथुरा की नगर निकाय, कार्सोकला में 70 व्यक्तियों के उपयोगार्थ निर्माण लागत रु0 217.96 लाख से रैन बसेरा (शेल्टर होम) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद शामली के प्रदूषण के दृष्टिकोण से मेसर्स शामली डिस्टलरी एवं केमिकल वर्क्स के विरुद्ध जारी बंदी आदेश के विषयक

34-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स शामली डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स शामली के विरुद्ध जल एवं वायु प्रदूषण के दृष्टिकोण से पाई गई कमियां के आधार पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत बंदी आदेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2017 पारित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त बंदी आदेश को निक्षेप करने से पूर्व क्या उपरोक्त संस्थान द्वारा कमियों का निराकरण एवं सत्यापन रिपोर्ट को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

जी हां।

उपरोक्त संस्थान द्वारा कमियों के निराकरण एवं सत्यापन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न हैं।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद से ग्राम कल्लू गढ़ी तक गन्दे नाले पर पुलिया के निर्माण विषयक

35-श्री असलम अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्बा डासना के गंदे नाले पर से ग्राम कल्लू गढ़ी के मध्य जितनी पुलिया है वर्तमान में क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों को आवागमन हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नाले की क्षतिग्रस्त पुलियों को चिन्हित कर उन का नव निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

दो पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। डासना नाले के किमी0 13.700 पर नवनिर्माण कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नगर पंचायत डासना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा किमी0 16.000 पर ग्राम कल्लूगढ़ी के निकट नया व चौड़ा पुल बनाये जाने हेतु परियोजना तैयार की जायेगी। परियोजना के साध्य पाये जाने, सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र के कस्बा पिलखुवा में स्थित रामा हास्पिटल द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 लेने विषयक

36-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में स्थित रामा हास्पिटल ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 कौन से वर्ष में ली है ? यदि ली है तो उसकी अवधि कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में स्थित रामा हास्पिटल को स्थापना हेतु दिनांक 06.04.2011 को प्रथम बार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उक्त हास्पिटल को पुनः 190 बेड से बढ़ाकर 700 बेड क्षमता वृद्धि हेतु दिनांक

---

† छापा नहीं गया।

06.06.2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। तदोपरान्त उक्त हास्पिटल द्वारा बोर्ड से संचालनार्थ सहमति प्राप्त की गई है।

उक्त हास्पिटल की संचालनार्थ सहमति की वैधता वर्ष 2022 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मधापुर से ग्राम भवापुर होते हुये रिलायंस रोड मार्ग के निर्माण विषयक

37-श्री असलम अली-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम मधापुर से ग्राम भवापुर होते हुए रिलायंस रोड तक तथा ग्राम सरावा से ग्राम जोगीपुरा तक का संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संपर्क मार्गों का नव निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत समस्त बसावटें पूर्व से अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में मार्गों की दशा संतोषजनक है। सम्प्रति ग्रामों/बसावटों को परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश की नगर पालिका परिषद्रों में सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज भू-सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन के सम्बन्ध में

38-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका परिषद्रों में सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज भू-सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या नगर पालिका परिषद् सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर में नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित सभी भू-सम्पत्तियों का वार्षिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

पूर्व में निकाय की सम्पत्तियों के सत्यापन का कार्य किया गया था। सीमा विस्तार के उपरान्त वर्तमान भू-सम्पत्तियों का सत्यापन कराये जाने हेतु समिति गठित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री कार्यालय को दिये पत्र संख्या ख-6 नं0-465481 दिनांक 18-12-2018 पर कार्यवाही विषयक

39-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को सिकन्द्राबाद नगर में सामुदायिक केन्द्र तथा ऑडीटोरियम निर्माण हेतु नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0 465481 दिनांक 18-12-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासन के पत्र संख्या-2110/आठ-4-2019-83एन/2018 दिनांक 14.01.2019 तथा समसंख्यक अनुस्मरण पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा प्रस्तावित भूमि के नजूल भूमि अथवा ग्राम सभा की भूमि होने का विनिश्चय करने के उपरान्त उक्त भूमि के नजूल भूमि से आच्छादित होने की दशा में स्पष्ट संस्तुति सहित पूर्ण प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक नहर माइनर रजबहा की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में

40-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017 से वर्ष 2018 तक नहर, माइनर, रजबहा आदि में कुल कितने किलोमीटर सिल्ट सफाई कराई गई तथा उस पर कितना व्यय हुआ है एवं कितने किलोमीटर शेष रह गई है ? क्या सरकार शेष बचे हुये नहरों, माइनर, रजबहा की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

विभाग द्वारा विगत वर्ष खरीफ एवं रबी 1425 फसली (वर्ष 2017-18) में कुल 27496.11 कि0मी0 रजबहा व अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई करायी गयी है जिस पर धनराशि रु0 9954.55 लाख का व्यय किया गया। विभाग की नहरों, माइनरों, रजबाहों व अल्पिकाओं की कुल 34142.13 कि0मी0 की सफाई शेष रह गयी है।

जी हां।

धन की उपलब्धता तथा प्रचलित व्यवस्थानुसार प्रतिवर्ष दिनांक 15 अप्रैल से 15 जून तक केवल खरीफ नहरों पर तथा अन्य नहरों पर वर्ष में एक बार दिनांक 15 अक्टूबर से 15 दिसम्बर के मध्य सिल्ट सफाई का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान मण्डल सदस्यों को लखनऊ में प्लांट/आवास कम रेट पर दिये जाने की मांग

41-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के जिन सदस्यों के पास लखनऊ में आवास नहीं हैं, उन सदस्यों को लखनऊ में कम रेट पर प्लाट/आवास सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण संबंधी शासनादेश वर्ष 2013 प्रभावी होने से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही बाधित हो गयी है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बागपत की सीमा हरियाणा की सीमा में यमुना नदी पर ठोकरें बनाने की मांग

42-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली की सीमा में यमुना नदी की कटान प्रभावित क्षेत्र चिन्हित कर कटान को रोकने के लिए यमुना नदी पर सरकार ठोकरें बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

निविदा आमंत्रित कर ली गयी है। शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्री रोशन लाल वर्मा-

[03 बुधवार के अता0 प्र0सं0-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के वि0ख सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम मुड़िया पमार से पिपरियादास तक पक्के ऊबड़-खाबड़ जर्जर मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

44-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम मुड़िया पमार से पिपरियादास तक जर्जर मार्ग की सरकार मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव से रहदेवा तक पक्के जर्जर मार्ग के मरम्मत कराने विषयक

45-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड पुवायां के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव से रहदेवा तक जर्जर मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। बड़ागांव से रहदेवा (मुडिया रहदेवा) तक 4.30 किमी0 लम्बाई का लेपित मार्ग है। मार्ग का प्रारम्भिक 2.80 किमी0 लम्बाई का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है। मार्ग का शेष भाग 1.50 किमी0 मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

46-श्री रोशन लाल वर्मा-

[03 बुधवार के अता0 प्र0सं0-123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम महायुदुर्ग से जलालाबाद तक पक्के मार्ग के मरम्मत कराने विषयक

47-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम महायुदुर्ग से जलालाबाद तक का पक्का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के अंग्रेजी शराब व देशी शराब के सरकारी मूल्य से अधिक दामों पर बेचे जाने के सम्बन्ध में

48-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में अंग्रेजी व देशी शराब सरकारी मूल्य से अधिक दामों पर बेचे जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर ऐसे दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जय प्रताप सिंह-

जी नहीं।

शिकायत/औचक जांच में एम0आर0पी0 से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री पाये जाने पर शासनादेश संख्या-43/2018/2116 ई-2/तेरह-2018-46/2017, दिनांक 13.06.2018 के बिन्दु-14 में दिये निर्देशानुसार प्रश्मन की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के 119 ग्राम गन्ना समिति बभनान बस्ती में सम्बन्ध विषयक

49-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के 119 ग्राम गन्ना समिति बभनान बस्ती जनपद में जुड़े होने के कारण उनका कोई काम नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उक्त 119 ग्रामों के गन्ना समिति गौरा चौकी से रिपोर्ट तलब कर गोण्डा में जोड़ने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

गन्ना समिति, बभनान (बस्ती) के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित समस्त ग्रामों के पंजीकृत सभी गन्ना कृषक सदस्यों के कार्यों का निष्पादन एक समान रूप से किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-12, 13, 14, 16(1) एवं तद्विषयक नियमावली, 1968 के नियम-24 से 37 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित समितियों की सामान्य निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के क्रम में सहकारी गन्ना समिति के विभाजन एवं कार्यक्षेत्र नियत किए जाने एवं तद्नुसार सम्बन्धित गन्ना समितियों की प्रतिमान उपविधियों में संशोधन किए जाने के प्रावधान अंकित हैं।

उपर्युक्त के क्रम में मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र गौरा, जनपद-गोण्डा के पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 05-05-2018 व दिनांक 25-10-2018 के क्रम में सम्बन्धित गन्ना समिति, गौरा चौकी एवं बभनान की सामान्य निकाय की बैठक में प्रश्नगत 119 ग्रामों को गन्ना समिति, बभनान के कार्यक्षेत्र से निकालकर गन्ना समिति, गौरा चौकी में जोड़ने अथवा नई गन्ना समिति

सृजित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखने हेतु सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त को निर्देशित किया गया। तद्क्रम में गन्ना समिति, बभनान व गौरा चौकी में सम्पन्न हुई सामान्य निकाय की बैठक क्रमशः दिनांक 16-08-2018 व 04-08-2018 में दोनों गन्ना समितियों द्वारा उक्त प्रस्ताव को कृषक व समिति हित में सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यवाही औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम पचार से ग्राम अतवेई तक एवं ग्राम बिठरी से ग्राम अतवेई तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

50-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम पचार से ग्राम अतवेई तक एवं ग्राम बिठरी से ग्राम अतवेई तक का सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

ग्राम पचार से ग्राम अतवेई तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी0 है। यह कच्चे स्तर का मार्ग है। ग्राम पचार तथा ग्राम अतवेई पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। ग्राम पचार से ग्राम अतवेई तक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

ग्राम बिठरी से ग्राम अतवेई तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 5.50 किमी0 है। ग्राम बिठरी तथा ग्राम अतवेई पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। ग्राम बिठरी से ग्राम अतवेई तक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम किल्चवारा बुजुर्ग मजरा टूंका के बीच से सीमांकन के मध्य तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

51-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ग्राम किल्चवारा बुजुर्ग मजरा टूंका के बीच से सीमांकन के मध्य तक तथा

ब्लाक बड़ागांव के ग्राम पाड़री से ग्राम भोजला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

किल्चवारा बुजुर्ग से मजरा टूंका तक सम्पर्क मार्ग के लेपन स्तर तक नवनिर्माण हेतु अनुमानित लागत रु0 109.00 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम पाड़री एवं भोजला पूर्व से अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हुये हैं। अतः इन्हें आपस में एक-दूसरे से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के चौहानपुर कुर्रिया कांट मदनापुर कलान परौर गढ़िया छबि के ग्राम बरीखास के निकट हुये अवैध कब्जे को हटाने की मांग

52-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क चौहानपुर कुर्रिया कांट मदनापुर कलान परौर गढ़िया छबि अन्या जिला मार्ग पर ग्राम बरीखास के निकट दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायतों का निराकरण करते हुये सड़क पर किये गये अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

अतिक्रमण हटाया जाना पुलिस बल की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम छिरौना अतवेई मार्ग पर ग्राम मुडेई में पूर्व निर्मित रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट के निर्माण हेतु

53-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव में छिरौना अतवेई मार्ग पर ग्राम मुडेई में पूर्व निर्मित रपटे में बारिश के

समय पानी भर जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां। प्रश्नगत पूर्व निर्मित रपटे के स्थान पर आर0सी0सी0 बॉक्स कलवर्ट के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-19/2018/127/23-9-2018-06 नाबार्ड (सेतु)/17, दिनांक 21.03.2018 द्वारा रु0 43.80 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। आर0सी0सी0 बॉक्स कलवर्ट का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं पहुंच मार्ग कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम पहाड़ी से पहाड़ी डेरा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

54-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम पहाड़ी से ग्राम पहाड़ी डेरा (कबूतरों का डेरा) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

वर्ष 2011 की जनगणना की सूची में ग्राम पहाड़ी डेरा (कबूतरों का डेरा) का नाम अंकित नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार पहाड़ी डेरा (कबूतरों का डेरा) की आबादी 250 से कम है। अतः इस मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पलायन कर शहरों में आने से हो रही समस्याओं के विषयक

55-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पलायन कर शहरों में आकर बसने के कारण शहरों की नई आबादी क्षेत्रों मे मूलभूत

अवस्थापना सुविधाओं हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश के नगर निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, आदर्श नगर योजना, डॉ0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना, नगरीय पेयजल कार्यक्रम, नगरीय सीवरेज कार्यक्रम, नगरीय जल निकासी योजना, अन्त्येष्टि स्थल विकास तथा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना संचालित हैं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रोपित पौधों के संरक्षण के सम्बन्ध में

56-श्री सुखदेव राजभर-

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि से कुल कितने पौधे किस-किस प्रजाति के कुल कितने क्षेत्रफल में रोपित किए गए तथा उनमें से कुल कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 तथा वर्ष 2017-2018 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि की वर्षवार विवरण तथा रोपित किये गये पौधों की संख्या, प्रजाति एवं क्षेत्रफल व वर्तमान में जीवित पौधों का विवरण निम्नानुसार हैं-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रजातियों के नाम	रोपित पौध संख्या	जीवित पौधों की संख्या
2016-17	9.91	9.878	25.0	शीशम, जामुन, सिरस, चकरेसिया, बकैन आदि	34175	29736
2017-18	5.30	5.29	10.5	शीशम, ऑवला, नीम, सिरस, चकरेसिया, बकैन आदि	14125	12975

जी हां। विवरण संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

प्रति संलग्नः-

विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में साथा चीनी मिल से मीरपुर होते हुए हरदुआगंज मार्ग के मरम्मत कराने विषयक

57-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के साथा चीनी मिल से मीरपुर होते हुए हरदुआगंज मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा कर यातायात संचालित किया जा रहा है। मार्ग की मरम्मत हेतु रु0 51.82 लाख की धनराशि आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी हां।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ बरौली मार्ग से कलुआ मार्ग क्षतिग्रस्त के मरम्मत के सम्बन्ध में

58-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ बरौली मार्ग से कलुआ मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

अलीगढ़ बरौली मार्ग से कलुआ मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिस पर पैच मरम्मत का कार्य करा कर यातायात संचालित किया जा रहा है। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नोट :-† (देखिये नत्थी 'ख' के आगे पृष्ठ संख्या 148 पर)

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 से बरौली मार्ग बिजलीघर तक मार्ग के मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

59-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 से बरौली मार्ग बिजलीघर तक क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्य योजना में प्रस्तावित किया जा रहा है। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, संयुक्त सचिव व अन्य अधिकारियों द्वारा 7 भूखण्डों का आवंटन भिन्न-भिन्न नामों से अवैध रूप से करने के सम्बन्ध में

60-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सांसद सहित 7 भूखण्डों का आवंटन भिन्न-भिन्न नामों से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर निम्न दर पर अनियमित रूप से कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, संयुक्त सचिव व अन्य अधिकारियों द्वारा करने व उक्त हेतु गठित जांच समिति द्वारा शिकायत सही मानने के बावजूद लगभग 02 वर्ष व्यतीत होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23.01.2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

संलग्नक के अनुसार।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

[†] नोट :-(देखिये नत्थी 'ग' के आगे पृष्ठ 149-150 पर)

जनपद कानपुर नगर के घंटाघर से टाट मिल चौराहे से नया पुल तक उनके समानान्तर नये पुल के निर्माण विषयक

61-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के घंटाघर से टाट मिल चौराहा से नया पुल तक मिलाने वाला पुल संकरा होने से उस पर आये दिन जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल के सामानान्तर नया पुल बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

नये सेतु के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण किया जाना फिजिबिल नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में जी0टी0 रोड से हमीरपुर रोड के बीच में अफीम कोठी चौराहे से श्याम टाकीज से नहरिया के बीच 20 मकानों को मुआवजे देकर अन्यत्र बसाने के सम्बन्ध में

62-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में जी0टी0 रोड से हमीरपुर रोड के बीच में अफीम कोठी चौराहा से मा0 स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल सेतु (खलवा पुल) व श्याम टाकीज से नहरिया के बीच बचे लगभग 20 (बीस) मकानों को हटाकर चार लेन का मार्ग/निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

चार लेन चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में जल प्रवाह की समस्या के विषयक

63-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर की किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में कानपुर दक्षिण किदवईनगर में जल प्रवाह की समस्या के निदान हेतु सी0ओ0डी0 नाले को नगर निगम जोन 3 कानपुर नगर के अन्तर्गत शनिदेव मंदिर, एच ब्लाक किदवईनगर

से बाईपास तक एवं जोन-2 के अन्तर्गत बाईपास से हमीरपुर रोड तक गहरा व पक्का सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत नाला बाईपास के दोनों तरफ है। बाईपास के पूर्व नाला दो भागों में विभाजित है। एक नाला एच-ब्लाक से बाईपास तक, जिसकी लम्बाई लगभग 2.60 कि0मी0 एवं दूसरा नाला निहुरा गांव से सी0ओ0डी0 के किनारे-किनारे बाईपास तक, जिसकी लम्बाई 2.80 कि0मी0 है। बाईपास के पूर्व दोनों नाले मिलकर एक ही नाले में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कानपुर-सागर रोड के समानान्तर लगभग 3.75 कि0मी0 के बाद पाण्डू नदी में मिल जाता है। बाईपास के पूर्व नालों की चौड़ाई 2.50 -3.00 मीटर एवं बाईपास पर दोनों नालों के मिलने के पश्चात् नाले की चौड़ाई 11-18 मीटर है।

उक्त नाले को पक्का करने में लगभग 100.00 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है। नगर निगम द्वारा इतनी बड़ी धनराशि का कार्य अपने संसाधनों से कराया जाना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत कार्य की कार्य योजना उ0प्र0 जल निगम की सी0 एण्ड डी0एस0 इकाई से तैयार कराये जाने के उपरान्त धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवईनगर में जेड0पी0एस0 के द्वारा पानी की टंकी से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

64-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र में जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जेड0पी0एस0 के द्वारा स्थापित पानी की 10 टंकियों से पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ नहीं हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल आपूर्ति शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रारम्भ की गयी है।

जी हां।

दिसम्बर, 2019 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

सरिता सिंह कनिष्ठ सहा0 पी0सी0एफ0 जिला कार्यालय लखनऊ को वैभव कुमार क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा जान से मारने की धमकी अभद्र तथा अमर्यादित आचरण तथा मानसिक उत्पीड़न विषयक

65-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरिता सिंह कनिष्ठ सहायक पी0सी0एफ0 जिला कार्यालय लखनऊ को क्षेत्रीय प्रबन्धक पी0सी0एफ0 द्वारा जान से मारने की धमकी अभद्र तथा अमर्यादित आचरण तथा मानसिक उत्पीड़न की जांच में दिनांक 15-11-2018 को आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 दिनांक 24-10-2018 को उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग तथा दिनांक 16-10-2018 को दोषी ठहराते हुए निलम्बित कर दूसरी जगह सम्बद्ध करने की संस्तुति की गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जी हां।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की विभागीय जांच व पुलिस विभाग द्वारा विवेचना/जांच की गयी। जांच में किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम सरैनी के पास यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूर्ण कराने विषयक

66-कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सरैनी के पास यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य बंद है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उक्त स्वीकृत एवं निर्माणाधीन पुल की पुनः पुनरीक्षित लागत रु0 6542.01 लाख है। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र कालपी शहर के अन्दर फोर लेन रोड तथा ओवर ब्रिज के निर्माण विषयक

67-कुंवर नरेन्द्र पाल सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में कालपी शहर में स्वीकृत फोर लेन रोड तथा ओवरब्रिज का निर्माण कार्य सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रश्नगत फोर लेन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

जनपद बहराइच के सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया पर गन्ना किसानों का बकाया धन वापस दिलाने की मांग

68-श्री सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 05.02.2019 की स्थिति के अनुसार जनपद बहराइच में स्थित सिम्भावली शुगर मिल, चिलवरिया पर पेराई सत्र 2016-17 का रु0 25.99 करोड़ एवं पेराई सत्र 2017-18 का रु0 28.03 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिल चिलवरिया के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 22.02.2018 एवं 19.12.2018 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है।

बकाया गन्ना मूल्य की वूसली हेतु जिला प्रशासन के स्तर से राजस्व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद रेलवे क्रासिंग संख्या 62 पर आर0ओ0बी0 उपरगामी सेतु निर्माण विषयक

69-श्री मनीष असीजा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में आसफाबाद रेलवे क्रासिंग संख्या-62 पर आर0ओ0बी0 (उपरिगामी सेतु) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-467237, दिनांक 01-11-2018 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

70-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के वार्ड संख्या-63 के मौहल्ला मोमिन नगर एवं बगदाद नगर की आन्तरिक गलियां कच्ची एवं अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण जलभराव एवं गड्ढों की समस्या है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-467237 दिनांक 01-11-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

मोहल्ला मोमिन नगर व बगदाद नगर की आन्तरिक कच्ची एवं क्षतिग्रस्त गलियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र की कच्ची/क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 33,96,175/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-486254 दिनांक 08-01-2019 पर कार्यवाही विषयक

71-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के मोहल्ला झील की पुलिया में झील की पुलिया से हनुमान मन्दिर तक नाली निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-486254 दिनांक

08-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 11,28,050/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-485678 दिनांक 21-01-2019 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

72-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के मौहल्ला किशन नगर वार्ड नं0 47 में सरीफ मुल्ला जी के घर से हजीरा तक मार्ग कच्चा होने, जलभराव होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-485678, दिनांक 21-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

मोहल्ला किशन नगर सरीफ मुल्ला जी के घर से हजीरा तक कच्चे मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र की कच्ची/क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 35,02,440/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-485228 दिनांक 24-01-2019 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

73-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में मोहल्ला ऐलान नगर, रहना सरकारी नलकूप नाला स्थित मार्ग जर्जर होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों के

आवागमन में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को प्रेषित पत्र संख्या ख-6 नं0-485228 दिनांक 24-01-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 17,83,210/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में किये गये कार्यों में बरती गयी अनियमितता विषयक

74-श्री तसलीम अहमद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड-6 नजीबाबाद जनपद-बिजनौर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मानकों के विपरीत कराये गये कार्यों में भारी अनियमितता अधिशासी अभियन्ता एवं ठेकेदारों द्वारा बरती गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त की दो वर्षों के वित्तीय बजट के कार्यों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया गया है, जिसका सत्यापन जिला स्तरीय समिति एवं विभागीय समिति द्वारा किया गया है।

किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर का क्षमता विस्तार 3000 से 5000 डी0सी0वी0 करने की मांग

75-श्री तसलीम अहमद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड नजीबाबाद जनपद बिजनौर का क्षमता विस्तार 3000 से 5000 डी0सी0बी0 सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जी हां।

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 की घोषणा के अनुपालन में स्नेह रोड, नजीबाबाद में 5000 टी0सी0डी0 की चीनी मिल की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लि0 नई दिल्ली से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करा ली गई है। उक्त परियोजना का मूल्यांकन पी0आई0बी0 से कराने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के जोन नं0-2 वार्ड-66 के वाई-1 ब्लाक तिकुनिया पार्क में स्थित ट्यूबवेल से पानी की सुविधा दिलाने विषयक

76-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के जोन नं0-2 वार्ड नं0-66 के वाई-1 ब्लाक तिकुनिया पार्क में स्थित (किदवईनगर) ट्यूबवेल से जनता को स्वच्छ जल की आपूर्ति सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कानपुर नगर के किदवईनगर विधान सभा क्षेत्र के जोन नं0-2, वार्ड नं0-66 के वाई-1 ब्लाक तिकुनिया पार्क में स्थित ट्यूबवेल की बोरिंग वर्ष 2016-17 में खराब होने के कारण उसकी रि-बोरिंग का कार्य प्रस्तावित था परन्तु स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण रि-बोरिंग का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत इसी पार्क में जोनल पम्पिंग स्टेशन एवं ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया है, जिसकी टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त जोनल पम्पिंग स्टेशन एवं ओवरहेड टैंक से इस क्षेत्र में स्वच्छ जल की आपूर्ति शुरू हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में स्वीकृत आवास के सम्बन्ध में

77-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रचलित आसरा आवास योजना में 2017-18 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में कुल कितने आवास स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत आवासों को कब तक निर्मित कराकर लाभार्थियों को आवंटित कर दिया जायेगा ? क्या सरकार जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में वित्तीय वर्ष 2017-18

में उक्त योजना के लाभ से वंचित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2018-19 की आसरा आवास योजना में सम्मिलित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में आसरा योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के आरम्भ आवासों को ही पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है और नयी परियोजनायें स्वीकृत नहीं की जा रही हैं। जनपद-मथुरा की निकाय न0पं0, बाजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 96 आवास स्वीकृत थे, जिसमें से पूर्ण हो चुके 72 आवासों का आवंटन पात्र लाभार्थियों को किया जा चुका है। अवशेष आवासों को पूर्ण कराकर पात्र आवेदकों को आवंटित करा दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के सिंचाई विभाग के क्षतिग्रस्त मार्गों को मरम्मतीकरण करवाने विषयक

78-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में सिंचाई विभाग के अधिकांश मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मतीकरण/पुनर्निर्माण की विशेष परियोजना में सम्मिलित करके उक्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

निचली मांट शाखा खण्ड गंगा नहर, मथुरा के कार्य क्षेत्र में कि0मी0 70.310 लम्बाई के नहर सेवा मार्ग क्षतिग्रस्त थे, जिसमें 8.910 कि0मी0 लम्बाई के नहर सेवा मार्ग की मरम्मत/गड्ढा मुक्ति का कार्य अन्य विभागों द्वारा कराया जा चुका है। कि0मी0 16.00 नहर सेवा मार्ग का गड्ढा मुक्ति का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है, जिस पर बिटुमिन का कार्य अवशेष है। मांट शाखा के 45.400 कि0मी0 लम्बाई में नहर सेवा मार्ग की मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाना है, जिस हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 से एम0ओ0यू0 किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत 250 तथा 500 की आबादी से ऊपर ग्रामों के मार्गों को मुख्य मार्ग से जोड़ने विषयक

79-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत 250 तथा 500 की आबादी से ऊपर के ग्रामों व मजरों की सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी के जनपद मथुरा के समस्त राजस्व ग्राम तथा 500 से अधिक आबादी के समस्त मजरे पूर्व से लेपित सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में कुल सड़कों के गड्ढा मुक्त करने एवं मरम्मतीकरण विषयक

80-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में कुल कितनी व कौन-कौन सी सड़कें गड्ढा मुक्त अभियान के अन्तर्गत 2017-18 में गड्ढा मुक्त की गयी व किन-किन सड़कों का नव निर्माण कराया गया है तथा उक्त कार्यों हेतु आवंटित धनराशि किस मद में कितनी उपयोग की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार शेष क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन करके 2018-19 वित्तीय वर्ष में उक्त सड़कों का मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

विधान सभा क्षेत्र मांट में गड्ढा मुक्त अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 71 मार्गों को गड्ढामुक्त तथा 02 मार्गों पर नव निर्माण का कार्य कराया गया है। गड्ढा मुक्ति कार्य हेतु रु0 109.81 लाख आवंटित किया गया। जिसे शतप्रतिशत गड्ढा मुक्ति हेतु व्यय किया गया तथा नव निर्माण कार्य हेत रु0 82.410 लाख आवंटित किया गया जिसे शतप्रतिशत नव निर्माण हेतु व्यय किया गया है।

जी हा। विवरण संलग्न है।[†]

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्यों के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) गुड्ढा मुक्ति हेत 36 मार्गों का चयन किया गया, जिसकी कुल लम्बाई 82.01 किमी0 तथा आवंटित धनराशि रु0 40.90 लाख है, जो लक्ष्य के अनुसार पूर्ण करा दी गयी है।

(2) नव निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत 18 मार्गों हेतु 19.320 किमी0 लम्बाई तथा लागत रु0 1253.80 लाख आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष 15 कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है तथा अवशेष 03 कार्य प्रगति पर हैं।

[†] नोट :-(देखिये नत्थी 'घ' के आगे पृष्ठ 151-153 पर।)

(3) नवीनीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत 14 मार्गों हेतु 35.765 किमी0 लम्बाई तथा लागत रु0 388.21 लाख आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष 35.695 किमी0 लम्बाई में कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है।

(4) विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत 28 मार्गों हेतु 38,765 किमी0 लम्बाई तथा लागत रु0 776.53 लाख आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष 26.645 किमी0 लम्बाई में कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है तथा अवशेष 12.120 किमी0 लम्बाई में कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम जलालाबाद से बबौरी तक पक्के उबड़-खाबड़ मार्ग के डामरीकरण कराने की मांग

81-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम जलालाबाद से बबौरी तक जर्जर मार्ग की सरकार मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम जलालाबाद एवं ग्राम बबौरी पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुये हैं। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम महायुदुर्ग चौराहे से पिपरियादास तक पक्के उबड़ जर्जर मार्ग की मरम्मतीकरण एवं डामरीकरण कराने की मांग

82-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम महायुदुर्ग चौराहे से पिपरियादास तक जर्जर मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम महायुदुर्ग एवं ग्राम पिपरियादास पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पिपरिया प्रहलाद से कंजा तक पक्के मार्ग के डामरीकरण की मांग

83-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पिपरिया प्रहलाद से कंजा तक जर्जर मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम पिपरिया प्रहलाद एवं ग्राम कंजा पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पिपरियादास नहर पटरी से कीरतपुर तक पक्के मार्ग की मांग

84-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत ग्राम पिपरियादास नहर पटरी से कीरतपुर तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम पिपरियादास एवं ग्राम कीरतपुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम उल्लिया से ताहरपुर तक पक्के ऊबड़ मार्ग के मरम्मत कराने विषयक

85-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम उल्लिया से ताहरपुर तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम उल्लिया एवं ग्राम ताहरपुर पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। अतः इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के बालागंज कैम्पवल रोड पर बना डा0 अम्बेडकर पार्क की मरम्मत कराने की मांग

86-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के बालागंज में कैम्पवल रोड पर स्थित डा0 अम्बेडकर पार्क जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

पार्क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जो एक माह में पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 नगर पालिका केन्द्रीयित सेवा में ट्रैफिक इंजीनियरिंग अधिशासी अभियन्ता के सृजित पदों के विषयक

87-श्री संजग गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका केन्द्रीयित सेवा में ट्रैफिक इन्जीनियरिंग हेतु अधिशासी अभियन्ता के कितने पद सृजित हैं तथा उसके

सापेक्ष कितने अधिशासी अभियन्ता वर्तमान में कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (ट्रैफिक) के कुल 07 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 05 अधिशासी अभियन्ता तैनात/कार्यरत हैं तथा 02 पद रिक्त हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) अभियंत्रण ट्रैफिक सेवा के अधिशासी अभियन्ता (ट्रैफिक) शत प्रतिशत पदोन्नति का पद है, जो सहायक अभियन्ता (ट्रैफिक) से पदोन्नति के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता (ट्रैफिक) के पद को भरे जाने की व्यवस्था है। सहायक अभियन्ता (ट्रैफिक) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1896/2010 एवं रिट याचिका संख्या-2(एस/बी)/2011 में पारित आदेश दिनांक 23-12-2010 एवं 05-01-2011 से आच्छादित है। सम्प्रति प्रश्नगत याचिका अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन (Subjudice) है। सहायक अभियन्ता (ट्रैफिक) की विस्तारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत होने के उपरान्त सहायक अभियन्ता (ट्रैफिक) से प्रोन्नति कर अधिशासी अभियन्ता (ट्रैफिक) के रिक्त पद को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर, मथुरा एवं झांसी में नगर निगम में पद सृजित एवं रिक्त पद के सम्बन्ध में

88-श्री संजय गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर, मथुरा तथा झांसी नगर निगम में स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त निगमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित) सेवा के अन्तर्गत नगर निगम, सहारनपुर में 1344 पद सृजित हैं, 733 पद भरे हैं तथा 611 पद रिक्त हैं। नगर निगम, मथुरा में 1543 पद सृजित हैं। 912 पद भरे हैं तथा 631 पद रिक्त हैं तथा नगर निगम, झांसी में 647 पद सृजित हैं। 358 पद भरे हैं तथा 289 पद रिक्त हैं। अतः उल्लिखित तीनों नगर निगमों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1531 (तृतीय श्रेणी के 114+चतुर्थ श्रेणी के 1417) पद रिक्त हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित) सेवा के चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर समस्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये गये हैं। लोक सेवा आयोग/उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्तुति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त उक्त नगर निगमों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर वर्तमान में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री को दिये गये पत्र संख्या क-6-133409 दिनांक 29-10-2018 एवं आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18143180218429 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

89-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6-133409 दिनांक 29-10-2018 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 18143180218429 जो कि जनपद अलीगढ़ में एन0एच0 91 से वीरपुरा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उक्त पत्र के संबंध में उप सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-09(4)(1)/23-11-2019, दिनांक 10-01-2019 द्वारा प्रकरण में वस्तु स्थिति से मा0 सदस्य विधान सभा को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र संख्या क-6-133105 दिनांक 28-08-2018 पर कार्यवाही विषयक

90-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6-133105, दिनांक 28-08-2018 जो कि जनपद अलीगढ़ में विधान सभा क्षेत्र बरौली में मिसिंग लिंक मार्गों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र वर्णित 15 मार्गों में से क्र0सं0-1, 2, 5, 7 से 15 तक कुल 12 मार्ग का निर्माण शासनादेश संख्या 09/2018/729/23/02/2018 लखनऊ दि0 08-10-2018 के अनुपालन में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया जाना है, शेष क्र0सं0-3 विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है। क्र0सं0-4 चक्रानुसार 2019-20 हेतु नवीनीकरण में प्रस्तावित किया जा रहा है तथा क्र0सं0-6 पर वर्णित मार्ग राज्य मार्ग/प्रमुख जिला मार्ग के 5 कि0मी0 की परिधि में आने वाली अनजुड़ी बसावट को जोड़ने हेतु रु0 25.88 लाख की धनराशि आंकलित है। जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र संख्या क-6-072656 दिनांक 16-05-2018 एवं आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18143180118663 पर कार्यवाही विषयक

91-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6-072656 दिनांक 16-05-2018 जो कि जनपद अलीगढ़ में बरौली से श्यामपुर दाऊपुर होते हुये पहासू मार्ग लम्बाई लगभग 5 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 18143180118663 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-सीएम-743/23-1-18-503/16टीसी दिनांक 28-08-2018 द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा को स्थिति से अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के पत्र संख्या क-6-133353 दिनांक 19-12-2018 एवं आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18157180241643 पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

92-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6-133353 दिनांक 19-12-2018 जो कि जनपद अलीगढ़ में तालानगरी से सपेरा भानपुर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18157180241643 दिनांक 19-12-2018 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की गई। प्रश्नगत मार्ग मण्डी परिषद् से संबंधित है। अतः इस प्रकरण को मण्डी परिषद् से संबंधित विभाग कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र संख्या क-6-133340 दिनांक 10-01-2018 एवं आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18143190008782 दिनांक 10-01-2019 पर शीघ्र कार्यवाही विषयक

93-श्री दलवीर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6-133340 दिनांक 10-01-2019 जो कि जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की नहर व रजबाहों की आन्तरिक अनुभाग की पुनर्स्थापना व पुलों की मरम्मत के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय के आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-18143190008782 दिनांक 10-01-2019 द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग से आख्या प्राप्त की गई। प्रकरण सिंचाई विभाग से संबंधित है। अतः इस प्रकरण को सिंचाई विभाग को आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर/निदेशक के पत्रांक सं0-एन0एच0ए0आई0/पी0आई0यू0ए0एल0जी0/44021/2018/डी-10884 दिनांक 06-10-2018 पर कार्यवाही विषयक

94-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अलीगढ़ के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर/परियोजना निदेशक के पत्रांक सं0-एन0एच0ए0आई0/पी0आई0यू0ए0एल0जी0/44021/2018/डी-10884, दिनांक 06-10-2018 के उपरान्त भी मै0 गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेस-वे प्रा0 लि0 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 के कि0मी0 सं0-23.600 से कि0मी0 सं0-140.200 के बीच मरम्मत तथा शेष निर्माण कार्य नहीं कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत मार्ग के किमी0 23.600 से कि0मी0 सं0-

149.200 तक मरम्मत का कार्य रियायतग्राही द्वारा करा दिया गया है तथा शेष कार्य में नाली का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्य कार्य रियायतग्राही द्वारा शीघ्र ही करा दिया जायेगा।

95-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के ग्राम मोंड़कला में गूल कुलावा नं0 4 की मरम्मत एवं गूल को एक मीटर चौड़ी व एक मीटर गहरी सहित पुनः निर्माण कराये जाने विषयक

96-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम मोंड़कला में बरल माइनर पर बनी गूल कुलावा नं0 4 क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गूल को एक मीटर चौड़ी एक मीटर गहरी कराकर पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रश्नगत सन्दर्भित गूल का पुर्ननिर्माण/मरम्मत विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि सिंचाई हेतु कच्ची गूल/पक्की गूल, जल नियंत्रक संरचनाओं का निर्माण उ0प्र0 क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार कराया जाता है। तद्नुसार विभाग द्वारा निष्पादन के उपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों को सम्बन्धित चक/जल प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा पदेन सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत/जल प्रबन्ध समिति कार्य की महत्ता के दृष्टिगत रखते हुए गूल की मरम्मत/पुर्ननिर्माण करा सकती है। अधिनियम के अन्तर्गत विभाग द्वारा निष्पादन के उपरान्त सृजित गूल की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के झांसी प्रखंड बेतवा नहर डिवीजन की पहूज नहर के ग्राम इसागढ़ से ग्राम मवई तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक

97-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव में झांसी प्रखंड बेतवा नहर डिवीजन की पहूज नहर के ग्राम इसागढ़ से ग्राम मवई तक नहर की सर्विस रोड लगभग 10 कि0मी0 क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सर्विस रोड के सी0सी0 रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम लेवा में भादई नदी पर सेतु निर्माण विषयक

98-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम लेवा में भादई नदी पर सेतु का निर्माण ग्राम धमना मवई गिर्द के मध्य में पहूज नदी पर सेतु का निर्माण एवं ग्राम वराठा पर बेतवा नदी पर सेतु का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतुओं का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत सेतुओं का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम चौरी बुजुर्ग से ठाकुर बाबा की नहर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

99-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत ग्राम जौरी बुजुर्ग से ठाकुर बाबा की नहर तक सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम जौरी बुजुर्ग से बहटा पालर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

ग्राम जौरी बुजुर्ग (ग्रामीण मार्ग) पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः जौरी बुजुर्ग ठाकुर बाबा की नहर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

ग्राम जौरीबुजुर्ग एवं ग्राम बेहटा पालर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः इन्हें एक-दूसरे से आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम सिमरावारी तिलकनगर से मजरा बादली रूट तक ग्राम बसाई से मध्य प्रदेश की सीमा तक सम्पर्क मार्ग आदि मार्गों के निर्माण हेतु

100-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बबीना के अन्तर्गत ग्राम सिमरावारी तिलकनगर से मजरा बादली रूट तक, ग्राम बसाई से मध्य प्रदेश की सीमा तक, ग्राम चंदौली, सम्पर्क मार्ग ग्राम चंदरा से ग्राम रौनीजा तक, ग्राम खैरा सम्पर्क मार्ग से उमरवाहा तक, ग्राम राजापुर इमिलिया वदनपुर से पटकुइंया तक व ग्राम राजापुर इमिलिया वदनपुर से वदनपुर आदिवासी मुहल्ला तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्न में वर्णित मार्गों की स्थिति निम्नवत् हैः-

1- सिमरावारी तिलक नगर से मजरा बादली रूट तक सम्पर्क मार्ग-ग्राम सिमरावारी तिलक नगर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा बादली रूट एक मजरा है। मजरे की आबादी 224 है, जो 250 से कम है। अतः मजरे को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

2- ग्राम बसई से मध्य प्रदेश की सीमा तक सम्पर्क मार्ग-ग्राम बसाई पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

3- चन्दौली सम्पर्क मार्ग-चन्दौली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु आगणन गठित है। मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

4- चन्दरा से रौनीजा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य-ग्राम चन्दरा एवं रौनीजा पूर्व से ही अलग-अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। अतः इसे परस्पर जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

5- खैरा सम्पर्क मार्ग से उमरवाहा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य-उमरवाहा ग्राम की आबादी 2001 की जनगणना के आधार पर 175 है, जो कि 250 से कम है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

6- राजापुर इमिलिया बदनपुर से पटकुइयां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य-पटकुइयां ग्राम की आबादी 2001 की जनगणना के आधार पर 105 है, जो कि 250 से कम है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

7- राजापुर इमिलिया बदनपुर से बदनुपुर आदिवासी मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य-आदिवासी मुहल्ला की आबादी 2001 की जनगणना के आधार पर 105 है, जो कि 250 से कम है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में स्थित बिसवां राजवाहा की पूर्ण रूप से अन्तिम टेल तक सफाई कर पानी पहुंचाने की मांग

101-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद में स्थित बिसवां रजवाहा में टेल तक पानी सरकार पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद में स्थित बिसवां राजवाहा में रबी 1426 फसली में दिनांक 14-01-2019 को टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद की विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत सरइया रेलवे स्टेशन से ग्राम पहरियां को जाने वाली रोड के बीच में स्थित क्षतिग्रस्त पुलियों को मरम्मत कराने की मांग

102-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत सरइया रेलवे स्टेशन से ग्राम पडरियां को जाने वाली डामर रोड के बीच मे स्थित

दो पुलिया जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत दोनों पुलिया वर्तमान में सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद के तहसील के अन्तर्गत समसाबाद डामर रोड से लोन जिगनिया तक कार्य पूरा कराने की मांग

103-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत समसाबाद से लोन जिगनिया तक अधूरी पड़ी डामर रोड का काम सरकार पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

मार्ग का अवशेष कार्य मार्च, 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन महमूदाबाद की बाउण्ड्री व महिला चिकित्सालय की बाउण्ड्री व ध्वस्त शौचालय को हटाने विषयक

104-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन महमूदाबाद की बाउण्ड्री, महिला चिकित्सालय महमूदाबाद की बाउण्ड्री एवं महमूदाबाद पैंतेपुर रोड पर स्थित सार्वजनिक शौचालयों, पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क सीमा के अन्तर्गत अवैध रूप से निर्मित किये जाने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिला चिकित्सालय की बाउण्ड्री व उक्त शौचालयों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

1- रोडवेज बस स्टेशन महमूदाबाद की बाउण्ड्री प्राप्त अभिलेखों के अनुसार लो0नि0वि0 की सड़क सीमा के अन्तर्गत नहीं है।

2- महिला चिकित्सालय महमूदाबाद की बाउण्ड्री प्राप्त अभिलेखों के अनुसार लो0नि0वि0 की सड़क सीमा के अन्तर्गत नहीं है।

3- डूडा विभाग द्वारा निर्मित 30 शौचालयों को हटाने हेतु नोटिस दी जा चुकी है।

क्रमांक-3 के अनुसार शौचालयों को हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

क्रमांक-3 के अनुसार स्थित शौचालयों को यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत बिलरियागंज में कासीमगंज चौराहे से अढ़तहीया चौराहे होते हुए जीयनपुर मार्ग की सड़क के निर्माण सम्बन्धी

105-श्री नफीस अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत बिलरियागंज में कासीमगंज चौराहे से अढ़तहीया चौराहे होते हुए जीयनपुर मार्ग की सड़क पूरी जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उत्तर-कासीमगंज चौराहे से अढ़तहीया चौराहे होते हुए जीयनपुर मार्ग तक प्रश्नगत सड़क की दूरी 1 किमी0 500 मी0 है, जिसमें से कासीगंज चौराहे से 325 मी0 नगर पंचायत बिलरियागंज के क्षेत्राधिकार में है तथा उसके आगे 375 मी0 सड़क ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित की गयी थी। शेष 800 मी0 सड़क अढ़तहीया शुद्ध नाम अकटहीया चौराहा से जीयनपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0प्र0 आजमगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कराया गया था। सम्पूर्ण सड़क जर्जर हो गयी है। उक्त जर्जर सड़क में से नगर पंचायत बिलरियागंज द्वारा 325 मी0 तथा जिला पंचायत द्वारा 375 मी0 और राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ0प्र0 आजमगढ़ द्वारा अवशेष 800 मी0 सड़क का पुनःनिर्माण कराया जायेगा।

जनपद लखनऊ के इन्द्रलोक कालोनी कृष्णानगर के ब्लाक जे0के0एल0 में अध्यासियों द्वारा अपने आवासों के सामने किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में

106-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्द्रलोक कालोनी, कृष्णानगर लखनऊ के ब्लाक जे0के0एल0 में कुछ अध्यासियों द्वारा अपने आवासों के बाहर पेड़-पौधे, फूल के सहारे लोहे के बाड़ लगाकर एवं वाहन खड़ा करने के लिए स्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है ?

यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जों को हटाकर सड़क खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर किये गये अस्थायी अवैध कब्जों को हटाने हेतु नगर निगम द्वारा भवन स्वामियों को नोटिसें जारी कर दी गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत वार्ड नं0-49 भेंड़ियागढ़ में सोडियम लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में

107-श्री पारसनाथ यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गोरखपुर अन्तर्गत वार्ड नं0-49 भेंड़ियागढ़ में बिना सोडियम लाइट लगाये ही अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के बीच करीब पांच लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को गलत तरीके से कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

नगर निगम, गोरखपुर के अन्तर्गत वार्ड नं0 49 भेंड़ियागढ़ में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के बीच किसी भी प्रकार का कोई भुगतान ठेकेदार को सोडियम लाईट के लिये नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में नहर/माइनर/राजवाहे की सफाई के विषयक

108-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कितनी नहर/माइनर/राजवाहे हैं व जनपद में वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में दिनांक 25-01-19 तक कितने नहर/माइनर/राजवाहे की सफाई करायी गयी, उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पर सफाई कराने

में कितनी धनराशि का व्यय हुआ है ? क्या सरकार जनपद के शेष नहर/माहनर/राजवाहे की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बागपत में कुल 01 नहर/24 माइनर/17 राजवाहे हैं।

जनपद बागपत के वर्ष 2017-18 में 348.135 किमी0 तथा वर्ष 2018-19 में दिनांक 25-01-2019 तक 231.17 किमी0 नहर/माइनर/राजवाहे की सफाई करायी गयी है, जिनके नाम तथा व्यय की धनराशि का विवरण संलग्नक-02, 03, 04, 05 एवं 06 पर अंकित है।†

जी हां।

शासन द्वारा अनुमोदित विभागीय कार्यक्रम के अनुसार तथा जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित मनरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्षवार नहर/माइनर/राजवाहे की सिल्ट सफाई करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम खेड़ा इस्लामपुर जनपद बागपत में यमुना नदी के पानी से किसानों की भूमि के कटान के सम्बन्ध में

109-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के ग्राम खेड़ा इस्लामपुर में यमुना नदी के पानी से किसानों की भूमि का कटान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की भूमि के कटान को रोकने हेतु यमुना नदी में ठोकर का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

परियोजना तैयार की गयी है। परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदित होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में अलावलपुर ड्रेन की पटरी के मरम्मत विषयक

110-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के अलावलपुर ड्रेन की पटरी (बड़ौत बुढाना मार्ग, ग्राम बिजरोल के ग्राम बाजिदपुर, गुराना, हिलवादी, नोरोजपुर गुर्जर से गुजरती हुई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुफा वाले बाबा मंदिर, दिल्ली सहारनपुर रोड तक)

---

† छापा नहीं गया।

जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त पटरी का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं। सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेन की पटरी पर सड़क मार्ग का निर्माण नहीं कराया जाता है। अतः विषयगत प्रश्न पर कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र, सोरांव में शारदा सहायक से दोनैया वाया चकियां धमौर होते हुए कलुआपुर माइनर की खुदाई कराने की मांग

111-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में शारदा साहयक से दोनैया वाया चकियां धमौर होते हुए कलुआपुर माइनर की खुदाई न होने से पानी आने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माईनर की खुदाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी हां।

दिनांक 05-01-2019 से 15-01-2019 तक नहर संचालन के समय कलुआपुर माईनर की टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरजू कैनाल, राप्ती मुख्य नहर में जनवरी, 2018 से जून, 2018 में हुये कार्यों में मजदूरों की मजदूरी के भुगतान कराने विषयक

112-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरजू कैनाल, राप्ती मुख्य नहर खण्ड 3 व 4 में माह जनवरी, 2018 से जून, 2018 के मध्य कराये गये कार्यों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि एस0ई0डब्लू0 आदिनाथ कम्पनी फैजाबाद एवं आर0जी0 बिल्डर दिल्ली के द्वारा उक्त अवधि में कराये गये कार्यों से सम्बन्धित मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मजदूरी का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

माह जनवरी, 2018 से जून, 2018 के मध्य राप्ती मुख्य नहर में सरयू नहर खण्ड-3, बहराइच द्वारा सरयू मुख्य नहर के किमी0 0.250 से किमी0 16.240 के मध्य नहर निर्माण तथा किमी0 18.650 पर ड्रेनेज साइफन का निर्माण कराया गया। माह जनवरी, 2018 से जून, 2018 के मध्य राप्ती मुख्य नहर में सरयू नहर खण्ड-4, बहराइच द्वारा सरयू मुख्य नहर के किमी0 23.340 से किमी0 24.008 तथा किमी0 22.600 से किमी0 22.732 तक नहर निर्माण तथा राप्ती मुख्य नहर के किमी0 21.530 पर ड्रेनेज साइफन का निर्माण कराया गया।

खण्डों द्वारा फर्म को किये गये कार्यों का भुगतान किया जाता है। उक्त कार्य में लगाये गये मजदूरों को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। आदिनाथ कम्पनी फैजाबाद एवं आर0जी0 बिल्डर दिल्ली द्वारा सरयू परियोजना-प्रथम संगठन के अधीनस्थ खण्डों में कार्य नहीं कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में नगर निगम के द्वारा साफ-सफाई के लिए आवंटित धनराशि तथा निविदा के सम्बन्ध में

113-श्री सुखदेव राजभर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, वर्ष 2018 में लखनऊ में साफ-सफाई हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि के झाड़ू/फावड़े आदि की खरीद की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त खरीद हेतु कोई निविदा निकाली गयी थी ? यदि हां, तो उक्त की खरीद हेतु किस फर्म को निविदा दी गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सामग्री की वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माह फरवरी, 2018 में लखनऊ नगर निगम द्वारा झाड़ू/फावड़े आदि की कोई खरीद नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 स्थित सेन्ट्रल पार्क एवं अन्य पार्कों के सौन्दर्यीकरण विषयक

114-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार सेक्टर-4 स्थित सेन्ट्रल पार्क एवं अन्य पार्कों का सौन्दर्यीकरण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जून, 2019 तक।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के बभनान टाउन एरिया में सोसाइटी रोड के सामने की मात्र 500 मीटर सड़क अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

115-श्री फतेह बहादुर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बभनान टाउन एरिया में सोसाइटी रोड के सामने की 500 मीटर सड़क के निर्माण हेतु टेंडर तथा धन आवंटन हो जाने के बाद भी उक्त का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्य वित्त आयोग मद से प्रश्नगत सड़क के निर्माण के लिये टेंडर कराया गया था। स्थल पर स्वामित्व का विवाद होने पर मा0 सिविल जज सीनियर डिवीजन बस्ती के न्यायालय से स्थगनादेश दिनांक 24-09-2015 प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। वर्तमान में भी संदर्भित वाद, प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या-45/2014 राजेन्द्र प्रताप सिंह बनाम नगर पंचायत बभनान आदि विचाराधीन है।

जनपद देवरिया के रामपुर कारखाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लम्बित नलकूपों की स्थापना की मांग

116-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा के अन्तर्गत लम्बित नलकूपों की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु माननीय विधायक से प्राप्त 23 प्रस्तावों को जिला नलकूप स्थल चयन समिति की बैठक में

प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा अनुमोदित 04 स्थलों का चयन किया गया जिन पर छिद्रण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अवशेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि डा0 राम मनोहर लोहिया 2000 नवीन राजकीय नलकूप परियोजना (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद देवरिया में सामान्य श्रेणी के 27 राजकीय नलकूप एवं विशेष घटक श्रेणी के 05 राजकीय नलकूप, कुल 32 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत गंडक नदी पर रेग्यूलेटर के माध्यम से सिंचाई हेतु विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में

117-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत गंडक नदी पर रेग्यूलेटर के माध्यम से सिंचाई हेतु विभाग की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गंडक संगठन के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में बैराज पूर्व से निर्मित है जिससे गंडक नहर प्रणाली पर जगह-जगह क्रास रेग्यूलेटर पूर्व से ही निर्मित हैं। जिनका संचालन कर पानी नियंत्रित करते हुये छोटी-छोटी नहरों के माध्यम से सिंचन क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। जनपद देवरिया का क्षेत्र गंडक नहर प्रणाली से आच्छादित है। गंडक नदी में रेग्यूलेटर बनाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

गन्ना किसानों के भुगतान विषयक

118-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में 14 दिन से ज्यादा की देरी करने पर नियमानुसार गन्ना सीजन 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में दिनांक 25.01.19 तक गन्ना मूल्य के अतिरिक्त सरकार ब्याज की धनराशि भी किसानों को दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 25.01.2019 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2016-17 में देय गन्ना मूल्य रु0 25386.50 करोड़ के सापेक्ष रु0 25333.91 करोड़ का, पेराई सत्र 2017-18 में देय

गन्ना मूल्य रु0 35463.68 करोड़ के सापेक्ष रु0 43243.09 करोड़ का एवं पेराई सत्र 2018-19 में, 14 दिन पूर्व अवधि तक देय, गन्ना मूल्य रु0 11463.17 करोड़ के सापेक्ष रु0 5389.23 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है।

पेराई सत्र 2016-17 के अन्तर्गत 02 बकायेदार चीनी मिल क्रमशः वाल्टरगंज एवं चिलवरिया है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है।

प्रदेश के गन्ना कृषकों को पेराई सत्र 2017-18 के अवशेष गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान कराये जाने के दृष्टिगत बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 02.02.2018, दिनांक 23.02.2018, दिनांक 26.02.2018, दिनांक 13.04.2018, दिनांक 07.05.2018 एवं दिनांक 29.06.2018 में नोटिसें निर्गत कर त्वरित भुगतान कराने का प्रयास किया गया है जिसमें प्रमुख बकायेदार 10 चीनी मिलों यथा-मलकपुर, मोदीनगर, बुलन्दशहर, बृजनाथपुर, बिसौली, गागलहेडी, गडौरा, वाल्टरगंज, चिलवरिया एवं शामली के विरुद्ध नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया है।

पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 04.02.2019 को नोटिसें निर्गत कर त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

विलम्बित गन्ना मूल्य भुगतान करने पर ब्याज के सम्बन्ध में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत सरयू नहर के शाखाओं में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

119-श्री सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत सरयू नहर की ऐसी कितनी शाखाएं हैं जिनकी खुदाई होने के बाद भी वर्षों से निष्प्रयोज्य हैं तथा इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार निष्प्रयोज्य नहरों को चालू कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कुल 26 नहरें हैं, जिनमें 11 नहरें पूर्ण रूप से चलित हैं। शेष 15 नहरें पूर्व में गैप्स रहने के कारण पूर्ण रूप से चलित नहीं थीं।

सभी अवशेष 15 नहरों के गैप्स की भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 6.6767 हेक्टेयर है, प्राप्त कर ली गई हैं तथा उक्त लम्बाई में नहर निर्माण कराकर तथा पूर्व निर्मित लम्बाई में

पुनर्स्थापना का कार्य प्रगति में है। नहर निर्माण एवं पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त सभी नहरों में किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली सरयू नहर के मुख्य एवं ब्रान्चों में वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में सफाई के लिए खर्च किये गये धन की जानकारी की मांग

120-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत सरयू नहर के विभिन्न ब्रान्चों पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सफाई एवं निर्माण आदि पर कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र की नहरों पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में हुए व्यय का विवरण निम्नवत् है:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल व्यय रु0 463.08 लाख (जिसमें रु0 392.42 लाख का भूमि के बैनामा कार्य में हुआ खर्च सम्मिलित है) किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल व्यय रु0 85.44 लाख (जिसमें रु0 36.63 लाख का भूमि के बैनामा कार्य में हुआ खर्च सम्मिलित है) किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

121-श्री अजय कुमार लल्लू-

[02 मंगलवार के अता0 प्र0सं0-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 के उत्तर के सम्बन्ध में

122-श्री संजय गर्ग-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2018 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-184 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला घसियारीपुरा के स्थायी एवं समुचित जलनिकासी की व्यवस्था होने तक गोण्डा रेलवे क्रासिंग से मंदिर तक जाने वाले मार्ग से एस0पी0 मिश्रा के मकान तक उक्त क्षेत्र में जल जमाव से होने वाली बीमारियों से नागरिकों को बचाने के लिए जर्जर नाली के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पुनः नाली का निर्माण पूर्व की भांति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

मोहल्ला घसियारीपुरा के स्थायी एवं समुचित जल निकासी की व्यवस्था होने तक गोण्डा रेलवे क्रासिंग से मंदिर तक जाने वाले मार्ग से एस0पी0 मिश्रा के मकान तक नगर पालिका परिषद्, बहराइच द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नाली निर्माण/मरम्मत हेतु आगणन प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता वृद्धि विषयक

123-श्री दलवीर सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

वर्तमान में सहकारी चीनी मिल साथा की क्षमता विस्तार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिल साथा की स्थापना वर्ष 1976-77 में की गई थी। इस चीनी मिल का प्लाण्ट एवं मशीनरी लगभग 42 वर्ष पुरानी हो चुकी है। यदि इसके स्थान पर कोजनरेशन एवं एलकोहल प्लाण्ट के साथ 3500 टी0सी0डी0 क्षमता का नया प्लाण्ट स्थापित किया जाता है तो लगभग 350.00 करोड़ की लागत आने की सम्भावना है। 3500 टी0सी0डी0 के प्लाण्ट के लिए एक सीजन में न्यूनतम 50 से 55 लाख कुण्टल गन्ने की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गत 05 पेराई सत्रों में से साथा चीनी मिल को एक पेराई सत्र में अधिकतम 13.95 लाख कुन्टल गन्ना उपलब्ध हुआ है, साथ ही दिनांक 31.03.2018 तक चीनी मिल साथा को रु0 400.83 करोड़ की कुल संचित हानि हो चुकी है। मिल का नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है।

जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नवनिर्मित सम्पर्क मार्गों एवं मुख्य मार्गों के सम्बन्ध में

124-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा के अन्तर्गत कितनी सड़कें नव निर्मित हैं एवं पूरे-मजरों तथा मुख्य मार्गों को जोड़ने के लिये लम्बित सम्पर्क मार्गों की संख्या क्या है तथा उक्त के निर्माण हेतु आगणन सरकार ने तैयार किया है ? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा के अन्तर्गत नव निर्मित/स्वीकृत मार्गों की कुल संख्या-18 है। मानक के अन्तर्गत सिंगिल कनेक्टिविटी से आच्छादित कोई भी राजस्व ग्राम जुड़ने से अवशेष नहीं है।

प्रश्नगत कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छोटी गंडक नदी पर प्रस्तावित ठोकर, कटानरोधी दीवार के निर्माण विषयक

125-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा के अन्तर्गत छोटी गंडक नदी पर ठोकर कटानरोधी दीवार का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। धनावंटन के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में रामपुर कारखाना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नव निर्मित नगर पंचायत बरियारपुर में प्रशासनिक कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक भवन एवं कार्यालयी स्टाफ के सम्बन्ध में

126-श्री कमलेश शुक्ल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत नव निर्मित नगर पंचायत बरियारपुर में प्रशासनिक कार्यों को प्रारम्भ करने हेतु प्रशासनिक भवन का निर्माण एवं कार्यालयी स्टॉफ की तैनाती सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पंचायत बरियारपुर में ग्राम पंचायत भवन में नगर पंचायत कार्यालय स्थापित है, शासनादेश संख्या-894/9-1-18-51टी0ए0/14, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा नगर पंचायत हेतु नियमानुसार आवश्यक पदों के सृजन के आदेश निर्गत किये गये हैं। अधिशासी अधिकारी की तैनाती कर दी गयी है। शेष पदों पर तैनाती हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत नेशनल हाइवे दोदराजपुर से कुआटांडा तक जर्जर मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक

127-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत नेशनल हाइवे दोदराजपुर से कुआटांडा तक तथा नेशनल हाईवे से ग्राम घनेला तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम डभौरा तिराहे से समधाना चौराहे तक पक्के मार्ग के मरम्मत/डामरीकरण के सम्बन्ध में

128-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत ग्राम डभौरा तिराहे से समधाना चौराहे तक तथा ग्राम समधाना से संतोषपुर तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ताा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड क्षेत्र निगोही में स्टेट हाइवे से अरेली नहर पटरी पर कटिया बुजुर्ग मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में

129-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर निगोही स्टेट हाइवे से अरेली नहर पटरी पर कटिया बुजुर्ग तक का पक्का मार्ग जर्जर होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना

पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्गों की दशा संतोषजनक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के एनौरा गांव स्थित कांशीराम कालोनी व वार्ड नूरपुर में आवासों के आवंटन विषयक

130-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत एनौरा गांव वार्ड में स्थित कांशीराम कालोनी तथा वार्ड नूरपुर में स्थित आसरा आवासों का आवंटन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत एनौरा गांव वार्ड में संचालित कांशीराम आवास योजनान्तर्गत निर्मित 60 आवासों एवं वार्ड नूरपुर में संचालित आसरा योजनान्तर्गत निर्मित 96 आवासों हेतु पात्र पाये गये लाभार्थियों को आवास आवंटित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सीतापुर की क्षमता विस्तार के सम्बन्ध में

131-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दी किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर की क्षमता विस्तार, एलकोहल प्लान्ट, पावर प्लान्ट आदि लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

वर्तमान में सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद, सीतापुर की क्षमता विस्तार, एलकोहल प्लान्ट, पावर प्लान्ट आदि लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिल महमूदाबाद की स्थापना वर्ष 1982-83 में की गई थी। इस चीनी मिल का प्लान्ट एवं मशीनरी लगभग 36 वर्ष पुरानी हो चुकी है। अतः इसके स्थान पर तकनीकी दृष्टि से उच्चीकृत 5000 टी0सी0डी0 क्षमता का नया प्लाण्ट कोजनरेशन एवं एलकोहल प्लाण्ट के साथ स्थापित करने में लगभग रु0 375.00 करोड़ की लागत आने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मिल के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु चीनी मिल के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31.03.2018 तक चीनी मिल महमूदाबाद को रु0 487.18 करोड़ की कुल संचित हानि हो चुकी है। मिल का नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण की व्यवस्था होना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव एवं बड़ागांव में बेतवा नदी के वराठा घाट पर दीर्घ सेतु का निर्माण हेतु

132-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव एवं बड़ागांव में बेतवा नदी के वराठा घाट पर दीर्घ सेतु का निर्माण न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बेतवा नदी के वराठा घाट पर दीर्घ सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां। प्रश्नगत सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम निवी से ग्राम सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु

133-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम निवी से ग्राम खिरियाराम तथा ग्राम नरी होते हुए ग्राम सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग में दो मार्ग सम्मिलित हैं :-

निवी से खिरियाराम मार्ग-इस मार्ग की लम्बाई 1.50 किमी0 है तथा कच्चे स्तर का मार्ग है। निवी ग्राम चिरगांव भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 5.00 में स्थित है। खिरिया ग्राम की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है। अतः इस मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

निवी से नरी होते हुये सिमथरी तक मार्ग-इस मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 है। यह मार्ग कच्चे स्तर का है। ग्राम निवी, ग्राम नरी एवं ग्राम सिमथरी पूर्व से ही चिरगांव भाण्डेर (अन्य जिला मार्ग) से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः निवी से खिरियाराम नरी होते हुये सिमथरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय मार्ग से सन्तरी का डेरा होते हुए रावत के डेरा तक सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु

134-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव में झांसी कानपुर राष्ट्रीय मार्ग से सन्तरी का डेरा होते हुए रावत के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सन्तरी का डेरा एवं रावत का डेरा की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है। अतः सन्तरी का डेरा से रावत का डेरा तक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की वर्तमान में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के चेक डैम की सही डिजाइनिंग कराने विषयक

135-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में जल संचयन हेतु लखेरी नदी पर गलत डिजाइन से बने चेक डैम के अपस्ट्रीम में भारी मात्रा में सिल्ट जमा होने से जगह-जगह प्राकृतिक जलस्रोत बन्द हो गये हैं और नदी सूख रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार चेक डैम की सही डिजाइनिंग कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म पाल सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान कल्याण समिति मकदूमपुर गोमतीनगर लखनऊ के सम्बन्ध में

136-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज लखनऊ का दिनांक 10.12.2018 का पत्र जो कि किसान कल्याण समिति मकदूमपुर गोमती नगर लखनऊ विस्तार के विस्थापितों को भूखण्डों का समायोजन विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत विस्थापित कोटे में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 06.11.15 को निर्णय लिया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 06.11.2015 के अनुपालन में प्राधिकरण की गठित कमेटी द्वारा स्थलीय जांच की गयी। जांचोपरान्त विस्थापित कोटे के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। निर्माण/परिसम्पत्तियों के प्रतिकर व ब्याज के भुगतान के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 05.01.2019 में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, जिसे सुसंगत सूचनाओं सहित अगली बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय बोर्ड बैठक में लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0डी0ए0 कालोनी रतन खण्ड शारदा नगर योजना लखनऊ में प्राइमरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में

137-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0डी0ए0 कालोनी रतन खण्ड शारदा नगर योजना लखनऊ में प्राइमरी स्कूल जू0हा0 स्कूल व इण्टर कालेज के निर्माण हेतु एल0डी0ए0 द्वारा कहां-कहां पर उक्त योजना में भूखण्ड किस-किस नाम से आवंटित किया गया है ? उक्त कतिपय भूखण्डों पर स्कूल न बनाकर मैरिज हाल का निर्माण किये जाने की

जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त अवैध मार्ग का निर्माण को हटाकर स्कूल का संचालन/निर्माण कराने का निर्देश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शारदा नगर योजना में कुल 15 स्कूल भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, जिसमें रतन खण्ड में तीन प्राइमरी स्कूल व एक इण्टर कालेज के लिये भूखण्ड आवंटित है। (सूची संलग्न है)।†

जी हां।

शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में प्राइमरी स्कूल प्रीती विकास समिति के भूखण्ड पर मानक के विपरीत विवाह स्थल का निर्माण किया गया है, परन्तु संचालित नहीं है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड मड़ियांव थाने के बगल से जाने वाली सड़क की मरम्मत विषयक

138-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड मड़ियांव थाने के बगल से जाने वाली सड़क जर्जर है एवं सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त मार्ग सीतापुर रोड मड़ियांव थाने के बगल से पुरानी आबादी मोहिबुल्लापुर गांव का लिंक मार्ग था। वर्तमान में इस आबादी से लगे क्षेत्रों में प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर अनियोजित ढंग से आवासीय कालोनियों का विस्तार किया गया है। जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा इसी मार्ग से उक्त आवासीय कालोनियों का आवागमन भी है। मार्ग को चौड़ा करने हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने में

---

† नोट :-(देखिये नत्थी 'ङ' के आगे पृष्ठ 154 पर।)

कठिनाई है। प्रश्नगत कार्य कराये जाने पर धनराशि रु0 45.00 लाख का व्यय अनुमानित है। धनराशि की उपलब्धता पर कार्य कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी शहर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन विषयक

139-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विगत दो वर्षों में कितने मंदिरों को तोड़ा गया है और कितने तोड़ना शेष हैं तथा इन तोड़े गये मंदिरों की मूर्तियों को विस्थापित किया गया है या प्रवाह किया गया है ? यदि विस्थापित किया गया तो कहां पर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर निगम वाराणसी द्वारा वाराणसी शहर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विगत 2 वर्षों में किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया है और न ही किसी मंदिर की मूर्ति को विस्थापित किया गया है और न ही प्रभावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निकासी की व्यवस्था हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम गोण्डा कार्य योजना विषयक

140-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर पालिका के घसियारीपुरा मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम गोण्डा द्वारा कार्य योजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में जल निकासी हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

बहराइच नगर पालिका के घसियारीपुरा मोहल्ले में जल निकासी की व्यवस्था कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच नगर पालिका के घसियारीपुरा मोहल्ले में टूटी नालियों की मरम्मत की मांग

141-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच नगर पालिका के घसियारीपुरा मोहल्ले में टूटी नालियों के कारण जल निकासी न हो पाने से जल भराव के साथ ही अधिकांश घर में पानी भर आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में नालियों का पुनर्निर्माण कर जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

मोहल्ला घसियारीपुरा लो लैण्ड एरिया में स्थित है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है।

मोहल्ला घसियारीपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थायी एवं समुचित जल निकासी की व्यवस्था हेतु सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोण्डा द्वारा संशोधित कार्य योजना रु0 3266.41 लाख की तैयार कर दिनांक 29.01.2019 को जिलाधिकारी, बहराइच को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नहरों व रजवाहों के किनारों पर स्थित पुराने बने हुए जर्जर डाक बंगलों व कोठियों के पुनर्निर्माण विषयक

142-श्री धीरेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नहरों व रजवाहों के किनारों पर स्थित पुराने बने हुए अधिकांश डाक बंगले, कोठियां जर्जर हैं, के पुनरुद्धार अथवा पुनर्निर्माण की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

उत्तर प्रदेश में नहरों के रजवाहों के किनारों पर स्थित पुराने बने हुए अधिकांश निरीक्षण भवनों (डाकबंगलों)/कोठियों को स्थानीय/क्षेत्रीय उपयोगिता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार समय-समय पर मरम्मत/पुनरोद्धार का कार्य कराया जाता है। इसके लिये एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत बजट प्राविधान भी किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर दोआब शुगर मिल, शामली जनपद के ऊपर गन्ना किसानों का गन्ना भुगतान हेतु

143-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर दोआब शुगर मिल, शामली जनपद शामली के ऊपर गन्ना किसानों का पिछले पेराई सत्र का लगभग 80 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान का बकाया व इस पेराई सत्र का 120 करोड़ रुपया का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

दिनांक 05.02.2019 की स्थिति के अनुसार जनपद शामली में स्थित अपर दोआब शुगर मिल्स लि0 पर पेराई सत्र 2017-18 का रु0 80.00 करोड़ एवं वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 का रु0 113.47 करोड़ (14 दिन पूर्व अवधि तक देय के सापेक्ष) गन्ना मूल्य बकाया है।

पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिल शामली के विरुद्ध दिनांक 22.01.2019 को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका है जिसकी वसूली हेतु जिला प्रशासन के स्तर से कार्यवाही की जा रही है। पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत बकाया गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु दिनांक 04.02.2019 को चीनी मिल शामली को नोटिस निर्गत की गई है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य सरकार गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने हेतु पूर्णतः सजग एवं कटिबद्ध है।

जनपद शामली के कतिपय मार्गों के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में

144-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैराना-झिंझाना मार्ग व कैराना-शामली मार्ग जिन्हें हाल ही में गड्ढा मुक्त कराया गया था, पुनः टूटने लगा है ? यदि हां, तो उपरोक्त मार्गों के घटिया निर्माण के दोषियों के विरुद्ध सरकार जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के कैराना-झिंझाना मार्ग को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है तथा कैराना-शामली मार्ग वर्तमान में गड्ढा मुक्त है एवं राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण बागपत को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर व शामली व बागपत में बहने वाले कांठा नाला को पुनर्जीवित करने हेतु

145-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर, शामली, बागपत में बहने वाले कांठा नाले को पुनर्जीवित करने तथा उसके बहाव के रास्ते में पड़ने वाले ग्रामों की कृषि भूमि को उसके बाढ़ के पानी से बचाने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कांठा नाले में बरसाती पानी एवं आस-पास के ग्रामों का पानी बहता है। बहाव के रास्ते में पड़ने वाले ग्रामों की कृषि भूमि को कोई नुकसान नहीं होता है।

जनपद मेरठ के कतिपय मार्गों को गड्ढा मुक्त करने विषयक

146-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ-करनाल मार्ग के ग्राम फुगाना से शामली होकर बिडोली करनाल पुल प्रखंड मार्ग तथा म्यान कस्बा बिडोली से चौसाना होकर गंगोह मार्ग व कैराना बाइपास मार्ग व कैराना तित्रवाडा होकर कांधला मार्ग व कैराना कांधला मार्ग व कैराना से खुरगान होकर बरनावी मार्ग व जनपद सहारनपुर में यमुना पुल से सरसावां होकर सहारनपुर मार्ग व सरसावां बाइपास मार्ग व चिलकाना से ग्राम दुमझेड़ा शाहजहांपुर होकर नकुड़ मार्ग को सरकार गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद शामली के मेरठ करनाल मार्ग ग्राम फुगाना शामली होकर बिडौली करनाल पुल प्रखंड मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है और उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु आगणन की स्वीकृति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है। म्यान कस्बा बिडौली से चौसाना होकर गंगोह मार्ग व कैराना बाईपास मार्ग व कैराना तित्रवाड़ा होकर कांधला मार्ग व कैराना कांधला मार्ग व कैराना से खुरगान होकर बरनावी मार्ग पूर्ण रूप से गड्ढा मुक्त करा दिये गये हैं।

जनपद सहारनपुर में यमुना पुल से सरसावां होकर सहारनपुर मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है, जिस पर पैचलेस की कार्यवाही की जा रही है। सरसावां बाईपास मार्ग व चिलकाना से ग्राम दुमझेड़ा-शाहजहांपुर होकर नकुड़ मार्ग गत दिनों हुई वर्षा एवं खनन के भारी वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग पर कहीं-कहीं पैच हो गए हैं। मार्ग ठेकेदार के अनुरक्षण अवधि में है, जिसे पैचलेस कराया जा रहा है।

नकुड़ शाहजहांपुर मार्ग पर हथनीकुण्ड बैराज से माह जुलाई, 2018 में छोड़े गए पानी से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत हेतु रु0 240.74 लाख की स्वीकृति माह दिसम्बर, 2018 में प्रदान की गयी थी, तद्क्रम में निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण कर अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद बागपत में गन्ना तौल केन्द्रों पर होने वाली कमतौली रोकने के लिए कानून बनाने विषयक

147-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में स्थापित लगभग 318 गन्ना तौल केन्द्रों पर कमतौली की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों व मिलों पर दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा-

जनपद बागपत में स्थित चीनी मिल मलकपुर-107 क्रयकेन्द्र, रमाला-10 क्रयकेन्द्र, बागपत-36 क्रयकेन्द्र (मिल गेट सहित) कुल 153 गन्ना क्रयकेन्द्र तथा अन्य जनपदों में स्थित चीनी मिलें जो बागपत से गन्ने की खरीद करती हैं, उनमें मवाना-01 क्रयकेन्द्र, दौराला-21 क्रयकेन्द्र, किनौंनी-98 क्रयकेन्द्र, खतौली-16 क्रयकेन्द्र, भैसाना-30 क्रयकेन्द्र, बृजनाथपुर-05 क्रयकेन्द्र, मोदी शुगर-21 क्रयकेन्द्र, सिम्भावली-02 क्रयकेन्द्र, नगलामल-01 क्रयकेन्द्र, मंसूरपुर-03 क्रयकेन्द्र एवं ऊन-04 क्रयकेन्द्र सहित 203 एवं समस्त (153+203) कुल 356 गन्ना क्रयकेन्द्र जनपद बागपत में संस्थापित हैं। जिनका दिनांक 07.02.2019 तक विभिन्न अधिकारियों द्वारा कुल 319 निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षणों के दौरान 05 अशुद्ध कांटा तथा 62 सामान्य सहित कुल 67 अनियमिततायें संज्ञानित होने पर, अशुद्ध कांटों के 05 प्रकरणों में तौल लिपिक के लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं तथा 58 में जिलाधिकारी स्तर से नोटिस निर्गत कराये गये हैं। इन समस्त प्रकरणों में (उ0प्र0 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद अधिनियम, 1953 तथा नियमावली, 1954 के अन्तर्गत) कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश सरकार घटतौली रोकने हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। जिसके क्रम में जनपद के समस्त क्रयकेन्द्रों का निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरन्तर कराये जा रहे हैं तथा संज्ञानित होने वाली अनियमितताओं पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड संख्या 47, मौहल्ला ताड़ों वाली बगिया में अल्ताफ के घर से मुख्य मार्ग तक एवं मुख्य मार्ग से जुड़ी लिंक क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण विषयक

148-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड संख्या-47, मौहल्ला ताड़ों वाली बगिया में अल्ताफ के घर से मुख्य मार्ग तक एवं मुख्य मार्ग से

जुड़ी लिंक कच्ची/क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी/नगर आयुक्त फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-ख-6 नं0-485223 दिनांक 28.01.2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

मोहल्ला ताड़ों वाली बगिया में अल्ताफ के घर से मुख्य मार्ग तक एवं मुख्य मार्ग से जुड़ी लिंक कच्ची/क्षतिग्रस्त गलियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र में कच्ची/क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 35,02,440/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद में तहसील मोड़ पर फायर ब्रिगेड आफिस से ककरऊ विहारी नगर नाले की पुलिया तक मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

149-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में तहसील मोड़ पर फायर ब्रिगेड आफिस से ककरऊ विहारी नगर नाले की पुलिया तक का क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को प्रेषित पत्र संख्या-ख-6 नं0-485067 दिनांक 28.01.2019 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल के निर्माण के संबंध में निरीक्षणोपरान्त धनराशि रु0 48,39,360/- का आगणन तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी 14वें वित्त आयोग की बैठक में प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद में तेंदुए के आतंक को दूर करने हेतु कार्रवाई विषयक

150-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा, डिलारी व छजलैट आदि विकास खण्डों में तेंदुए के हमलों से हुई मौत की घटनाओं से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों/मजदूरों/बच्चों आदि की जंगली वन्य जीवों से सुरक्षा के प्रबन्ध सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी हां।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भटके हुए हिंसक वन्य जीवों से निपटने के लिए एस0ओ0पी0 जारी की गई है तथा उसी के अनुसार हिंसक वन्य जीव तेंदुए से क्षेत्र के प्रभावित होने पर उसे पकड़ने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उन वन्य जीवों से सुरक्षित रखने की कार्यवाही की जाती है। इसके अन्तर्गत जब भी हिंसक वन्य जीव तेंदुए के आतंक की जानकारी प्राप्त होती है, प्रभाग स्तर से प्रभागीय निदेशक, उप प्रभागीय वनाधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा सघन रूप से कॉम्बिंग की जाती है, आवश्यकतानुसार स्थान-स्थान पर सक्षम प्राधिकारी/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक से अनुमति प्राप्त कर पिंजरे लगाये जाते हैं। स्थानीय लोगों को हिंसक वन्य जीव से सुरक्षा में बरती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है। तेंदुए के प्रभावित क्षेत्र से अन्यत्र अपने प्राकृतवास में स्वतः चले जाने अथवा पकड़ कर उसके प्राकृतवास में स्थानान्तरित किये जाने तक वनाधिकारियों द्वारा सजग रह कर चौकसी बरती जाती है। जनपद के ठाकुरद्वारा, डिलारी व छजलैट विकास खण्डों में तेंदुए की उपस्थिति/हमलों की घटनाओं के दृष्टिगत प्रभावित क्षेत्रों में 4-5 कर्मचारियों की गठित रेस्क्यू रेस्पांस टीम, द्वारा नियमित गश्त की जा रही है तथा रेस्क्यू ऑपरेशन से सम्बन्धित उपकरण आदि तैयार रखे गये हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनको तत्काल स्थल पर पहुंचाया जा सके।

इस क्षेत्र में माह सितम्बर, 2018 में शिवा पुत्र श्री ओमवीर ग्राम चेदरी अकबरपुर, पोस्ट गढ़ी, तह0 कांठ, जिला मुरादाबाद की गुलदार के हमले से मृत्यु हो गयी थी। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

माह दिसम्बर, 2018 में महिमा पुत्री राजेश सिंह निवासी खाजपुर मढैंया, ठाकुरद्वारा की गुलदार के हमले से मृत्यु हो गयी थी। परिजनों को जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा निधि से 5 लाख का मुआवजा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में सड़कों के गड्ढामुक्ति विषयक

151-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 28.01.19 तक कितनी व कौन कौन सी सड़कों का निर्माण व कितनी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है तथा कितनी सड़कों

का निर्माण और गड्ढा मुक्त कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष सड़कों का निर्माण अथवा गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद बागपत में बड़ौत विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 28.01.2019 तक जिला योजना वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत एक कार्य, नाबार्ड वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत एक कार्य, वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत राम मनोहर लोहिया योजना के अन्तर्गत एक कार्य पूर्ण कराये गये।

इसी प्रकार विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत 33 मार्ग, सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के अन्तर्गत 10 मार्गों को तथा दाग मरम्मत के अन्तर्गत 43 मार्गों को पूर्ण कराया गया। सूची संलग्न है।†

विशेष मरम्मत के अन्तर्गत नवीनीकरण सहित अन्य निर्माणाधीन तथा पैच मरम्मत का कार्य निरन्तर रूप से कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में सड़कों के गड्ढा मुक्ति के सम्बन्ध में

152-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 28.01.19 तक कितनी व कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण व कितनी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है तथा कितनी सड़कों का निर्माण कार्य और गड्ढामुक्त कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष सड़कों का निर्माण अथवा गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्तमान सरकार के गठन से दिनांक 28.01.19 तक नई सड़कों का निर्माण शून्य है। वर्ष 2018-19 में जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में नहर सेवा सड़क कुल 14.530 किमी0 का गड्ढामुक्त कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके विरुद्ध 28.01.19 तक 6.500 किमी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है। नई सड़कों का निर्माण कार्य शून्य है तथा 8.030 किमी0 नहर सेवा सड़क को गड्ढामुक्त किया जाना शेष है।

उपरोक्तानुसार।

कार्य प्रगति में है। शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

---

† छापा नहीं गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र से ग्राम नरौनी होते हुए ग्राम कोतवाली मार्ग पर बने पुल पर एप्रोच रोड बनवाने के सम्बन्ध में

153-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना, ग्राम भूरापुर, विकास खण्ड-कोतवाली लो0नि0वि0 क्षेत्र नजीबाबाद से ग्राम नरैनी होते हुए ग्राम कोतवाली मार्ग पर वर्ष 2014-15 में त्वरित विकास निधि से बने पुल (गांगन नदी) पर एप्रोच रोड सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में सिटी कोला प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी से निकलने वाला गंदा पानी के सम्बन्ध में

154-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में सिटी कोला प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी स्थित है जिसमें से निकलने वाला गंदा पानी ग्राम शेखुपुरा खिचरा व ग्राम देहरा की आबादी में भर जाता है जिससे स्थानीय लोगों को अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कम्पनी की जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हापुड़ के पिलखुवा के यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में सिटी कोला प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के नाम से कोई भी इकाई कार्यरत नहीं है। मैसर्स सद्गुरू इण्टरप्राइजेज, जी-465 एवं 466, एम0जी0 रोड औद्योगिक क्षेत्र, जनपद-हापुड़ कार्यरत है, जो कि सिटी कोला नाम के शर्बत का उत्पादन करती है। उक्त इकाई का निरीक्षण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.02.2019 को किया गया। आख्यानुसार उद्योग से जनित उत्प्रवाह

के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा शोधित उत्प्रवाह का निस्तारण यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के ड्रेन में किया जाता है। उक्त उद्योग का किसी प्रकार का उत्प्रवाह ग्राम-शेखुपुरा खिचरा व ग्राम देहरा की आबादी क्षेत्र में निस्तारित नहीं होता है।

जनपद गाजियाबाद के नगर डासना में नगर पंचायत के अधिशासी व अन्य द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में

155-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद नगर पंचायत डासना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास कार्यों के लिए प्राप्त धनराशि का अधिशासी अधिकारी व अन्य द्वारा अनियमित रूप से धनराशि का दुरुपयोग करने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री राकेश कुमार माहेश्वरी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, डासना, जनपद गाजियाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांचोपरान्त स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-6/310/475/376(ii)अ0अ0न0पं0/93, दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री राकेश कुमार माहेश्वरी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को पदच्युत कर दिया गया है।

जनपद हापुड़ के पिलखुवा में स्थित जी0एस0 मेडिकल कालेज के पास उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 लिये जाने के सम्बन्ध में

156-श्री असलम अली-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के पिलखुवा में स्थित जी0एस0 मेडिकल कॉलेज द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन0ओ0सी0 नहीं ली गई है एवं उससे निकलने वाला गंदा पानी आबादी में भर जाने के कारण अनेकों बीमारियों से स्थानीय लोग प्रभावित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान-

मैसर्स जी0एस0 मेडिकल कालेज का निरीक्षण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.02.2019 को किया गया। उक्त मेडिकल कालेज द्वारा बोर्ड से एन0ओ0सी0 नहीं ली गयी है। इकाई से जनित उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है तथा आबादी में गंदा पानी नहीं पाया गया है।

मैसर्स जी0एस0 मेडिकल कालेज, पिलखुवा हापुड़ के विरुद्ध बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2019 को विधिक कार्यवाही हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राम गंगा कमाण्ड की टूटी नालियों के मरम्मत विषयक

157-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राम गंगा कमाण्ड की टूटी नालियों से होने वाले जलभराव से बर्बाद हो रही किसानों की फसल को दृष्टिगत रखते हुए इन टूटी नालियों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

प्रश्नगत सन्दर्भित गूलों (नालियां) का पुनर्निर्माण/मरम्मत विभाग द्वारा कराया जाना संभव नहीं है, क्योंकि सिंचाई हेतु कच्ची गूल/पक्की गूल/जल नियंत्रक संरचनाओं का निर्माण उ0प्र0 क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार कराया जाता है। तद्नुसार विभाग द्वारा निष्पादन के उपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों को संबंधित चक/जल प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है, जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा पदेन सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। ग्राम पंचायत/जल प्रबन्ध समिति कार्य की महत्ता के दृष्टिगत गूल की मरम्मत/पुनर्निर्माण करा सकती है। अधिनियम-1976 के अन्तर्गत विभाग द्वारा निष्पादन के उपरान्त सृजित गूल की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

भूमि संरक्षण अधिकारी जल संसाधन परती कार्यलय चौक शाहजहांपुर के वर्तमान अधिकारी पर जांच सम्बन्धी कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में

158-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी जल संसाधन परती कार्यालय चौक शाहजहांपुर के पास वर्तमान में कितने जिलों का चार्ज है ? क्या सरकार बतायेगी किस-किस जिले में किस-किस दिन इनके आफिस में कार्य करने के लिये नियत है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जब से उक्त अधिकारी ने चार्ज लिया है शाहजहांपुर कार्यालय में नहीं आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह-

वर्तमान में भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर के पद पर पूर्णकालिक/नियमित अधिकारी तैनात नहीं है। भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री गोकुल

राम, भूमि संरक्षण अधिकारी, पीलीभीत को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त श्री गोकुल राम, भूमि संरक्षण अधिकारी, पीलीभीत के पास उप निदेशक-मण्डल बरेली, भूमि संरक्षण अधिकारी-बरेली तथा भूमि संरक्षण अधिकारी-बदायूं का प्रभार है।

श्री गोकुल राम हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में सोमवार, मंगलवार, उप निदेशक, मण्डल बरेली कार्यालय में बुधवार, भूमि संरक्षण अधिकारी, शाहजहांपुर कार्यालय में बृहस्पतिवार, भूमि सरंक्षण अधिकारी, बदायूं कार्यालय में शुक्रवार व भूमि संरक्षण अधिकारी, बरेली कार्यालय में शनिवार का दिन नियत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में अधिकारियों की नितान्त कमी है। फलतः श्री गोकुल राम, भूमि संरक्षण अधिकारी को उपरोक्त के अतिरिक्त समादेश मुख्यालय के आदेश संख्या-2587 बी, दिनांक 31.10.2018 द्वारा उप निदेशक, मण्डल मुरादाबाद, भूमि संरक्षण इकाई, बिजनौर, मुरादाबाद, चांदपुर, अमरोहा, सम्भल तथा समादेश मुख्यालय के आदेश सं0-3526 दिनांक 31.12.2018 द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी, रामपुर के कार्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उक्त अधिकारी द्वारा निर्धारित नियत दिन को शाहजहांपुर जाकर कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी नियम-311 की जो सूचना थी। हम चाहते हैं कि वह सुन ली जाय और हमारे तीन लोगों को और सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही उसको नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है। अब आपकी पार्टी से जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें अपना विषय रख सकते हैं।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, कल दिनांक 12 तारीख को हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव इलाहाबाद जा रहे थे। उनका कार्यक्रम 27.12.2018 को इलाहाबाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

भेजा गया, प्रशासन को भेजा गया। विस्तृत कार्यक्रम 2.2.2019 को भेजा गया और 12.2.19 को कल उनका प्रोग्राम वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया। उस कार्यक्रम में उनको लखनऊ से इलाहाबाद जाना था और श्रीमठ बागम्बरी मंदिर के महन्त जी के यहां उनका स्वागत सम्मान और भोजन होना था। कल वह यहां अपने घर से इलाहाबाद के लिये एयरपोर्ट से रवाना हुए। उनके घर की रेकी की जा रही थी उनको इलाहाबाद लखनऊ एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया, रोका गया और अधिकारियों ने जिस तरह से उनको रोकने का प्रयास किया वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। मान्यवर, अगर उन्हें रोका जाना था तो पहले ही कोई वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात करके कहते कि आपको नहीं जाना है। नहीं जाने का अनुरोध कर सकते थे लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके साथ एयरपोर्ट पर धक्का-मुक्की हुई और एयरपोर्ट पर प्रदेश की सरकार की पुलिस को और वरिष्ठ अधिकारियों को अंदर जाने की परमीशन न होते हुए भी वह लोग अंदर जाकर उनको रोके। प्रयागराज में जो उनका कार्यक्रम था महन्त जी के यहां स्वागत सम्मान था और भोजन था कुल यह अंतिम कार्यक्रम उनका था। लेकिन प्रयागराज में जो कल हुआ वह निन्दनीय है। हमारी पार्टी के सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव जी, श्री नागेन्द्र पटेल जी के अलावा हजारों लोगों को पार्टी के जिला अध्यक्ष को, एम0एल0ए0 को प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा गया। उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। निहत्थे लोगों पर जो बैठे धरना दे रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया और असभ्य टिप्पणियां करने के साथ-साथ संगीन धाराओं में मुकदमें दर्ज कर दिये गये। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम आप प्रदेश में अपनी पार्टी के कामों से और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक या अन्य कामों से आया जाया करते हैं। कल जो हुआ वह निश्चित तौर पर निन्दनीय है, अति निन्दनीय है और वर्तमान सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, यह कल की बात नहीं है 3.2.19 को कुम्भ मेला प्रयागराज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ एक एस0आई0 दिनेश मलिक जी हैं जिनकी मैं सी0डी0 भी लेकर आया हूं उन्होंने वीडियो पर असभ्य तरीके से गाली-गलौज किया, वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद वहां के एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उन एस0आई0 के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

माननीय अध्यक्ष जी, मामला गम्भीर है, हम लोग तमाम स्कूलों से पढ़कर आए हैं, स्कूल अपने पढ़े हुए बच्चों को, समय-समय पर अपने विद्यालयों में बुलाकर सम्मानित भी करते हैं और यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के कार्यक्रम में जाना, यह कोई पहली घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक लोग विभिन्न तरीके से यूनीवर्सिटियों में जाते रहे हैं। यूनिवर्सिटी उनको आमंत्रित भी करती रही है और अपनी बात भी वह छात्रसंघ या दूसरे कार्यक्रमों में रखते रहे हैं। कल की घटना जो है, वह निन्दनीय है, अशोभनीय है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जिन अधिकारियों ने बर्बर लाठी-चार्ज किया है, जिनके आदेश पर हुआ है और जो प्रताड़ित किए गए हैं जिनके ऊपर फर्जी मुकदमें लिखे गए हैं,

हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। माननीय सांसद जनों के खिलाफ मुकदमें लिखे गए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इस पर व्यापक चर्चा कराई जाए। वहां के डी0एम0, एस0पी0 और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। जो मुकदमें लिखे गए हैं उनको वापस लिया जाए और भविष्य में पूरे प्रदेश में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, किसी भी दल का कोई व्यक्ति, कहीं जा रहा हो उसे डिटेन करने का प्रयास न किया जाए। मैं इस पर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आपका तो नियम-56 में दूसरा विषय है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, तमाम बार ऐसा अवसर आया है कि ग्राह्यूता पर, अभी तो चर्चा हो नही रही है ग्राह्यता पर, लेकिन क्यों यह गाह्य कर लिया जाए, इस पर आप अवसर दे सकते हैं और मैं चाहूंगा मुझे भी अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहिए।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, जब इनके नियम तोड़ने की बात आती है तो यह किताब खो जाती है। किताब पता नहीं कहां चली जाती है। बाकी जब इधर की कोई बात होती है तो हरी किताब लेकर चले आते हैं। (हंसी)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर घटना है। जिस तरह से मान्यवर आप स्वयं भिज्ञ हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो छात्रसंघ का पदाधिकारी होता है, वह विभिन्न व्यक्तियों को बुलाकर अपनी शपथ ग्रहण कराता है। मान्यवर, मैं भी छात्रसंघ का पदाधिकारी रहा हूं, हमने भी केन्द्र सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को बुलाकर शपथ ली थी। मान्यवर, तमाम इस तरह के अवसर आए हैं। मान्यवर, 27 तारीख को अखिलेश यादव जी का पत्र गया था, पूरा कार्यक्रम गया था लेकिन प्रशासन ने उनसे आग्रह नहीं किया, उसको रोकने का काम नहीं किया, जब कल वह जा रहे थे, हवाई जहाज पर बैठने जा रहे थे, उस समय जिस तरह से उनको रोकने का प्रयास किया गया निश्चित रूप से यह हिटलर शाही की संज्ञा का परिचायक है। दूसरे यह जो घटना हुई जिस तरह से उनको रोका गया, एक ए0डी0एम0 या एस0डी0एम0 स्तर का अधिकारी जाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोकने का काम करता है। माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं अगर कोई इस तरह की बात थी तो डी0एम0 या एस0पी0 को उनके घर पर जाकर आग्रह करना चाहिए था कि वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। आप जाने का काम न करिए लेकिन इस तरह का कोई आग्रह करने का काम नहीं किया और जिस तरह से उनके सामने जाकर खड़ा हुआ, अलोकतांत्रिक कदम उठाने का काम किया गया। मान्यवर, इसके साथ-साथ आपने भी अगर टी0वी0 चैनल पर क्लिप देखा होगा। जिस तरह से इलाहाबाद में शान्तिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। छात्रसंघ के पूर्व महासचिव श्री संग्राम सिंह यादव जी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, इनको भी चोट लगी है। इसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र यादव जी भी निमंत्रण पर बुलाए गए थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ एक छात्र का नाखून पुलिस ने खींचकर निकाल दिया और वह अस्पताल में भर्ती है। इस तरह से बर्बरतापर्वूक कार्यवाही की गयी है। तमाम लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। निश्चित रूप से इससे ज्यादा ग्राह्य विषय और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें साथ ही साथ हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जो फर्जी मुकदमें कायम किये गये हैं, उनको वापस लिया जाना चाहिए और मैं हाईकोर्ट के एक जज द्वारा इसकी जांच कराये जाने की मांग करता हूं। निश्चित रूप से यह भयंकर घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसको ग्राह्य करते हुए स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

अब सरकार का पक्ष भी सुन लें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या अब सभी लोग एक साथ बोलेंगे ? चर्चा तो हो नहीं रही है। आपने पूरा विषय रख दिया है। मा0 सदस्य संग्राम सिंह जी, पूरा विषय रखा जा चुका है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत पहले से कार्यक्रय तय था। चारों तरफ निमंत्रण भी गये थे और मा0 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहमति भी दी थी। मैं स्वयं छात्रसंघ का महामंत्री रह चुका हूं। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी उस समय गये थे और बड़े व्यापक पैमाने पर कुलपति महोदय सहित सारे लोग, बुद्धिजीवी गण उपस्थित होकर उनके विचारों को सुनते थे। यह वहां पर बहुत पुरानी परम्परा चली आयी है। किसी भी

विचारधारा के व्यक्ति हों, वह उनको बुलाते थे, मुझे भी निमंत्रण मिला था और मैं भी गया था। हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे और जैसे ही हम लोगों को यह पता चला कि लखनऊ में एयरपोर्ट पर मा0 अखिलेश यादव को रोक लिया गया है। हम सब एयरपोर्ट से पैदल छात्रसंघ की तरफ बढ़े और वहां जब जाने लगे, शांतिपूर्वक भाषण भी हुआ। पूरी वीडियो क्लिपिंग आप प्रशासन से मंगाकर देख लें, लेकिन जब वहां से मा0 सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में छात्रों ने कहा कि हम राष्ट्रपिता बापू की मूर्ति पर चलकर के माल्यार्पण करेंगे। जैसे ही माल्यार्पण करके उतरे ही नहीं थे हमने अपने जीवन में पहली बार देखा कि इतने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, फायरिंग हुई और पहली बार टारगेट करके मारा गया। मुझे तो लात-घूंसों से मारा गया। मा0 सांसद श्री धर्मेन्द्र यादव के ऊपर लाठियां भी चलायी गयीं, उनके माथे से खून निकल आया। हमारे साथी राघवेन्द्र के नाखून खींच लिये गये। पहली ऐतिहासिक महिला छात्रसंघ की अध्यक्ष ऋचा सिंह को इतनी मार मारी गयी कि वह बेहोशी की हालत में आज भी हास्पिटल में भर्ती हैं। चिन्हित कर करके यह कहते हुए मारा गया कि तुम लोग अखिलेश के गुण्डे हो। गोरखपुर के सांसद के अलावा एक सांसद और भी थे। हम सब एम0एल0ए0 उसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की घिनौनी हरकत कभी प्रशासन ने करने का काम नहीं किया जितना इन्होंने किया है। आप उसकी वीडियो क्लिपिंग मंगाकर देख लें। कितनी जबरदस्त फायरिंग हुई। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता लाना चाहती है। मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें, यह तो विषय के बाहर है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, जो तेरह अखाड़े हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महन्त श्री नरेन्द्र गिरी जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आमंत्रित किया था और कहा था कि संत समाज आपका सम्मान करना चाहता है, क्योंकि आपने पहले कुम्भ की व्यवस्था दी। इससे यह सरकार बौखला गयी। हमारा स्पष्ट कहना है कि मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। उन्हें अपमानित किया गया। गन्दी-गन्दी गालियां दी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें। आपकी पूरी बात आ गयी है।

डॉ0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जो आदरणीय श्री नरेन्द्र वर्मा जी ने कहा, जो मा0 सदस्य श्री लाल जी वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के किसी सम्मानित जज से घटना की जांच करायें और जो दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें वर्मा जी की पूरी बात आ गयी है। आप विषयांतर कर रहे हैं।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी यह विषय आया था और कल भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने और बसपा के लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। जितनी बातें उधर से कही गयी हैं।

हमारे श्री नरेन्द्र वर्मा जी ने, श्री लाल जी वर्मा जी ने श्री संग्राम सिंह जी ने कही उसमें केवल एक बात सही है कि दो तारीख को पूर्व मुख्य मंत्री के जाने का कार्यक्रम भेजा गया था और बाकी एक झूठ का पुलिंदा है पूरा झूठ का पुलिंदा। मान्यवर, हमने कल भी जो पेपर आए थे आपके संज्ञान के लिए भेजा था अगर उसको कृपापूर्वक देखें नहीं तो हमारे पास कापी है हम भेज देंगे। 8 तारीख को जो परामर्शदात्रा समिति है इस यूनियन की उसने बाकायदा इस बात के लिए बैठक करके और यह प्रस्ताव पास किया कि किसी भी तरीके से राजनीतिक दलों के लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में ऐसी घटनाएं हुईं हैं जब अलग-अलग विचार धारा के लोग छात्रसंघ के पदाधिकारी हुए एक व्यक्ति चाहता है कि इसे बुलाएं दूसरा व्यक्ति चाहता है उसे बुलाएं और इस बात को लेकर वहां पर मतैक्य नहीं था इसलिए उन्होंने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया और अध्यक्ष जो छात्रसंघ के हैं उनको लिखित रूप से इस बात की सूचना दे दी गई। साथ ही साथ जब विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इस बात का पता चला उन्होंने इस बात के लिए मन बना लिया कि किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय में शांति रहे इसलिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। यह वहां के डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिखकर दे दिया।

डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिखकर यहां लखनऊ में इस बात की सूचना दे दी जो उनकी तरफ से पत्र आया था वह माननीय अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगाराम जी को बाकायदा रिसीव करवाया गया। दो दिन पहले उनको रिसीव करा दिया गया कि इस प्रकार से जिला प्रशासन ने कहा है और मान्यवर, यह इस बात से भी साबित होता है कल यह भी कहा गया कि माननीय अखिलेश यादव जी ने छात्रसंघ के कार्यक्रम में जाने का तो निरस्त कर दिया था लेकिन जो अखाड़ा परिषद् के लोगों ने बुलाया था उसका निरस्तीकरण नहीं हुआ। अब माननीय वर्मा जी कह रहे हैं वह सही है या वे सही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलत बयानी यह सोची समझी तरीके से प्रदेश में अराजकता पैदा करने का एक षडयंत्र है। बाकी कोई बर्दाश्त कर ले लेकिन यह योगी जी की सरकार किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जहां तक सवाल यह है कि हमारे एक साथी ने कहा कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से तो यह शांतिपूर्ण तरीके से है मेरे पास रिपोर्ट है बालसन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

चौराहे पर पहुंचकर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्थरबाजी की गई। धरने पर बैठे लोगों ने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करने के बाद उज्जवला योजनान्तर्गत लगाया गया बैनर जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री जी की फोटो लगी थी कार्यकर्ताओं के द्वारा जला दिया गया। मान्यवर, यह शांतिपूर्ण है हमारे शाहजहांपुर से मेरे पास एक टेलीफोन आया वहां तीन दर्जन केले सन्तरे लूट लिए गए लोग तो थे नहीं लूट लिए और...

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें। विषय आ जाए। आपकी बात आ गई है। आप तीन लोग बोले हैं आप एक को तो बोलने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं वह कचेहरी के पास एक मंदिर मे गए थे जब वह पूजा करके लौट रहे थे तो उनका लोटा फेंक दिया गया जब उन्होंने हड़काया तो उनके साथ जनेऊ की खींचा झपटी हुई। इनके पास लोग तो हैं नहीं। केवल अराजकता फैलाना और एक शांति भंग करने का षडयंत्र था।

(व्यवधान जारी)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आप संशोधित कार्यक्रम देख लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारा काम प्रदेश में अमन चैन कायम रहे प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहे।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आजकल इनके पास लोग इकट्ठा तो होते नहीं हैं और प्रदेश में ठेले और खोमचे वाले परेशान हैं कि जहां-तहां उनको लूटा गया। इन लोगों ने पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना दिया है। मान्यवर, यह लोग सच्चाई सुन नहीं सकते हैं।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गये और सरकार विरोधी [xxx] नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थानों पर वापस चलिये।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सरकार का काम है कानून-व्यवस्था को कायम रखना, अराजकता को सबक सिखाना और जब-जब प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाया जायेगा तब-तब यह सरकार मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं चूकेगी और जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह कार्यवाही की जायेगी।

(इसी मध्य सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप लोग अपनी जगह पर वापस चलिये। मा0 नरेन्द्र सिंह वर्मा जी खड़े हो गये हैं, हम उनको सुनेंगे। आप लोग अपने स्थानों पर वापस जायें। मा0 वर्मा जी, आप अपने मा0 सदस्यों को वापस बुला लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश के जितने ठेले वाले, खोमचे वाले, चाय वाले, संतरे वाले और आलू वाले हैं वह सभी कल से परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम मा0 वर्मा जी को सुनेंगे। आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस चलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इनके पास कोई काम नहीं है। यह लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। यह केवल अराजकता पैदा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप अपने मा0 सदस्यों को वापस बुला लीजिये और बोलिये। मा0 सदस्यगण, आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जाकर अपनी बात कहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसी अराजकता में तीन दर्जन केले और संतरे लुट गये।

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 41 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी।)

(01 बजकर 11 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

छात्रसंघ उद्घाटन में प्रयागराज जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने एवं लखनऊ एवं प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज सम्बन्धी सूचना को नियम-311 में सुने जाने की मांग (क्रमागत)

(सदस्य श्री लाल जी वर्मा तथा श्री अजय कुमार लल्लू जी के द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग बैठ जायें। माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह वर्मा कुछ कहना चाहते हैं पहले उनको सुन लिया जाये।

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

माननीय अध्यक्ष जी, पहले मुझे सुन लिया जाये। कल की घटना अत्यन्त निन्दनीय है। किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। हम लोग भी छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे हैं और छात्रसंघ के उद्घाटन के लिए किसी-न-किसी कैबिनेट मंत्री, मंत्री या मुख्य मंत्री को बुलाने का काम करते हैं। अगर छात्रसंघ के उद्घाटन का मामला था या आदरणीय श्री नरेन्द्र गिरी जी के अखाड़े में जाने का मामला था तो एक तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी निमंत्रण और आमंत्रण देते हैं कि आप आइये कुम्भ में स्नान करिये, कुम्भ के कार्यक्रम को और मेले को देखिए और दूसरी तरफ अगर किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस उत्तर प्रदेश के गरिमामय सदन के पूर्व मुख्य मंत्री अगर वहां जाते हैं तो उनको रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा तो हो नहीं रही है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं चर्चा नहीं हो रही है।

(समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या की गयी है और पुलिस अनावश्यक रूप से पत्थर चलाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री अजय कुमार लल्लू-**

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब-जब इनकी सरकार आई है तब-तब किसानों पर गोली चलायी गयी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह जिस घटना की बात कर रहे हैं उसमें पत्थर चलाये गये, बैनर जलाये गये, और महिलाओं को परेशान किया गया है। जितनी उदण्डता, जितनी अराजकता फैलायी जा सकती थी, उतनी फैलाई गयी है। मान्यवर, यह किसी भी हालत में सदन नहीं चलाना चाहते हैं...

(समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

यह लोग पहले से मन बनाकर आये थे कि आज सदन नहीं चलाना है। इन्होंने नियम-311 की नोटिस दी, प्रश्नकाल बाधित किया और सरकार का पूरा जवाब आने के बावजूद यह लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है। कृपया आप हमें अपनी बात रखने का अवसर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा इस पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। यह आलू लेकर आये थे इसलिये मैंने समझा कि यह आलू पर बोलेंगे। कल इनके आलू बच गये हैं और वह नहीं लूटे गये हैं। यहां पर कोई चर्चा तो हो नहीं रही है। इस पर सब लोग बोल चुके हैं और सरकार का जवाब भी आ गया है।

श्री लाल जी वर्मा-

आप शाहजहांपुर की बात कर रहे थे, इसमें शाहजहांपुर की बात कहां से आ गई।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शाहजहांपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में लोग इकट्ठे नहीं हुये इसलिये संतरे और केले लुट गये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सब लोग बैठिये। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी ने मूल विषय रखा था। इसलिये उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आ गया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल दिनांक 12 फरवरी, 2019 को प्रातःकाल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का संशोधित कार्यक्रम पुनः इलाहाबाद भेजा गया था और उस संशोधित कार्यक्रम में छात्रसंघ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। संशोधित कार्यक्रम में था कि वह श्री महन्त नरेन्द्र गिरी जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम एवं भोजन में शामिल होंगे। इसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एयरपोर्ट पर रोकना और इलाहाबाद में बर्बर लाठीचार्ज करना घोर निंदनीय है। हम बार-बार आपके माध्यम से यह मांग कर रहे हैं कि इस पा चर्चा करा ली जाये और इसकी न्यायिक जांच करा ली जाये, दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाये और जो फर्जी मुकदमें लिखे गये हैं उन्हें वापस लिया जाये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार न्यायिक जांच कराने का तैयार हो जाये तो हम लोग पूरी तरह से इनका सहयोग करने को तैयार हैं

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि मामलें की मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग फिर से एक साथ बोलने लगे। हमारा कहना है कि आपका विषय पूरा का पूरा आ गया है। यहां पर चर्चा नहीं हो रही है और अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। सरकार का भी जवाब आ गया है। हम या आप सरकार को न्यायिक जांच अथवा अन्य जांच बैठाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार अराजकता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही संगम में स्नान कर चुके थे। इस बार उनका संगम जाना एक बहाना था बल्कि उनका असली मकसद प्रयाग विश्वविद्यालय जाना था। 'संगम एक बहाना था और प्रयाग विश्वविद्यालय जाना था।' हमारा काम प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखना और अराजकता को समाप्त करना है लेकिन यह लोग हर तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

(समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वेल में आ गये और [×××] सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान)

नोटः-[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं। आज बजट पर चर्चा निर्धारित थी जिस पर नेता विरोधी दल तथा सभी दलों के नेताओं को बोलना था। आज व्यवधान करने की कोई वजह नहीं है फिर भी यह लोग काम नहीं होने दे रहे हैं। इन्होंने कल इतना अधिक उत्पात किया है कि जो साइकिल और पंक्चर बनाने वाले थे वह सब लोग इनकी अराजकता से परेशान हो गये हैं। जो भी कदम उठाये गये हैं वह सब शांति भंग के अंदेशे में उठाये गये हैं। अगर कोई फिर से अराजकता फैलाने का काम करेगा तो फिर से उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-300 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनांक 13 फरवरी, 2019 को नियम-300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुईं हैं। पहली सूचना श्री उमा शंकर सिंह जी की है जो विधान सभा सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के साथ आने वाले सुरक्षाकर्मियों व ड्राइवरों हेतु बैठने की कोई व्यवस्था न होने से संबंधित है, यह सूचना निरस्त की जाती है। दूसरी सूचना मो0 असलम राइनी की है जो जनपद श्रावस्ती में विभिन्न नालों से हो रहे अवैध बालू खनन के विरुद्ध हस्तक्षेप करने पर मा0 सदस्य एवं उनके परिवार को खतरा होने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है, इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना श्री रितेश पाण्डेय की है, जो सरकार द्वारा संचालित कोषवाणी वेबसाइट पर विगत वर्षों की भांति वर्तमान वर्ष जनवरी, 2019 तक नवीन आंकड़ों से सुसज्जित न होने से उत्पन्न स्थिति से संबंधित है, इस सूचना को भी मैं अग्राह्य करता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-301 की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 13-02-2019 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 20 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

क्रम-सं0	नाम	विषय
पहली सूचना	डा0 संगीता बलवन्त की	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में चोचकपुर मार्ग पर स्थित चहारन चट्टी से विश्रामपुर प्रा0 विद्यालय तक पिच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
दूसरी सूचना	श्री सीताराम वर्मा की	जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर-दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम-सं0	नाम	विषय
तीसरी सूचना	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की	जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज विकास खण्ड म्याऊ में कतिपय ग्रामों में रामगंगा नदी पर ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
चौथी सूचना	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद अन्तर्गत कतिपय गांव को थाना सिकन्द्राबाद में शामिल करने एवं प्रस्तावित थाना चोला को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है,
पांचवीं सूचना	श्री बृजेश कुमार की	जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत ग्राम कटरा तरौरा व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
छठी सूचना	श्री देवेन्द्र कमार निम की	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत गांवों में ओवरहेड टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
सातवीं सूचना	श्री संजय प्रताप जायसवाल की	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत गन्ना मिलों द्वारा की जा रही घटतौली की जांच एवं कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में है,
आठवीं सूचना	श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की	उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ायें जाने के सम्बन्ध में है,
नवीं सूचना	श्रीमती जय देवी की	उत्तर प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
दसवीं सूचना	श्री ज्ञान तिवारी की	जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां के ग्राम धनावा में संचालित खनन पट्टे में हुए घोटाले की जांच एस0आई0टी0/कैग से कराये जाने के सम्बन्ध में है,
ग्यारहवीं सूचना	दलवीर सिंह की	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
बारहवीं सूचना	श्री राम चन्द्र यादव की	जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत रूदौली व नौगवांडीह लघुडाल नहर को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
तेरहवीं सूचना	डॉ0 अरुण कुमार की	जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेमनगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
चौदहवीं सूचना	श्री अनूप प्रधान की	जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव जलोखरी से जनपद बुलन्दशहर की सीमा की गांव हिरौली तक पक्का मार्ग एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
पन्द्रहवीं सूचना	श्री सत्यवीर त्यागी की	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम दतावली से गोकुलपुर सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्रम-सं0	नाम	विषय
सोलहवीं सूचना	श्री पूरन प्रकाश की	जनपद मथुरा कतिपय विकास खण्डों में मा0 प्रधानमंत्री जी जलगांव योजना को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है,
सत्रहवीं सूचना	श्री संजय की	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम सुनाई में डुगरा जोगी माइनर की पटरी को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है,
अट्ठारवीं सूचना	श्री कृष्णपाल मलिक की	जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बिचपड़ी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
उन्नीसवीं सूचना	श्री सत्यपाल सिंह राठौर की	जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अन्तर्गत अगहट-ढटिगरा मार्ग से पलरा मार्ग तक सड़क निर्माण जाने के सम्बन्ध में, तथा
बीसवीं सूचना	श्री वीर विक्रम सिंह की	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत तिलहर सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयीं :-

क्रम सं0	नाम	क्रम सं0	नाम
1.	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,	15.	श्री बहोरन लाल मौर्य,
2.	श्री दुर्गा प्रसाद यादव,	16.	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान,
3.	श्री विरेन्द्र कुमार यादव,	17.	श्री नफीस अहमद,
4.	श्री पारसनाथ यादव,	18.	श्री उमाशंकर सिंह,
5.	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,	19.	श्री नरेश सैनी,
6.	श्री सोवरन सिंह यादव,	20.	श्री आलमबदी,
7.	श्री बम्बा लाल,	21.	श्री राम अचल राजभर,
8.	श्री राहुल प्रकाश,	22.	श्री असलम अली तथा
9.	श्री मसूद अखतर,	23.	श्री आजाद अरिमर्दन।
10.	श्री रोशन लाल वर्मा,		
11.	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी,		
12.	श्री रितेश पाण्डेय,		
13.	श्री विजेन्द्र सिंह,		
14.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य, ''पप्पू भइया''		

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में चोचकपुर मार्ग पर स्थित चहारन चट्टी से विश्रामपुर प्रा0 विद्यालय तक पिच रोड तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती संगीता बलवंत-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र-375 सदर गाजीपुर में चोचकपुर मार्ग पर स्थित चहारन चट्टी से विश्रामपुर प्रा0 विद्यालय तक पिच रोड जिसकी लम्बाई लगभग 6 किमी0 है जो पूर्णरूपेण ध्वस्त हो चुकी है जिसके कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे उत्पन्न हो गये हैं। जलभराव की समस्या के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। लोगों का इस मार्ग पर चलना कठिन हो गया है तथा क्षेत्रीय जनता में घोर निराशा व्याप्त है। महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों का आवागमन अति दुष्कर हो गया है। जनहित में इस रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए पिच रोड का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय से मोतिगरपुर-दोस्तपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जिला सुल्तानपुर मुख्यालय से एक राजमार्ग मोतिगरपुर-दोस्तपुर होकर अम्बेडकरनगर को जोड़ता है। इस राजमार्ग का सुल्तानपुर से मोतिगरपुर एवं दोस्तपुर से अम्बेडकरनगर तक के भाग का चौड़ीकरण पहले हो चुका है। किन्तु बीच मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 किमी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण न होने के कारण जनता को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एवं दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। जनहित में उक्त मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 किमी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह राजमार्ग मेरी विधान सभा 189-सदर, सुल्तानपुर के अन्तर्गत आता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मोतिगरपुर से दोस्तपुर तक 15 किमी0 राजमार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज विकास खण्ड म्याऊ में कतिपय ग्रामों में राम गंगा नदी पर ठोकरों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के विकास खण्ड म्याऊ में ग्राम सिमरिया देदूखाम एवं ग्राम चितरी में रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु ठोकरों का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण कराये जाने की परियोजना स्वीकृत हो गयी है। परन्तु अभी तक धन आवंटित न होने के कारण ठोकरों का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। विगत वर्ष इस नदी के कटान से इस क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ था। इस वर्ष यदि समय पूर्व ठोकरों का निर्माण न कराया गया तो काफी जनधन हानि होगी। अतः स्वीकृत परियोजना हेतु धन आवंटित कर ठोकरों का निर्माण समयबद्ध सीमा में पूर्ण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम सिमरिया देदूखाम एवं ग्राम चितरी में रामगंगा नदी के कटान से बचाये जाने हेतु ठोकरों का निर्माण समयबद्ध सीमा में कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद अन्तर्गत कतिपय गांव को थाना सिकन्द्राबाद में शामिल करने एवं प्रस्तावित थाना चोला को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नया थाना चोला सृजित करने की घोषणा शासन द्वारा की गयी है। जनहित में प्रस्तावित थाने में थाना खुर्जा देहात के अन्तर्गत आने वाले गांव अगराई, पंचगाई, चचोई, धमेड़ानगर तथा बहोराबांस व थाना सिकन्द्राबाद कोतवाली के अन्तर्गत आने वाले गांव कानकपुर उर्फ तालिबपुर का शामिल किया जाना अति आवश्यक है जिसकी मांग मेरे द्वारा विधान सभा में अनेक बार नियम-301 की सूचना के अन्तर्गत की गयी है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत ग्राम कटरा तरौरा व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-मोहान, जनपद-उन्नाव के ग्राम कटरा तरौरा व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल की नितांत आवश्यकता है।

नदी के इस पार और उस पार बड़ी संख्या की आबादी वाले गांव स्थित है। बरसात के दिनों में इस नदी के दोनों पार के क्षेत्र अलग-अलग हो जाते हैं। अपने संपर्क सूत्र से भी कट जाते हैं। यह पुल लखनऊ जिले के रहीमाबाद को भी जोड़ता है। लखनऊ से रहीमाबाद होकर आने वाले लोगों के लिए भी बड़ा सुगम मार्ग होगा।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि उक्त पुल की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु कार्रवाई के निर्देश देने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत गांवों में ओवरहेड टंकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर में हिंडन नदी के कारण भूजल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। जिससे नदी के आस-पास की आबादी कैंसर एवं लीवर से संबंधित बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिये गांवों में ओवरहेड टंकियों का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत गन्ना मिलों द्वारा की जा रही घटतौली की जांच एवं कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 309 रूधौली के किसानों का गन्ना ही आय का मुख्य स्रोत है। इसी के ही आय से किसान अपने बेटे-बेटियों की पढ़ाई-लिखाई शादी-विवाह का भार वहन करता है। परन्तु मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में स्थित बजाज शुगर मिल अठदमा के गन्ना क्रय केन्द्र के सेन्टरों पर नियुक्ति तौल लिपिकों के द्वारा घटतौली किये जाने से किसानों में बड़ा ही आक्रोश है। प्रति ट्राली 8-10 कुन्तल तथा प्रति डनलप 2-3 कुन्तल गन्ने की तौल में घटतौली की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में मिल द्वारा स्थापित रूधौली ब्लाक के रौनाकला के गन्ना क्रय केन्द्र पर किसानों के द्वारा घटतौली के विरोध में आवाज उठाये जाने पर गन्ना किसानों के गन्ने के सट्टे को निरस्त कर दिया गया जिसके लिए किसानों के द्वारा निरस्तीकरण के बाद अपना पक्ष एवं मिल के मनमानी तथा घटतौली के विरुद्ध जिला गन्ना अधिकारी बस्ती से शिकायत दर्ज करायी गयी। जिस पर जिला गन्ना अधिकारी बस्ती के द्वारा अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही का आश्वासन दिया गया परन्तु अभी तक किसानों के गन्ने सट्टे की बहाली नहीं की गयी। और न ही घटतौली करने वाले तौल लिपिकों के विरुद्ध ही कोई कार्यवाही की गयी। जिन किसानों के ट्राली व डनलप से गन्ने की घटतौली कर गन्ना कटौती की जाती थी उस कटौती के गन्ने को गन्ना माफियाओं के फर्जी सट्टे पर प्राप्त पर्चियों पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार गन्ना किसानों का शोषण के खेल में मिल द्वारा नियुक्त तौल लिपिकों से लेकर मिल प्रबन्धन के अधिकारियों तथा फर्जी सट्टेदार गन्ना माफिया शामिल है। मिल के पर्यवेक्षकों के द्वारा सर्वे के दौरान ही फर्जी सट्टा पर्यवेक्षकों से मिल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिलाकर फर्जी सट्टा गन्ना माफिया बनवा लेते हैं। जिसकी जांच करायी जाना गन्ना किसानों के हित में होगा। प्रकरण किसान हित एवं शोषण से जुड़ा अति महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपरोक्त लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश मे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक का दर्जा देकर उनका वेतन भी सहायक अध्यापक के समान 40 हजार के आस-पास हो गया था, वेतन वृद्धि के पश्चात् ज्यादातर लोग गांवों से नगर-शहर में अपने परिवार सहित रहने लगे थे व बच्चों की शिक्षा-दीक्षा भी शहर में कराने लगे थे किन्तु वर्तमान में कतिपय कारणों की वजह से शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000/- रुपये हो जाने के कारण उन्हें भीषण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वह अपने परिवार का सही ढंग से भरण-पोषण व बच्चों की शिक्षा-दीक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। व्यवहारिक रूप से भी देखा जाये तो शिक्षा मित्रों का कार्य एवं सहायक अध्यापकों का कार्य एक समान है, किसी-किसी विद्यालयों में तो पठन-पाठन का कार्य तो मात्र शिक्षा मित्रों के कारण ही सम्भव है।

महोदय वर्तमान में प्रदेश में शिक्षा मित्रों की लगभग संख्या पौने दो लाख के आस-पास है और उनके साथ उनके परिवार की भी जिम्मेदारी है, अगर व्यवहारिक पक्ष देखा जाये तो 10 हजार रुपये में उनका भरण-पोषण सम्भव नहीं है। अतः सहानुभूति पूर्वक उनकी विषम आर्थिक परिस्थिति पर पुनर्विचार कर मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। यदि 10 हजार की जगह शिक्षा मित्रों का मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये तो भी व्यवहारिक रूप से उनके परिवार का भरण-पोषण आसानी से हो जायेगा।

अतः इस विषय पर मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया जाये।]

उत्तर प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से मैं मांग करती हूं कि उ0प्र0 के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों क शिक्षकों की अभी तक सरकार द्वारा कोई भी सेवा नियमावली नहीं बनायी गयी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जिससे शिक्षकों के सामने बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के द्वारा उच्च शिक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें एम0फिल0 नेट, पी0एच0डी0 धारक उच्च शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जिनको वेतन के नाम पर मात्र नियत 10 हजार से 11 हजार तक का ही वेतन दिया जा रहा है, ऐसे में उनके परिवारों के समक्ष जीविकोपार्जन व उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उ0प्र0 के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा सेवानियमावली बनाया जाना जनहित में शिक्षकों तथा छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के हित में न्यायसंगत होगा।

अतः मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उ0प्र0 के स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों के हित में शिक्षक सेवा नियमावली बनाये जाने हेतु सरकार से शासनादेश व नियम बनाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करती हूं।]

जनपद सीतापुर के तहसील बिसवां के ग्राम धनावा में संचालित खनन पट्टे में हुए घोटाले की जांच एस0आई0ओ0/कैग से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से अति लोकमहत्व के प्रश्न से सदन का ध्यान जनपद सीतापुर, तहसील बिसवां, विधान सभा क्षेत्र-सेउता के अन्तर्गत ग्राम सभा धनावा में मानक के विपरीत जिलाधिकारी श्रीमती शीतल वर्मा खनन निरीक्षक, आर0पी0 सिंह, एस0डी0एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बिसवां एवं थाना प्रभारी रेउसा श्री महेश पाठक के संरक्षण में ठेकेदार के साथ मिलकर निर्धारित नियमों के विपरीत अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा है जिससे जन-धन की बड़ी हानि हो रही है। पट्टे धारक द्वारा क्षेत्रफल में लिफटर, सेक्सन, पोकलैण्ड आदि मशीनों द्वारा गहराई एवं चौड़ाई में सीमांकित क्षेत्र से अधिक खुदाई की गयी, जिससे एक नवयुवक एवं कई मवेशियों की डूबकर मृत्यु हो गई है और सड़क, पुल एवं आबादी को बड़ी हानि का खतरा उत्पन्न हो गया है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि 01 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2018 तक 6 माह में रुपये 3,32,10,000.00 (रु0 तीन करोड़ बत्तीस लाख दस हजार) का राजस्व जमा किया गया था, जबकि 01 जुलाई, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक सात माह में मात्र रुपये 10,00,000.00 (रु0 दस लाख मात्र) का ही राजस्व जमा कराया गया है, जोकि सरकार के राजस्व की एक बड़ी हानि है। इस गम्भीर प्रकरण में मेरे द्वारा प्रशासन व पुलिस से कई बार शिकायतें की गईं, शासन के जिम्मेदार लोगों को अवगत कराया गया किन्तु ठेकेदार एवं अधिकारियों के रसूख के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है बल्कि धरने पर बैठे ग्रामीणों पर लाठियां चलाकर मुकदमें में नामित कर दिया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः श्रीमान जी से मेरा अनुरोध है कि उक्त अति संवेदनशील लोकमहत्व के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर सरकारी राजस्व में हुई धन हानि की वसूली एवं अनुचित संरक्षण देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ के निम्नलिखित दो मार्ग प्रदेश सरकार द्वारा दो लेन या अधिक चौड़ाई के मार्गों के दोनों ओर 5 किमी0 तक सिंगल कनैक्टिवटी से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत जनहित में मेरे द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं। इन मार्गों का निर्माण ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए अति आवश्यक है।

1-बरानदी सेनगला बजारा मार्ग का नव निर्माण लम्बाई लगभग 400 मीटर।

2-कलाई-ऊंटगिर मार्ग से गिरधरपुर मार्ग का नव निर्माण लम्बाई लगभग 600 मीटर।

उक्त दोनों मार्गों के आगणन स्थानीय स्तर से मुख्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण कराना अति आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों के शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत रूदौली व नौगवांडीह लघुडाल नहर को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वर्ष 1977 से संचालित रूदौली व नौगवांडीह लघुडाल नहर क्षेत्र के किसानों की सिंचाई सुविधा को बेहतर करने के लिए तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई थी, परन्तु उक्त लघुडाल नहरें समुचित रूप से वर्तमान समय में संचालित नहीं हो पा रही हैं। जिसके कारण क्षेत्र की कई दर्जन ग्राम पंचायत के किसानों की फसल सिंचाई से वंचित हो रही है। क्षेत्रीय किसानों की मांग पर वर्ष 2016-17 में दोनों लघुडाल नहरों के मरम्मत का कार्य भी कराया गया था इसके बाद भी दोनों लघुडाल नहरों का संचालन सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता भी निम्नकोटि की है। सिंचाई की समस्या का निदान न होने से क्षेत्रीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली अन्तर्गत थाना प्रेम नगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली के अन्दर थाना-प्रेम नगर क्षेत्र में मोहल्ला कानून गोयान एवं अशरफ खां की छावनी में पुलिस चौकियां काफी खस्ताहाल एवं लगभग टूटी हुई है। यहां बैठने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। जिसकी वजह से चौकी में कम पुलिसकर्मी बैठते हैं। जनहित में उक्त दोनों चौकियों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर के गांव जलोखरी से जनपद बुलन्दशहर की सीमा की गांव हिरौली तक पक्का मार्ग एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप प्रधान-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर, जनपद अलीगढ़ के गांव जलोखरी से जनपद बुलन्दशहर की सीमा के गांव हिरौली तक लगभग 900 मीटर का रास्ता कच्चा है। उक्त मार्ग दोनों तरफ पक्का मार्ग है। 900 मीटर कच्चा रास्ता होने के कारण पूरे मार्ग का उपयोग नहीं हो पा रहा है। उक्त कच्चे रास्ते का पक्का निर्माण (डामरीकरण) कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त 900 मीटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर के अन्तर्गत ग्राम दतावली से गोकुलपुर सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा 46, किठौर जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम दतावली से गोकुलपुर (गोकुलपुर दतावली बाईपास) तक लगभग 03 किलोमीटर सड़क अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में कच्चा मार्ग है उक्त मार्ग पक्का न होने के कारण ग्रामवासियों को काफी कठिनाईयों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में इस मार्ग का डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के कतिपय विकास खण्डों में मा0 प्रधानमंत्री जी जलगांव योजना को स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनपद मथुरा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक जनपद में दो-दो जलगांव (जिसके अन्तर्गत ग्रामीण आंचल में मीठा पानी/गांवों के अन्दर नाली, सड़क व अन्य सम्पूर्ण विकास) कराया जाता है। इन दो जलगांव योजना को मथुरा में कार्यरत जल निगम के अधिशासी अभियंता श्री पी0के0 खण्डेलवाल द्वारा जानबूझकर हमारे क्षेत्र बल्देव (मथुरा) के तीन ब्लाक 1. बल्देव, 2. राया, 3. फरह जो कि बहुत पहले से डार्क जोन घोषित है तथा जमीन के नीचे खारा पानी है और ग्रामीण लोगों को दो-तीन किमी0 दूर से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है। इस सबके बावजूद भी अधिशासी अभियंता जल निगम श्री पी0के0 खण्डेलवाल द्वारा मेरे क्षेत्र के डार्क जोन ब्लाकों को नजरअंदाज कर अपने मूल निवासी कोसी (मथुरा) के होने के फलस्वरूप अपने निवास के आस-पास माननीय प्रधानमंत्री जी की जलगांव योजना को स्वीकृत किया है। जबकि गृह जनपद के निवासी होने पर उस जनपद में शासन की नीति के अनुसार पोस्टिंग नहीं हो सकती है। श्री पी0के0 खण्डेलवाल ने जनपद मथुरा के अन्तर्गत हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट डिप्लोमा व अन्य शैक्षिक कोर्स अपने गृह जनपद मथुरा में ही की है। औरअन्य परिवारीजन भी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के योजनाओं के साथ मनमानी की जा रही है। अतः इनका यहां से स्थानान्तरण कर तथा उच्च स्तरीय जांच कराकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपरोक्त तीनों ब्लाकों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जलगांव योजना स्थापित कर विकास करायें।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम सुनाई में डुगरा जोगी माइनर की पटरी को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर में गांव सुनाई (बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग) पर एक बड़ी पैंठ (स्थानीय बाजार) लगता है जिसमें पशुओं से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकर रोजमर्रा की सभी जरूरतों के लिये आस-पास के 20 से भी अधिक गांवों के लोग आते हैं। इसी के नजदीक डूगरा जोगी माइनर रजवाहा की कच्ची पटरी है जहां का रास्ता हमेशा खराब रहता है। इस मार्ग से लगभग 10 गांवों के लोग अपने कृषि उत्पादों, पशुओं को बेचने व खरीदने के लिए आते-जाते हैं इस माइनर की पटरी कच्ची होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा इस माइनर की पटरी को पक्का कराने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए डूगरा जोगी माइनर की पटरी को पक्का कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बिचपडी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल मलिक-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद बागपत में बड़ौत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बिचपडी पुल की हालत अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस पुल से क्षेत्र के 15-20 ग्रामों के निवासियों का आवगमन होता है। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जनहित में इस पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतएव उपरोक्त जनहित व लोकमहत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कर बड़ौत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बिचपडी पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज अन्तर्गत अगहट ढटिगरा मार्ग से पलरा मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद एटा के मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज के सराय अगहट-ढटिगरा मार्ग (डाकूरोड) से पलरा तक मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत तिलहर सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद शाहजहांपुर क्षेत्र के अन्तर्गत व आस-पास के गन्ना कृषकों की आबादी अधिक होने के कारण लगभग समस्त गन्ना कृषक अपना गन्ना उक्त चीनी मिल में ले जाते हैं परन्तु इस चीनी मिल की पेराई क्षमता कम होने के कारण पूरा गन्ना समय से पेरने में काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसी स्थिति में इस चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

श्री बृजेश कुमार प्रजापति, आपकी याचिकायें पढ़ी गयी मानी गयीं।

[01:20 बजे] घोर व्यवधान के मध्य श्री बृजेश कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा ने जनपद बांदा से सम्बन्धित तीन याचिकाएं प्रस्तुत कीं†

श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत यमुना नदी में गलौली-बारा घाट में पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का दीर्घ सेतु बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के थाना देहात कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम जारी तिराहे में पुलिस चौकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय जसपुरा में अग्निशमन केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकमल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री रोशन लाल वर्मा, आपकी याचिकायें पढ़ी गयी मानी गयीं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गयीं।

घोर व्यवधान के मध्य श्री रोशन लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक निगोही से सम्बन्धित चार याचिकाएं प्रस्तुत कीं†

श्री रोशन लाल वर्मा-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम-मोहरतला से गंगाजमुनी तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम-बिछौली से भरतापुर तक कच्चे गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दानवीर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम-पराझरसा से बरैंचा तक पक्के जर्जर गड्ढायुक्त मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम-बरैंचा व ग्राम-रतूली के मध्य कैमुआ नाला पर बड़ी पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती गरिमा सिंह, आपकी याचिका पढ़ी गयी मानी गयीं।

घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती गरिमा सिंह, सदस्य, विधान सभा ने जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिकाएं प्रस्तुत कीं†

श्रीमती गरिमा सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अमेठी के ग्राम सभा-थौरा, ब्लाक-भेटुआ से गड़ेरीयनपुरवा तक 02 किमी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, आपकी याचिकायें पढ़ी गयी मानी गयीं।

---

† छापी नहीं गयीं।

घोर व्यवधान के मध्य श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा ने जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं प्रस्तुत की†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम-मैनपुर रजबावर (मुसहर टोली) बाणी नदी (रिखई घाट) तहसील-कसया, ब्लाक-कसया में सेतु निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मिथिलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा-कोहरवालिया (कुबेर स्थान प्राचीन शिव मन्दिर) तहसील-पडरौना, ब्लाक-पडरौना में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्राम-भरवलिया में स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामाशीष मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में कुबेर स्थान व आस-पास के गांव को मिला कर नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में श्री अनिल मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्राम सभा-कटघरही, विकास खण्ड-रामकोला में स्वच्छ पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रजली देवी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा-शिवपुर बुजुर्ग, तहसील-कसया, ब्लाक-पडरौना में स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन मदेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा-सिधुआ बांगर, तहसील-कसया, ब्लाक-कसया में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवध किशोर व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

(8) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा-फागूपुर, बिशानपुरा, तहसील-कसया, ब्लाक-पडरौना में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवमोहन प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

श्री बहोरन लाल मौर्य, आपकी याचिकायें पढ़ी गयी मानी गयीं।

घोर व्यवधान के मध्य श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा ने जनपद बरेली से सम्बन्धित तीन याचिकाएं प्रस्तुत की†

श्री बहोरन लाल मौर्य-

(1) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में सेमीखेड़ा चीनी मिल की गन्ना पिराई क्षमता वृद्धि एवं डिस्टलरी स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छेदालाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में ग्राम-नगरियाकला व कमालपुर के बीच किछा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं, तथा

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बरेली की तहसील-सदर, बरेली में मोहल्ला बाकरगंज व ग्राम-दौलीरघुवरदयाल के बीच किला नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्या, श्रीमती सुषमा पटेल अपने स्थान पर नहीं हैं, इसलिए इनकी याचिका अग्राह्य की जाती है।

घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

घोर व्यवधान के मध्य श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र साहू व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9, 10, 11 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-12

[01:21 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

(सदन में घोर व्यवधान के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं ली गयीं।)

[01:21 बजे] वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के ऐसा लगता है कि आप लोग आज आय-व्ययक पर चर्चा नहीं चाहते हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[01:21 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनायें लेते हैं।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 58 सूचनायें प्राप्त हुईं निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्रम	नाम	विषय
पहली सूचना	श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस की	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत वि0ख0 कलान के ग्राम परौर में रामगंगा से आई बाढ़ से बेघर हुये व्यक्तियों का पुनर्वास कराये जाने के संबंध में है,
दूसरी सूचना	श्री राम चन्द्र यादव की	प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराये जाने के संबंध में है,
तीसरी सूचना	डॉ0 श्याम बिहारी लाल की	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी में पेयजल की व्यवस्था किये जाने के संबंध में,
चौथी सूचना	श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की	जनपद बांदा के नगर पालिका परिषद् अतर्रा के प्रभारी अधिशासी अधिकारी को मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने एवं इनके द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है, तथा
पांचवीं सूचना	श्री संजय प्रताप जायसवाल की	प्रदेश में गर्वित गोलबल कम्पनी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच तथा जनता के वसूले पैसों को वापस दिलाये जाने के संबंध में है।

क्रम	नाम	विषय
	निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं:-	
पहली सूचना	श्री संगम लाल गुप्ता की	जनपद प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में भू-माफियाओं एवं राजस्व कर्मियों द्वारा जनता का शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा
दूसरी सूचना	श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की	जनपद फिरोजाबाद में विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।
	निम्नलिखित सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं:-	
पहली सूचना	श्री अगयश राम सरन वर्मा की	जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नामिका अधिवक्ताओं की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में।
दूसरी सूचना	श्री बृजेश कुमार की	जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ब्लाक हसनगंज के ग्राम ऊचेद्वार से ब्लाक औरास को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में।
तीसरी सूचना	श्री देवेन्द्र कुमार निम की	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में यूनिटेक प्रा0 लि0 द्वारा एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने के संबंध में।
चौथी सूचना	श्री रोशन लाल वर्मा की	जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में किसानों को ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन दिलवाये जाने के संबंध में।
पांचवीं सूचना	डॉ0 अरुण कुमार की	जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली में बन रहे 300 बेड वाले अस्पताल को पी0पी0पी0 माडल पर सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल-ट्रामा सेन्टर के रूप में संचालित कराये जाने के संबंध में।
छठवीं सूचना	श्री राम नरेश रावत की	जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के विकास खण्ड शिवगढ़ एवं महाराजगंज में मनरेगा के कार्य न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
सातवीं सूचना	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की	जनपद लखनऊ में कोनेश्वर मन्दिर से बालागंज चौराहे एवं दुबग्गा से होते हुये बसन्तकुंज योजना तक फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के संबंध में।
आठवीं सूचना	श्री रमेश चन्द्र मिश्र की	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बघाड़ी कला इमलियाघाट पर बने पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में।
नवीं सूचना	श्री संजय की	जनपद बुलन्दशहर के महाविद्यालयों को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा से सम्बद्ध किये जाने के संबंध में।
दसवीं सूचना	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के गगरौल रेलवे स्टेशन पर अण्डरब्रिज बनाये जाने के संबंध में।

क्रम	नाम	विषय
ग्यारहवीं सूचना	श्री दयाराम चौधरी की	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में स्वास्थ्य केन्द्र पर हृदयरोग विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।
बारहवीं सूचना	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू की	जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र में पक्के पुल के निर्माण प्रारम्भ होने से पहले ही पान्टून पुल हटा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा
तेरहवीं सूचना	डॉ0 जी0एस0 धर्मेश की	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट में दलित बस्ती नरीपुरा में मानसिंह के मकान से बबलू के मकान तक इन्टरलॉकिंग खड़ंजा एवं नाली निर्माण कराये जाने के संबंध मे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्रम	नाम	क्रम	नाम
1	श्री अमिताभ बाजपेई	21	श्रीमती आराधना मिश्रा मोना
2	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	22	श्री उमाशंकर सिंह
3	श्री अजय कुमार लल्लू	23	श्री पारसनाथ यादव
4	डॉ0 हरेन्द्र प्रसाद सिंह	24	श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
5	श्री आलमबदी	25	श्री राहुल प्रकाश
6	श्री पूरन प्रकाश	26	श्री राम अचल राजभर
7	श्री अजीत पाल सिंह	27	श्री हाकिम लाल बिंद
8	श्री कैलाश नाथ शुक्ल	28	श्री लाल जी वर्मा
9	श्रीमती अनीता	29	श्री विजेन्द्र सिंह
10	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	30	श्री मसूद अख्तर
11	श्री राकेश प्रताप सिंह	31	श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी
12	सुश्री अदिति सिंह	32	श्री रितेश पाण्डेय
13	श्री सीताराम वर्मा	33	श्री अनिल कुमार मौर्य
14	श्री पंकज गुप्ता	34	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान
15	श्री नरेश सैनी	35	श्री आर0के0 सिंह पटेल
16	श्री सत्यपाल सिंह राठौर	36	डॉ0 डी0सी0 वर्मा
17	श्री आजाद अरिमर्दन	37	श्री उज्जवल रमण सिंह तथा
18	श्री अबरार अहमद	38	श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य ''पप्पू भइया''
19	श्री प्रभुनारायण सिंह यादव		
20	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा		

[01:22 बजे] जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र.....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़-जो काफी पिछड़ा हुआ है जहां पर मार्गों/सम्पर्क मार्गों का अभाव है। कुछ मार्गों का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण जहां पूर्व में व्यय की गयी राजकीय धनराशि निरर्थक साबित हो रही है वहीं मार्ग का पूरी तरह से निर्माण न होने के कारण लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है, और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सगरा रजबहा की पटरी का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण धधुआगाजन से वर्मा नगर तक, तथा कामापट्टी से बीजमऊ तक कर दिया गया है, किन्तु उक्त दोनों के बीच का हिस्सा, जिसकी लम्बाई लगभग 15.00 किमी0 है, का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण अभी तक नहीं हो सका है, ऐसी स्थिति में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य अधूरा है। जनहित के दृष्टिकोण से यह अत्यन्त ही आवश्यक है, उक्त दोनों के बीच के हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है। निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण आवागमन बाधित होने से लोगों में चिन्ता व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करती हूं।

वक्तव्य :-

सगरा रजबहा की पटरी का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण धधुआगाजन से वर्मा नगर तक लम्बाई 8.85 कि0मी0 त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत स्वीकृत है। स्वीकृत लागत रु0 1020.07 लाख है। मार्ग 5.50 मी0 चौड़ाई में डी0बी0एम0 स्तर तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्ण है। कामापट्टी से बीजूमऊ का भाग लम्बाई 11.10 कि0मी0 व्यापार विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत है। स्वीकृत लागत रु0 933.91 लाख है। डी0बी0एम0 स्तर तक कार्य 5.50 मी0 चौड़ाई में पूर्ण है। उक्त दोनों मार्गों के बीच का हिस्सा जिसकी लम्बाई 12.62 कि0मी0 है, जिसमें 1.82 कि0मी0 लोक निर्माण विभाग (प्र0प0) प्रतापगढ़ के अधीन माह 6/2020 तक अनुरक्षण के अन्तर्गत है एवं शेष मार्ग का स्वामित्व 7.90 कि0मी0 लम्बाई में सिंचाई विभाग तथा 2.90 कि0मी0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीन होने के कारण उक्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।]

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम-अवनपुर में शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के अन्तर्गत....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अन्तर्गत स्थित ग्राम अवनपुर व बड़नपुर सहित अनेक ग्राम सभाओं में सीलिंग अन्तर्गत आने वाले भूमि के संबंध में सरकार बनाम अजीत प्रताप सिंह के मुकदमें में 22 फरवरी, 1986 को आदेश होने के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में उस आदेश के विरुद्ध कई बार वाजदायरे की सुनवाई होने के उपरान्त हुए अन्तिम निर्णय की अमलदरामद भी खतौनियों में 25-08-1999 में कर दी गयी, किन्तु बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने के उद्देश्य से अनाधिकार रूप से पत्रावली में वाजदायरे पर वाजदायरा दिया जाता रहा और सभी सुनवाईयों 12 फरवरी, 1986 में हुए आदेश की पुष्टि होने के बावजूद अन्तिम रूप से पुनः अदालती पत्रावली में 21 जून, 2003 के एक वर्ष बाद 30 जून, 2004 को पत्रावली प्रस्तुत हुयी और उसके बाद 2009 तक पत्रावली में सामान्य तिथियां लगाने के बाद पत्रावली को तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ठण्डे बस्ते में रख दिया गया और बीच के वर्षों में बिना किसी स्पष्ट आदेश के सीलिंग के संदर्भ में खतौनी में दर्ज हुए आदेशों को हटा कर पुनः खातेदारों का नाम अंकित कर दिया गया है और इस विषय पर लगभग 03 माह पूर्व मेरे द्वारा शासन को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस संबंध में अवगत कराये जाने के बाद प्रभारी अधिकारी सीलिंग/अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व श्री मनोज कुमार को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष इस बात से अवगत कराया गया कि सीलिंग की पत्रावली को संबंधित पटल के कर्मचारियों द्वारा गायब कर दिया गया है। इस संबंध में मेरे समक्ष जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अपर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को तत्काल संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सक्षम विभागीय कार्यवाही करने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों में सीलिंग की भूमियों के बाबत अन्तिम आदेशों को अंकित कराये जाने एवं संबंधित भूमि को अपने कब्जा दखल में लेने के आदेश दिये जाने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारी सीलिंग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न किया जाना अत्यन्त ही खेदजनक है।

मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि शासन द्वारा एन्टी भू-माफिया पोर्टल गठित कर इस प्रकार के मामलों में प्रभावी कार्यवाही करने के स्पष्ट शासनादेश निर्गत होने के बावजूद भी उक्त सीलिंग की भूमियों के संबंध में जो 42 बीघे से अधिक है उनमें प्रमुख रूप से नगर पंचायत कटरा मेंदनीगंज के अवनपुर में स्थित लगभग 20 बीघे से अधिक की भूमि को तथा कथित राजा प्रतापगढ़ अनिल प्रताप सिंह द्वारा धड़ल्ले से मात्र 10/- रुपये के स्टाम्प पर कम पढ़े-लिखे अधिकांशतया अल्पसंख्यक समुदाय के भोले-भाले लोगों को विक्रय पत्र देकर अनाधिकृत कब्जा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है, तथा इस संबंध में मेरे बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी प्रभारी अधिकारी सीलिंग द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के निर्देशों की अवहेलना कर सीलिंग से प्राप्त शासकीय भूमि पर अनाधिकृत अध्यासन कराये जाने के विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराकर तत्काल नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः लोक महत्व के उपर्युक्त वर्णित विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।

आख्या-

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की आख्या के अनुसार प्रकरण में तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, सदर एवं अपर जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से जांच कराई गयी। प्रकरण वर्ष 1978 के पूर्व से मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़ के न्यायालय में प्रचलित है तथा दिनांक 21.05.2009 के उपरान्त वाद में कोई भी तिथि नियत नहीं की गयी है, न ही कोई कार्यवाही की गयी है। ऐसी परिस्थिति में कार्यवाही न किए जाने के संबंध में तथा वाद निस्तारण में उदासीनता के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के संबंध में विस्तृत एवं सघन जांच हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार सदर की टीम गठित कर सम्पूर्ण प्रकरण की विस्तृत जांच व अन्वीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से आच्छादित है, ऐसी दशा में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप औपचारिकताओं को पूर्ण कर गुण-दोष के आधार पर ही कार्यवाही समीचीन होगी।

जहां तक 10/- रुपये के स्टाम्प पर कम पढ़े-लिखे अधिकांशतया अल्पसंख्यक समुदाय के भोले-भाले लोगों को विक्रय पत्र देकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कराये जाने का प्रश्न है, के परिप्रेक्ष्य में भी अपर जिलाधिकारी (वि/रा) की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार सदर की टीम गठित कर जांच एवं कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से आच्छादित होने के कारण प्रशासनिक स्तर से कोई कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है।]

जनपद रायबरेली के गुरूबक्सगंज थाने द्वारा किये गये कांजी हाउस के अनाधिकृत कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद रायबरेली के गुरूबक्सगंज थाने द्वारा.....

दुग्ध विकास मंत्री (श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जिला पंचायत रायबरेली के कांजी हाउस को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इस समय छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। छुट्टा जानवरों के खुले होने से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। छुट्टा जानवरों की विषम समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने कांजी हाउस को पुनर्जीवित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से कांजी हाउस पर कब्जा किए जाने के स्थानीय जनता में बहुत ही असंतोष की भावना व्याप्त है। इस कांजी हाउस को पुलिस के अनाधिकृत अतिक्रमण से खाली कराए जाने के लिए इसके पूर्व कई आवेदन-पत्र जिले स्तर पर और शासन स्तर पर दिए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् की जांच भी जा चुकी है। जांच के उपरान्त यह सही पाया गया है कि कांजी हाउस पर अवैध कब्जा है। इस कांजी हाउस में होमगार्ड विभाग का एक सिपाही अवैध ढंग से रह रहा है और अपना कब्जा बनाए हुए है। जनहित में कांजी हाउस को रिक्त कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके संज्ञान में लाते हुए कांजी हाउस को अनाधिकृत कब्जे से खाली कराये जाने की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2- मा0 विधायक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गयी। इस संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 11.02.2019 में उल्लेख किया गया है कि ''प्रश्नगत प्रकरण में, जिस जमीन का उल्लेख कांजी हाउस की जमीन के रूप में किया जा रहा है, वह जमीन राजस्व ग्राम औनई पहाड़पुर परगना व तहसील सदर जनपद रायबरेली के अन्तर्गत गाटा संख्या-665/0.018 व 668/0.889 हेक्टेयर भू-अभिलेखों में थाना गुरूबक्शगंज के नाम दर्ज है। इस सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2017 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की गयी थी और पाया था कि उक्त गांव में कांजी हाउस के नाम कोई भूमि अंकित नहीं है।

उक्त प्रकरण में श्री आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0, लखनऊ द्वारा भी जांच की गयी थी और पत्र संख्या-06/नि0स0-सचिव/2015 द्वारा सन्दर्भित अपनी आख्या दिनांक 15.01.2015 में दिये गये निष्कर्ष के प्रस्तर-7 में अंकित किया गया है कि ''राजस्व प्रशासन से अभिलेखों के सम्बन्ध में ज्ञात किया गया तो यह स्पष्ट हुआ है कि पुलिस विभाग का यह कथन सही है कि सम्बन्धित भूमि राजस्व अभिलेखों में लगभग 90 से भी अधिक वर्षों से थाने के नाम अंकित है एवं उसमें जिला पंचायत का कोई उललेख नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि राजस्व अभिलेखों में कोई त्रुटि थी तो भी जिला पंचायत को सक्षम न्यायालय के समक्ष इस प्रश्न को उठाना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं उठाया गया। भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा-44 में यह प्राविधानित है कि राजस्व अभिलेखों की सभी प्रविष्टियां जब तक विपरीत सिद्ध न की जा सकें, सही मानी जायेंगी। अतः विधिक दृष्टिकोण से इस भूमि पर थाने का ही मालिकाना अधिकार मान्य होगा।

उक्त आख्या में यह भी अनुशंसा की गयी है कि जिला पंचायत सक्षम न्यायालय में चाराजोई करके अपना स्वत्व निर्धारित करा कर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन करायें, जिसके क्रम में जिला पंचायत रायबरेली द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-16 रायबरेली में एक वाद संख्या 356/16 बनाम थानाध्यक्ष गुरूबक्शगंज, रायबरेली योजित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है। इस वाद में सुनवायी हेतु अग्रिम तिथि 16.04.2019 नियत है।

उल्लेखनीय है कि शासन की निराश्रित गौवंश को स्थायी गौवंश आश्रय/गौशाला में रखने की मंशा के क्रम में जिला पंचायत के अनुरोध पर जनपद में 18 स्थानों पर गौवंश आश्रय हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी है एवं इन स्थलों में से जिला पंचायत के सौजन्य से 02 स्थानों पर गौवंश आश्रय का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 16 स्थानों पर कार्य निर्माणाधीन है। जिला पंचायत द्वारा अनुरोध किये जाने पर अन्य स्थानों पर गौवंश आश्रय हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार कांजी हाउस या गौवंश आश्रय स्थल खोले जाने का उद्देश्य राजस्व, प्रशासन एवं जिला पंचायत के पारस्परिक सहयोग से पूर्ण किया जा रहा है।''

3- जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, रायबरेली की उक्त संयुक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जिला पंचायत रायबरेली द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट संख्या-16 रायबरेली में एक वाद संख्या 356/16 बनाम थानाध्यक्ष गुरूबक्शगंज, रायबरेली योजित किया गया है जो विचाराधीन न्यायालय है। इस वाद में अग्रिम तिथि 16.04.2019 नियत है। इस प्रकार प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद हमीरपुर के तहसील-मौदहा में निजी भूमि पर खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किये जा रहे अवैध खनन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश त्रिवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद हमीरपुर के तहसील-मौदहा में....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ग्राम भुलसी में ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से मेसर्स सिल्वर मिष्ट रिटेल प्र0लि0 के पक्ष में, खण्ड सं0-30/2, क्षेत्रफल 36.437 हे0 अवधि दिनांक 08.12.2018 से 07.12.2023 उपखनिज बालू/मौरंग का खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्रों में कतिपय काश्तकारों की भूमि है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि किसी भूमि में उपलब्ध खनिजों का सार्वभौमिक अधिकार राज्य सरकार का है। इसके साथ ही खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली काश्त भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-67 में प्राविधान है कि ''कोई भी व्यक्ति जिसे खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि में किसी भी रूप में अधिकार प्राप्त हो, ऐसी भूमि के पट्टा या खनन अनुज्ञा पत्र धारक खनन संक्रियाओं पर कोई प्रतिषेध या निर्बन्धन आरोपित करने या उपखनिज हटाने के लिये अधिमूल्य (प्रीमियम) या स्वामित्व के रूप में कोई धनराशि मांगने का हकदार न होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति भूमि के धरातल की खनन संक्रियाओं के लिये उपयोग करने हेतु खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र के उक्त धारक से ऐसा वार्षिक प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो उनके बीच तय हो।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जहां खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्रधारक और भूमि की सतह के स्वामी वार्षिक प्रतिकर की धनराशि पर सहमत न हो और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो जिला अधिकारी द्वारा उसका अवधारण किया जायेगा।

नियम-67 के उक्त प्राविधान के अन्तर्गत मेसर्स सिल्वर मिष्ट रिटेल प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा भुलसी खण्ड संख्या-30/02 के अन्तर्गत आने वाले काश्तकारी के प्रतिकर निर्धारित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, मौदहा, हमीरपुर के पत्र संख्या-406/एस0टी0-खनन/2018-19, दिनांक 01.02.2019 द्वारा आख्या/संस्तुति प्रेषित की गयी है। उप जिलाधिकारी, मौदहा की आख्या के अनुसार उक्त खनन पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत कई काश्तकारों की भूमि है, जिसके प्रतिकर का अवधारण प्रक्रियाधीन है।

मेसर्स सिल्वर मिष्ट रिटेल प्रा0लि0 द्वारा ग्राम आनूपुर मोड़ के पास बिना भण्डारण लाइसेंस के अवैध भण्डारण की शिकायत के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भण्डारण श्री आशीष कुमार श्रोती पुत्र श्री प्रमोद कुमार श्रोती नि0 15 कोलर रोड रचना गुई लेदर्स के पास क्षत्रपति शिवा जी कालोनी चूना भट्टी हूजूर भोपाल मध्य प्रदेश के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2018 पर सम्यक् विचारोपरान्त जिलाधिकारी, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 05.06.2018 द्वारा कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के ग्राम आनूपुर के गाटा संख्या-20, 113, 122 क्षेत्रफल 17403 वर्गमीटर में 35000 घनमीटर उपखनिज मौरंग के भण्डारण हेतु दिनांक 06.06.2018 से 05.06.2020 तक (02 वर्ष) की अवधि के लिये मौरंग भण्डारण की अनुमति उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है।

इस प्रकार भुलसी के काश्तकारों के विभिन्न गाटा संख्याओं पर मेसर्स सिल्वर मिष्ट रिटेल प्रा0लि0 द्वारा ई-टेण्डरिंग की आड़ में खनिज विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से किसानों की निजी भूमि पर अवैध रूप से खनन कराये जाने एवं आनूपुर मोड़ में भण्डारण लाइसेन्स के बिना बालू/मौरंग का भण्डारण किये जाने की शिकायत निराधार है।]

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में मुरारी नाले के पास, दादू पोटली, मिलन मैरिज लान व भावड़ा इम्पोरियम के निकट अवैध भू-खण्ड व कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में.....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्यमंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के अन्दर चुंगी गाटा संख्या 2837 क्षेत्रफल 0.316 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या-2830 क्षेत्रफल 0.354 हेक्टेयर असल काश्तकार निरंजन पुत्र भगवान दास, प्रकाश पुत्र हुकुम सिंह एवं चन्द्रपाल पुत्र रामदास की जमीन पर इमरान आदि अवैध कालोनी काट रहे हैं। खुर्जा गाटा संख्या 1039 क्षेत्रफल 1.952 हेक्टेयर असल काश्तकार रतनलाल व क्षत्रपाल पुत्र मिटठन की जमीन पर हाजी बसर आदि अवैध कालोनी काट रहे हैं खुर्जा गाटा संख्या-1096 क्षेत्रफल 2.585 काश्ताकार बुन्दु पुत्र ईसाक खां कालोनी स्वयं इनके पुत्र आदि अवैध कालोनी काट रहे हैं खुर्जा गाटा सं0 592 क्षेत्रफल 0.253 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या 599 क्षेत्रफल 0.594, गाटा संख्या 600 क्षेत्रफल 0.304 हेक्टेयर असल काश्तकार अब्दुल सत्तार आदि व अवैध कालोनी काटने वाले विल्लू चौधरी व आरिफ हैं। यह सभी राजस्व की हानि कर सरकार को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं साथ-साथ जो व्यक्ति प्लाट ले लेते हैं उन्हें सुविधाओं का कोरा आश्वासन (बिजली, पानी, सड़क, नाली एवं पार्क आदि) देकर लोगों को ठग रहे हैं जो कि इसमें कोई सुविधा ऐसी नहीं है। इसमें खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मोहम्मद सफाकत कलाम, सचिव, ज्ञानेन्द्र वर्मा, सहायक अभियन्ता विनीत कुमार अग्रवाल एवं सभी अभियन्ताओं द्वारा अवैध रूप से बना रहे उपरोक्त कालोनियों से भारी रकम ऐंठी जा रही है जो सर्वथा अनुचित है। जिससे सरकार को मिलने वाला विकास शुल्क की भारी क्षति हो रही है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है और कालोनी में रह रहे लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। उपरोक्त अवैध कालोनी काटने वाले व खुर्जा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अवलिम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य दिलाए जाने की मांग करता हूं।

विभागीय टिप्पणी-

उक्त प्रकरण पर बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अवगत कराया गया है कि गाटा संख्या-2837 रकबा 0.316 हे0 एवं गाटा संख्या-2830 रकबा 0.354 हे0 के असल काश्तकार श्री निरंजन पुत्र भगवान दास, श्री प्रकाश पुत्र श्री हुकुम सिंह एवं श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री रामदास की जमीन पर श्री इमरान आदि द्वारा अवैध कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में स्थल पर वर्तमान में कोई निर्माण/विकास कार्य नहीं हो रहा है। पूर्व में भू-स्वामी के द्वारा स्थल पर सड़क आदि बनाने के लिये मिट्टी डाली गयी थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हटवा दिया गया था। इसके साथ ही साथ लगभग 150 वर्गमी0 भूमि क्षेत्रफल पर निर्माण के लिये नींव भरी गयी थी एवं एक छोटा कमरा बना लिया गया था, जिसके विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश दि0 27.11.18 को पारित किया जा चुका है। निर्माणकर्ता के द्वारा इसे शमन कराने हेतु शमन मानचित्र प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

गाटा संख्या-1039 रकबा 1.952 हे0 के असल काश्तकार श्री रतनलाल व श्री क्षत्रपाल पुत्र श्री मिट्ठन की जमीन पर हाजी बसर आदि अवैध कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में उक्त भूमि पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस एवं धारा-28(1) के अन्तर्गत दि0 22.01.2019 को निर्माण कार्य रोकने के आदेश पारित किये गये थे, जिसमें सुनवाई की तिथि 28.01.19 निर्धारित की गयी थी, परन्तु विपक्षी नियत तिथि पर अनुपस्थित रहा। उसके उपरान्त पुनः सुनवाई तिथि दि0 12.02.2019 नियत थी, जिस पर विपक्षी अनुपस्थित रहा। अतः प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया गया है। यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूखण्ड को जोड़ने वाले रास्ते पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स नगर पालिका परिषद्, खुर्जा द्वारा लगाकर सड़क का निर्माण कर दिया गया है। वर्तमान में स्थल पर निर्माण/विकास कार्य रुका हुआ है।

गाटा संख्या-1096 रकबा 2.585 हे0 के काश्तकार श्री बुन्दु पुत्र श्री ईसाक खां कालोनी स्वयं इनके पुत्र आदि अवैध कालोनी काटे जाने के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में उक्त भूमि पर अवैध उपविभाजन किये जाने एवं विकास कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था एवं स्थल पर निर्माण/विकास कार्य को दिनांक 17.05.2017 को ध्वस्त कर दिया गया था। निर्माणकर्ता द्वारा प्रश्नगत स्थल पर पुनः निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने की दशा में निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा रुकवा दिया गया है।

गाटा संख्या-592 रकबा 0.253 हे0, गाटा संख्या-599 रकबा 0.594 हे0 एवं गाटा संख्या-600 रकबा 0.304 हे0 के असल काश्तकार श्री अब्दुल सत्तार आदि व अवैध कालोनी काटने वाले श्री विल्लू चौधरी व श्री आरिफ के सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण कराने पर स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या-592 में केवल 05 फिट की बाउण्ड्रीवॉल बनी है तथा गाटा संख्या-600 पर निर्माण/विकास कार्य नहीं हुआ है। गाटा संख्या-599 पर भू-स्वामी के द्वारा भूमि के अन्दर पूर्व में बाउण्ड्रीवॉल आदि बनाने का कार्य प्रारम्भ कराया गया था, जिसे प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त करते हुए रुकवा दिया गया था। वर्तमान में कोई निर्माण/विकास कार्य नहीं हो रहा है।]

जनपद पीलीभीत के ए0बी0आर0सी0 के कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद पीलीभीत के ए0बी0आर0सी0.....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[के कार्यालय बिलसण्डा जनपद पीलीभीत का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी बिलसण्डा, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिलसण्डा व बीसलपुर, प्रभारी निरीक्षक थाना बिलसण्डा, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बिलसण्डा, प्रमुख क्षेत्र पंचायत बिलसण्डा के प्रतिनिधि श्री धर्मेन्द्र चौहान तथा अनेक वरिष्ठ शिक्षाविदों के सहयोग एवं समक्ष ए0बी0आर0सी0 के कार्यालय का निरीक्षण हुआ। अनियमितताएं एवं घोटाले पाये गये। दो बैग अभिलेख शील कर निरीक्षण समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ तथा सम्बन्धित अधिकारियों को क्षेत्र पंचायत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है परन्तु अब तक कोई कार्यवाही न हो पाना चिन्ता का विषय है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराकर शासन का ध्यान आकर्षित कर वक्तव्य दिलाये जाने की कृपा की जाये।

टिप्पणी-

प्रश्नगत प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि श्री अगयश राम सरन वर्मा, मा0 सदस्य विधान सभा स्वयं व्यक्तिगत रूप से कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मिल कर लिखित रूप से प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में उसी दिन प्रकरण की जांच हेतु निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उत्तर प्रदेश को जांच कर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत संचालित कतिपय माइनर नहरों को जनपद बाराबंकी के नियंत्रण से हटा कर जनपद अयोध्या के नियंत्रण में किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सिंचाई मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[अन्तर्गत संचालित माइनर नहरें यथा सुल्तानपुर शाखा नहर, फैजाबाद शाखा नहर व नहरों से निकलने वाली माइनर व रजवाहे जनपद बाराबंकी से संचालित की जा रही हैं। जिसके कारण जनपद अयोध्या में होने वाली बैठकों में बाराबंकी जनपद के अधिकारी कम ही उपस्थित रहते हैं। आये दिन नहर खण्ड सिंचाई विभाग की समस्याओं को लेकर रूदौली क्षेत्र के किसानों को जनपद बाराबंकी का चक्कर लगाना पड़ता है। क्षेत्र के किसानों की नहर सिंचाई व अन्य समस्याओं के समाधान हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा रूदौली क्षेत्र के माइनर/नहरों/रजवाहों का जनपद बाराबंकी से नियंत्रण समाप्त कर जनपद अयोध्या से जोड़ने हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्रवाई की प्रत्याशा में सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।

2- उक्त सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है :-

शारदा सहायक संगठन के नियंत्रणाधीन अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल, सिंचाई कार्य, लखनऊ के अधीन अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड, शारदा नहर, बाराबंकी के कार्य क्षेत्र में जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत वर्तमान में सुल्तानपुर शाखा (किमी0 0.000 से किमी0 30.500 तक), फैजाबाद शाखा (किमी0 0.000 से किमी0 21.200 तक) नहरें पड़ती है। उपरोक्त दोनों शाखाओं एवं इनसे निकलने वाली समस्त नहरों को सिंचाई खण्ड, अयोध्या को हस्तानान्तरित करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जाने की कार्यवाही कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। उक्त प्रस्ताव शीघ्र प्राप्त कर अग्रतर विचार किया जायेगा।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद श्रावस्ती में सीताद्वार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम फेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत पर्यटन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद श्रावस्ती में सीताद्वारा को पर्यटन.....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पर्यटन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों/श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य कराये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्रश्नगत स्थल पर पर्यटन विकास कार्य हेतु रु0 89.15 लाख की प्रायोजना स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रु0 26.74 लाख निर्गत की जा चुकी है। प्रायोजना के अन्तर्गत सीताद्वार स्थल पर घाट का निर्माण, सोलर लाईट एवं बेंचों के निर्माण आदि कार्य प्रस्तावित है। प्रायोजना के कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में विद्युत लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव तरारा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा में.....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[तिगरी धाम में गंगा किनारे मेला लगता है। पूर्ण मेला क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, अतः मेला क्षेत्र में अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइन बिछाया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कटान क्षेत्र होने के कारण वर्षा ऋतु में जल भराव हो जाता है एवं गर्मियों में मेला क्षेत्र में किसानों द्वारा खेती की जाती है।

श्रद्धालुओं द्वारा आवागमन के लिए प्रयोग किये जाने वाले मार्ग पर ही 11 के0वी0 की लाइन भी है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से मेले के समय बन्द किया जाना आवश्यक है। तिगरी धाम मेले के आयोजकों द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु अस्थायी संयोजन के आवेदन करने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु निकटतम सुरक्षित स्थान पर डबल पोल एवं परिवर्तक स्थापित करके 11 के0वी0 पर संयोजन आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरान्त निर्गत किया जा सकता है इस परिवर्तक से एल0टी0 ए0बी0 केबिल तंत्र स्थापित करके मेला आयोजकों द्वारा मेला क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जा सकती है।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट में दयानन्द कालोनी में देवरी रोड से यादव सिंह के मकान तक नाली एवं सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 जी0एस0 धर्मेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा कैंट में....

दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[दयानन्द कालोनी में देवरी रोड से यादव सिंह के मकान तक क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग एवं टूटी नाली के निर्माण कार्य हेतु 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत ताजगंज कक्ष संख्या 05 देवरी रोड पर दयानन्द कालोनी में श्री रमेश चन्द्र के मकान से श्री कर्दम के मकान तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क निर्माण, साइड पटरी पर इण्टरलाकिंग एवं नाली मरम्मत कार्य के आगणन धनांक रु0 17.31 लाख की स्वीकृति के उपरान्त निविदा दिनांक 25.02.2019 को आमंत्रित की गयी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों की रुचि क्या है। बहस में नहीं है। अब थक गये होंगे। चलिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम सदन चलाना चाहते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित करता हूं। कल पूर्वाह्न 11:00 बजे हम लोग मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 13 फरवरी, 2019

प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

जिला योजना नवनिर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में आवंटन की जनपदवार सूची।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रमांक	जनपद का नाम	वर्ष 2017-18 में आवंटन	वर्ष 2018-19 में आवंटन
1.	एटा	0.00	67.50
2.	कासगंज	22.50	21.00
3.	मथुरा	45.00	26.00
4.	मैनपुरी	48.00	27.18
5.	फिरोजाबाद	22.63	0.00
6.	हाथरस	8.00	15.60
7.	आगरा	24.64	38.53
8.	अलीगढ़	52.03	55.24
9.	इलाहाबाद	215.03	0.00
10.	कौशाम्बी	79.72	0.00
11.	प्रतापगढ़	45.00	72.38
12.	फतेहपुर	14.00	54.41
13.	बलिया	62.00	72.81
14.	मऊ	7.00	67.00
15.	जौनपुर	74.30	82.38
16.	आजमगढ़	94.27	74.98
17.	बरेली	45.60	36.50
18.	बदायूं	35.71	40.73
19.	पीलीभीत	0.00	30.00
20.	शाहजहांपुर	47.41	19.45
21.	बहराईच	65.00	14.01
22.	बाराबंकी	128.52	42.51
23.	बलरामपुर	25.00	27.00
24.	श्रावस्ती	59.94	31.47
25.	सुल्तानपुर	8.00	52.50
26.	फैजाबाद	46.47	7.00
27.	अम्बेडकरनगर	43.00	26.33
28.	अमेठी	81.00	88.86
29.	गोण्डा	65.33	45.00
30.	बस्ती	36.00	56.00
31.	कुशीनगर	30.00	0.00
32.	महराजगंज	21.32	25.00
33.	सिद्धार्थनगर	140.75	0.00

34.	सन्तकबीरनगर	21.00	26.00
35.	देवरिया	57.65	55.95
36.	गोरखपुर	22.24	228.28
37.	झांसी	23.00	10.00
38.	बांदा	10.00	42.07
39.	महोबा	5.00	0.00
40.	चित्रकूट	57.00	24.85
41.	हमीरपुर	18.00	40.35
42.	जालौन	42.00	84.00
43.	ललितपुर	19.00	37.00
44.	इटावा	14.29	0.00
45.	कानपुर देहात	10.08	5.00
46.	कानपुर नगर	76.00	99.11
47.	कन्नौज	0.00	0.00
48.	फर्रूखाबाद	16.00	31.00
49.	औरैया	20.76	21.71
50.	खीरी	43.00	57.17
51.	हरदोई	90.71	82.94
52.	रायबरेली	31.00	61.00
53.	सीतापुर	37.44	34.00
54.	उन्नाव	27.31	84.50
55.	लखनऊ	48.22	38.00
56.	सहारनपुर	32.00	62.00
57.	शामली	14.00	26.26
58.	बागपत	56.00	110.21
59.	बुलंदशहर	35.00	67.00
60.	मुजफ्फरनगर	0.00	0.00
61.	मेरठ	137.55	68.44
62.	हापुड़	17.00	68.35
63.	गाजियाबाद	14.00	43.71
64.	गौतमबुद्धनगर	25.00	47.00
65.	रामपुर	7.20	0.00
66.	अमरोहा	64.01	52.06
67.	मुरादाबाद	17.00	19.00
68.	बिजनौर	23.00	8.00
69.	सम्भल	19.00	43.46
70.	मीरजापुर	65.88	54.08

71.	संतरविदासनगर	16.00	30.00
72.	सोनभद्र	17.00	44.64
73.	वाराणसी	66.84	34.47
74.	चन्दौली	25.95	54.32
75.	गाजीपुर	60.73	65.98
		3096.03	**3179.28**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में सामाजिक वानिकी प्रभाग, आजमगढ़ द्वारा किये गये वृक्षारोपण का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2016-17 (धनराशि रू0 लाख में)		स्थल का नाम	योजना के सापेक्ष कुल रोपित क्षेत्रफल हे0 में	रोपित प्रजातियाँ प्रत्येक योजना के सापेक्ष		वर्तमान में योजना के सापेक्ष जीवित पौध	
		स्वीकृत	व्यय			प्रजाति	संख्या	कुल रोपित	कुल जीवित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामाजिक वानिकी	3.32	3.311	1-ग्राम समाज भूमि चिकसावां 2-ग्राम समाज भूमि बरौना	3.00 3.00	शीशम, कंजी, यूकेलिप्टस, जामुन, सिरस, चकरेसिया	6600	6600	5652
2	हरित पट्टी	1.70	1.697	ग्राम समाज भूमि बर्रा	3.0	यूकेलिप्टस, शीशम, अर्जुन, कंजी, जामुन	1875	1875	1713
3	वन जमा (क्षतिपूरक)	2.50	2.48	1-ग्राम समाज भूमि सोनहरा 2-बूढ़नपुर-बरदह मार्ग 3-गम्भीरपुर ग्राम समाज	3.00 4.00 3.00	अर्जुन, कंजी, रीमल, सागौन, शीशम, सिरस, नीम, जामुन	13700	13700	12075
4	कैम्पा	2.39	2.39	1-स्कूल भूमि जमुडाई बर्रा मार्ग(अ) 2-स्कूल भूमि जमुडाई बर्रा मार्ग(ब)	3.00 3.00	शीशम, आँवला, कंजी, सिरस, बकैन, जामुन	12000	12000	10296
	योग	9.91	9.878		25.0		34175	34175	29736

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2017-18 (धनराशि रू0 लाख में)		स्थल का नाम	योजना के सापेक्ष कुल रोपित क्षेत्रफल हे0 में	रोपित प्रजातियाँ प्रत्येक योजना के सापेक्ष		वर्तमान में योजना के सापेक्ष जीवित पौध	
		स्वीकृत	व्यय			प्रजाति	संख्या	कुल रोपित	कुल जीवित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	टोटल फारेस्ट कवर	3.37	3.363	1-ग्राम समाज भूमि गुम्म 2-ग्राम समाज भूमि कुर्थुआ II	3.5 2.00	शीशम, आँवला, सिरस, बकैन, सेमल	11000	11000	10065
2	सामाजिक वानिकी (स्पेशल)	1.93	1.927	1-ग्राम समाज भूमि शेखपुरा 2-ग्राम समाज भूमि कुर्थुआ I	3.00 2.00	शीशम, नीम, जामुन, कंजी, अर्जुन, चकरेसिया	3125	3125	2910
	योग	5.30	5.29		10.5		14125	14125	12975

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2019 के द्वितीय बुधवार के लिए निर्धारित श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-60 के उत्तर का संलग्नक।

प्रश्नगत प्रकरण पूर्व से शासन में विचाराधीन है। श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखण्डों की रजिस्ट्री किए जाने सम्बन्धी मा0 मुख्यमंत्री जी से शिकायत की गयी थी, जिसमें निम्न भूखण्ड अन्तर्ग्रस्त हैं :-

क्र0 सं0	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी0	आवंटी का नाम	योजना	दर प्रतिवर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	621/5	377.44	श्री करूणा सागर पुत्र भागवत	ब्लाक-डब्लू-2 जूही	रू0-104 प्रतिवर्ग मी0
2	621/9-ए	377.44	श्रीमती सरला झा पत्नी सत्यप्रकाश	ब्लाक-डब्लू-2 जूही	रू0-104 प्रतिवर्ग मी0
3	219-ए	297.68	श्री जितेन्द्र सचान पुत्र तुलसीराम	ब्लाक-एच किदवई नगर	रू0-150 प्रतिवर्ग मी0
4	265-ए	297.68	श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार	डब्लू-2 जूही	रू0-140 प्रतिवर्ग मी0
5	241-ए	297.68	श्री रमेश नारायण पुत्र श्री शिव नारायण	डब्लू-2 जूही	रू0-104 प्रतिवर्ग मी0
6	43	600.00	सीमा शिक्षण संस्थान	वाई-1 किदवई नगर	रू0-150 प्रतिवर्ग मी0
7	42	600.00	श्री राकेश सचान	वाई-1 किदवई नगर	रू0-150 प्रतिवर्ग मी0

2- प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर से प्रश्नगत प्रकरण की जॉच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु पत्र दि0-06.04.2018 द्वारा निर्देशित किया गया। आयुक्त, कानपुर मण्डल के पत्र दि0-29.06.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या को परीक्षणोपरान्त सन्तोषजनक नहीं पाया गया और शासन के पत्र दिनांक 12.07.2018 द्वारा सभी मामलों की गहराई से पुनः जॉच कराने तथा दोषी अधिकारियों/कर्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। आयुक्त, कानपुर मण्डल द्वारा जॉच आख्या पत्र दिनांक 13.09.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। इस सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गये श्री अश्वनी अवस्थी, लेखाकार के विरूद्ध आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-7 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है, जबकि श्री श्रीश कुमार जायसवाल, तत्का0 संयुक्त सचिव (सेवानिवृत्त), श्री कमलेश कुमार साहू, तत्का0 प्रधान लिपिक (सेवानिवृत्त) एवं श्री जगतपाल सिंह, प्रथम श्रेणी लिपिक (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही इनके अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त पाये गये अकेन्द्रीयित सेवा के श्री कंचन कुमार गुप्ता, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, प्रथम श्रेणी लिपिक तथा श्री प्रेम सिंह राठौर, द्वितीय श्रेणी लिपिक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण (सक्षम प्राधिकारी) स्तर से जारी किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के पत्र दिनांक 12.09.2018 द्वारा पालिका सेवा के श्री लाल चन्द्र मौर्य, तत्कालीन संयुक्त सचिव व श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्कालीन उप सचिव के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्यों सहित प्रेषित करते हुए विभागीय कार्यवाही किए जाने हेतु नगर विकास विभाग से अनुरोध किया गया है।

3- प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त, कानपुर मण्डल की जॉच आख्या दिनांक 13.09.2018 के क्रम में संदिग्ध आवंटन/रजिस्ट्रेशन/फ्री-होल्ड को नियमानुसार निरस्त किए जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 15.10.2018 द्वारा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया। उक्त 07 भूखण्डों के संबंध में स्थिति निम्नवत है :-

(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0-2 पर अवस्थित भूखण्ड सं0-621/9-ए ब्लाक-डब्लू-2 जूही की आवंटी श्रीमती सरला झा के पक्ष में आवंटन निरस्त करते हुए श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, मा0 सदस्य विधान सभा को विधायक कोटे के अन्तर्गत आवंटन किया गया है।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0सं0-1, 3, 4 व 5 पर अवस्थित भूखण्ड सं0-621/5, ब्लाक डब्लू-2 जूही कानपुर नगर, भूखण्ड संख्या-219-ए, ब्लाक-एच किदवई नगर, कानपुर नगर, 265-ए, ब्लाक डब्लू-2, जूही, कानपुर नगर व 241-ए, ब्लाक-डब्लू-2 जूही, कानपुर नगर के रजिस्ट्रेशन/फ्रीहोल्ड के निरस्तीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कानपुर नगर में दिनांक 23.10.2018 को प्राधिकरण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्र0 सं0-1, 2, 3, 4 व 5 पर उक्त 05 भूखण्डों के भू-स्वामियों पर क्रमशः मु0अ0सं0-200/18, 233/18, 0032/18, 0031/18 तथा 0030/18 धारा- 420, 468, 471 के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है जिसकी विवेचना की जा रही है।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-6 व 7 पर क्रमशः अवस्थित भूखण्ड सं0-43 व 42 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2015 द्वारा उक्त भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 08.08.2007 को अपास्त करते हुए याची के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के आदेश दिए गये। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2015 का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"....In view of the above facts and discussions, the impugned order of the respondent no. 1 dated 08.08.2007 cancelling the allotment of plots no. 42&43 situate at Y-1 Virat Nagar, Kidwai Nagar, Kanpur in favour of the petitioners no.1 & 2 cannot be sustained and is hereby quashed.

Writ petition stands allowed.

Respondents are restrained from interfering in the peaceful possession of the petitioners over the aforesaid plots in any manner, except in accordance with law."

(5) उ0प्र0 विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने/जॉच किये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिनांक-14.09.2017 को निम्न आदेश प्रदान किये गये :-

"इस प्रकरण में समिति बनाने या जॉच कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस प्रकरण को समिति से समाप्त किया जाता है।"

(6) उ0प्र0 विधान सभा की मा0 याचिका समिति की दिनांक 28.12.2018 में प्रश्नगत प्रकरण निर्धारित था जिसमें मा0 याचिका समिति द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये:-

"ठीक है, इस याचिका को निस्तारित करते हैं।"

4- उपर्युक्त प्रकरण में भूखण्ड सं0-42 व 43, वाई-1 किदवई नगर, कानपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2015 के आलोक में मत स्थिर कर संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 11.02.2019 द्वारा उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विधानसभा माँट के अन्तर्गत गड्ढामुक्ति मार्गो की प्रगति

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया गया उपयोग/व्यय (रू0 लाख में)	विधानसभा क्षेत्र का नाम / जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग (प्र0जि0मा0–123) के कि0मी0 27 से 46(620) तक	20.620	39.61	39.61	39.61	मांट / मथुरा
2	राया नीमगांव मार्ग के कि0मी0 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11एवं 12(500)	10.500	8.43	8.43	8.43	मांट / मथुरा
3	अकबरपुर कराहरी डडीसरा अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 (250)	6.250	4.32	4.32	4.32	मांट / मथुरा
4	सुरीर ओहावा अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–2 एवं 3	2.000	1.29	1.29	1.29	मांट / मथुरा
5	ए0टी0के0 से लोहई अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3 (200) तक पैच मरम्मत का कार्य।	2.200	1.42	1.42	1.42	मांट / मथुरा
6	ए0टी0के0 से बेरा अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3 (050) में पैच मरम्मत का कार्य।	2.050	1.32	1.32	1.32	मांट / मथुरा
7	बाजना अहमदपुर अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3 एवं 4 तक पैच मरम्मत का कार्य।	4.000	2.58	2.58	2.58	मांट / मथुरा
8	एदलगढ़ी से सल्ल अन्य जिला मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3 तक पैच मरम्मत का कार्य।	3.000	1.50	1.50	1.50	मांट / मथुरा
9	राया–नीमगॉव से ऊधर होते हुये खेड़िया तक मार्ग	0.400	0.17	0.17	0.17	मांट / मथुरा
10	राया–मॉट से नगला सिरिया होते हुये राया–नीमगॉव मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3, 4 एवं 5 (120)	5.120	2.20	2.20	2.20	मांट / मथुरा
11	आयराखेड़ा से लालपुर मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (780)	1.780	0.77	0.77	0.77	मांट / मथुरा
12	राया–नीमगॉव से ऊधर मार्ग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	मांट / मथुरा
13	मनीला बालू से बरारी मार्ग के कि0मी0–1 (700)	0.700	0.30	0.30	0.30	मांट / मथुरा
14	खेड़िया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1 (300)	0.300	0.13	0.13	0.13	मांट / मथुरा
15	बहादीन से दुनैटिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1 (100)	0.100	0.04	0.04	0.04	मांट / मथुरा
16	राया से आयराखेड़ा मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3 एवं 4 (780) में	3.940	1.69	1.69	1.69	मॉट / मथुरा
17	राया–नीमगॉव से नगला दीपा मार्ग के कि0मी0–1(400)	0.400	0.17	0.17	0.17	मॉट / मथुरा
18	सिरिया से सुर्रका मार्ग के कि0मी0–2 (520)	0.520	0.22	0.22	0.22	मॉट / मथुरा
19	बृहद सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1 (290)	0.290	0.12	0.12	0.12	मॉट / मथुरा
20	मॉट जावरा जैसवा से नगला बिन्दा मार्ग के कि0मी0–1	0.700	0.30	0.30	0.30	मॉट / मथुरा
21	राया–मॉट से पानीगॉव राधारानी मन्दिर मार्ग	1.500	0.65	0.65	0.65	मॉट / मथुरा
22	नगला खेड़ा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	मॉट / मथुरा
23	बघेल अड्डा सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1(500)	0.300	0.13	0.13	0.13	मॉट / मथुरा
24	नगला सहतू सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1(900)	0.900	0.39	0.39	0.39	मॉट / मथुरा
25	मिरताना से हरनौल मार्ग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	मॉट / मथुरा
26	मिरताना से हरनौल मार्ग का अवशेष भाग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	मॉट / मथुरा
27	मॉट नसीटी मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 (200)	7.200	3.10	3.10	3.10	मॉट / मथुरा
28	मॉट नौहझील से बिलन्दपुर मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (350)	1.350	0.58	0.58	0.58	मॉट / मथुरा
29	मॉट नौहझील से बैकुन्तपुर मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3, 4	4.000	1.72	1.72	1.72	मॉट / मथुरा

30	हरनौल से इरौली जुन्नारदार मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2	2.000	0.86	0.86	0.86	माँट / मथुरा
31	सिकन्दरपुर से जरारा मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (500)	1.500	0.65	0.65	0.65	माँट / मथुरा
32	सुरीर से भिदौनी मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3 (500)	2.500	1.08	1.08	1.08	माँट / मथुरा
33	मीरपुर से लमतौरी मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2	2.000	0.86	0.86	0.86	माँट / मथुरा
34	ए0टी0के0 से तुलागढ़ी मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3	2.570	1.11	1.11	1.11	माँट / मथुरा
35	आसफाबाद से अलीगढ़ बार्डर मार्ग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	माँट / मथुरा
36	खायरा से अमानउल्लाह मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3 एवं 4 (400)	3.400	1.46	1.46	1.46	माँट / मथुरा
37	गुईददीनपुर से कुरावली मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (450)	1.450	0.62	0.62	0.62	माँट / मथुरा
38	पी0बी0एम0बी0 से हुल्लू आयराखेड़ा होते हुये राया–नीमगॉव मार्ग पर मगधा मार्ग के कि0मी0–1, 2, 3, 4 एवं 5	5.000	2.15	2.15	2.15	माँट / मथुरा
39	विसावली से सिमाना मार्ग के कि0मी0–1(700)	0.700	0.30	0.30	0.30	माँट / मथुरा
40	सिमाना से खौड़ा मार्ग के कि0मी0–1	1.000	0.43	0.43	0.43	माँट / मथुरा
41	सोनई से गुडेरा मार्ग के कि0मी0–1, 2 एवं 3 (250)	2.250	0.97	0.97	0.97	माँट / मथुरा
42	बिन्दा की नगरिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0–1(300)	0.300	0.13	0.13	0.13	माँट / मथुरा
43	खानपुर से नवीपुर मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (500)	1.500	0.65	0.65	0.65	माँट / मथुरा
44	अहमदपुर से कांकरगढ़ी मार्ग के कि0मी0–1 (500)	0.500	0.22	0.22	0.22	माँट / मथुरा
45	मानागढी से खाजपुर मार्ग के कि0मी0–1,	1.000	0.43	0.43	0.43	मांट / मथुरा
46	नौहझील रायपुर से फिरोजपुर मार्ग के कि0मी0–1 एवं 2 (500)	1.500	0.65	0.65	0.65	मांट / मथुरा
47	नशीटी से लालगढ़ी मार्ग के कि0मी0 1,2(300) में पैच मरम्मत का कार्य।	1.300	0.39	0.39	0.39	मांट / मथुरा
48	हरनौल से इरौली गूजर मार्ग के कि0मी0 1 में पैच मरम्मत का कार्य।	1.000	0.30	0.30	0.30	मांट / मथुरा
49	लालपुर से बसेला मार्ग के कि0मी0 1,2,3(600) में पैच मरम्मत का कार्य।	2.600	0.78	0.78	0.78	मांट / मथुरा
50	लालगढ़ी से आशागढ़ी मार्ग के कि0मी0 1,2(300) में पैच मरम्मत का कार्य।	1.300	0.39	0.39	0.39	मांट / मथुरा
51	पब्बीपुर से परिक्रमा मार्ग होते हुए हरनौल मार्ग के कि0मी0 1,2(600) में पैच मरम्मत का कार्य।	1.600	0.50	0.50	0.50	मांट / मथुरा
52	पी0बी0एम0बी0 से विसावली मार्ग के कि0मी0 1(900) में पैच मरम्मत का कार्य।	0.900	0.57	0.57	0.57	मांट / मथुरा
53	पी0बी0एम0बी0 से सुथरिया मार्ग के कि0मी0 1,2,3,4(350) में पैच मरम्मत का कार्य।	3.350	1.01	1.01	1.01	माँट / मथुरा
54	नौहझील से नौशेरपुर मार्ग के कि0मी0 1,2,3,4(300) में पैच मरम्मत का कार्य।	3.300	0.99	0.99	0.99	माँट / मथुरा
55	सी0एस0एन0बी0जी0 से नौशेरपुर मार्ग के कि0मी0 1,2(590) में पैच मरम्मत का कार्य।	1.590	0.48	0.48	0.48	माँट / मथुरा
56	बाजना मानागढ़ी से बाघई मार्ग के कि0मी0 1(500) में पैच मरम्मत का कार्य।	0.500	0.15	0.15	0.15	माँट / मथुरा
57	बाजना मानागढी से अभयपुरा मार्ग के कि0मी0 1(800) में पैच मरम्मत का कार्य।	0.800	0.24	0.24	0.24	माँट / मथुरा
58	बाजना मानागढ़ी से चांदपुर खुर्द मार्ग के कि0मी0 2(500), 3(500)में पैच मरम्मत का कार्य।	1.000	0.60	0.60	0.60	माँट / मथुरा
59	खाजपुर से तिलकागढी मार्ग के कि0मी0 1,2, 3(700)में पैच मरम्मत का कार्य।	2.700	0.90	0.90	0.90	माँट / मथुरा

60	बाजना अहमदपुर से बादौठ मार्ग के कि0मी0 1(500)में पैच मरम्मत का कार्य।	0.500	0.44	0.44	0.44	माँट / मथुरा
61	मिटठौली से बिरजूगढ़ी मार्ग के कि0मी0 1,2(450)में पैच मरम्मत का कार्य।	1.450	0.44	0.44	0.44	माँट / मथुरा
62	राया नीमगांव से वहादीन मार्ग के कि0मी0 1,2,3(800)में पैच मरम्मत का कार्य।	2.800	0.84	0.84	0.84	माँट / मथुरा
63	जाफरपुर से कुरावली मार्ग के कि0मी0 1,2(800)में पैच मरम्मत का कार्य।	1.800	0.56	0.56	0.56	माँट / मथुरा
64	नौहझील रायपुर से जाफरपुर मार्ग के कि0मी0 1,2,3 में पैच मरम्मत का कार्य।	3.000	0.80	0.80	0.80	माँट / मथुरा
65	सी0एस0एन0बी0जी0 से दौलतपुर मार्ग के कि0मी0 1,2,3 में पैच मरम्मत का कार्य।	3.000	1.05	1.05	1.05	माँट / मथुरा
66	बलीपुर से चांदपुर कला मार्ग के कि0मी0 1,2(500) में पैच मरम्मत का कार्य।	1.500	0.45	0.45	0.45	माँट / मथुरा
67	हसनपुर पालखेड़ा से शहदगढ़ी मार्ग के कि0मी0 1(300) में पैच मरम्मत का कार्य।	0.300	0.16	0.16	0.16	माँट / मथुरा
68	सुरीर भिदौनी मार्ग के कि0मी0 1,2,3(500) में पैच मरम्मत का कार्य।	2.500	0.30	0.30	0.30	माँट / मथुरा
69	मीरपुर से लमतौरी मार्ग के कि0मी0 1,2 में पैच मरम्मत का कार्य।	2.000	0.40	0.40	0.40	माँट / मथुरा
70	मथुरा नौहझील से बैकुण्ठपुर मार्ग के कि0मी0 1,2,3,4(200) में पैच मरम्मत का कार्य।	3.200	1.20	1.20	1.20	माँट / मथुरा
71	अकबरपुर टैंटीगांव खैर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 2(900), 3 से 13 एवं 14(600) तक	12.500	8.00	8.00	8.00	मांट / मथुरा
	योग	**170.78**	**109.810**	**109.810**	**109.810**	

2. <u>वित्तीय वर्ष 2017–18 में विधानसभा माँट के अन्तर्गत पूर्ण किये गये नवनिर्माण के कार्य</u>

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया गया उपयोग/व्यय (रू0 लाख)	विधानसभा क्षेत्र का नाम / जिला
1	2	3	4	5	6	7
1	बृज चौरासी कोस परिक्रमा के अन्तर्गत आने वाले यमुना एक्सप्रेसवे से सलाखा बरौठ तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	0.600	32.39	22.39	22.39	माँट / मथुरा
2	बृज चौरासी कोस परिक्रमा के अन्तर्गत आने वाले नशीटी से गढी हुलासी नगला उमरारा तक मार्ग का नयनिर्माण का कार्य।	1.500	79.02	60.02	60.02	माँट / मथुरा
	योग	**2.100**	**111.410**	**82.410**	**82.410**	

(सूरज कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0खं0–1, लो0नि0वि0,
मथुरा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

शारदा नगर योजना में आवंटित स्कूल भूखण्ड की निष्पादित लीज डीड/अनुबन्ध लीज डीड का विवरण

क्र0 सं0	स्कूल का नाम	खण्ड/सेक्टर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	किस स्तर तक	निबन्धन	वर्तमान स्थिति
1	अवध रचनात्मक सेवा संस्थान (अवध पब्लिक स्कूल)	रजनी खण्ड–1	3991.00	नर्सरी	लीज डीड निष्पादित	स्कूल संचालित
2	सेंट एनीष कान्वेन्ट	रजनी खण्ड–3	9421.72	हाई स्कूल	तदैव	तदैव
3	सेंट्रल पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित साक्षारता विकास संस्थान	रजनी खण्ड	4194.235	प्राइमरी	तदैव	तदैव
4	राजकीय तकमिल उलिया कालेज	राधा खण्ड	16000	डिग्री	तदैव	तदैव
5	पायनियर माण्टेसरी स्कूल	रूचि खण्ड–2	4696.95	प्राइमरी	तदैव	तदैव
6	प्रीति विकास समिति	रतन खण्ड	3001.66	प्राइमरी	तदैव	स्थल पर विवाह स्थल बनाया गया है परन्तु संचालित नहीं है। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।
7	सुशीला पब्लिक स्कूल	रश्मि खण्ड–1	2003.00	प्राइमरी	तदैव	स्कूल संचालित
8	आशीर्वाद ब्वाज एण्ड गर्ल्स स्कूल (बिजडम वैली कान्वेंट स्कूल)	रूचि खण्ड–2	4227.162	प्राइमरी	तदैव	तदैव
9	डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजूकेशनल सोसाइटी (सिटी गर्ल्स स्कूल)	रतन खण्ड	1947.69	प्राइमरी	तदैव	तदैव
10	सोसल एजूकेशनल एण्ड एनवायर डेवलपमेंट सोसाइटी	रतन खण्ड	8721.70	इण्टर मीडिएट	तदैव	प्लाट खाली है।
11	बन्दे मातरम पब्लिक स्कूल समिति	रतन खण्ड	3291.87	प्राइमरी	तदैव	स्कूल बना है परन्तु संचालित नहीं है।
12	राजकीय तकमिल उलिया कालेज	राधा खण्ड	16000	महाविद्यालय	तदैव	स्कूल संचालित
13	दि लखनऊ पब्लिक कालिजिएट	रूचि खण्ड–1	7596.26	इण्टर मीडिएट	तदैव	तदैव
14	डी0आर0एस0 एकेडमी	रूचि खण्ड–1	5000.00	प्राइमरी	तदैव	प्लाट खाली है।
15	आवासीय पब्लिक स्कूल समिति	रजनी खण्ड–6	73032.50	हाईस्कूल स्तर	अनुबन्ध लीज डीड	स्कूल संचालित